भण्डारण भारती

राजभाषा विशेषांक

अंक : 76

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

जन–जन के लिए भण्डारण

अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो
विश्वास किसी काम का नहीं
क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के
लिए शक्ति और विश्वास दोनों
का होना जरूरी है।

– सरदार वल्लभभाई पटेल

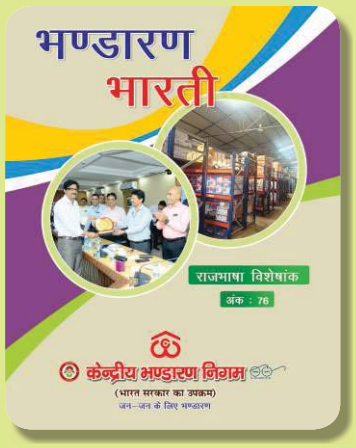

अप्रैल–सितंबर, 2021

मुख्य संरक्षक
अरुण कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक

संरक्षक
राकेश कुमार सिन्हा
निदेशक (कार्मिक)

परामर्शदाता
अनिल माणिक राव
समूह महाप्रबंधक (कार्मिक)

मुख्य संपादक
नम्रता बजाज
प्रबंधक (राजभाषा)

उप संपादक
रजनी सूद

सहायक संपादक
रेखा दुबे,
शशि बाला,
वरुण भारद्वाज

संपादन सहयोग
विद्या भूषण
बीरेन्द्र सिंह

केंद्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली–110016

यह पत्रिका निगम की वेबसाइट
www.cewacor.nic.in
पर भी उपलब्ध है।

मुद्रकः बी. एम. ऑफसेट प्रिंटर्स,
डी–247/17, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश,

भण्डारण भारती

छमाही पत्रिका **राजभाषा विशेषांक** अंक–76

विषय			पृष्ठ संख्या
•	संदेश		03
•	प्रबंध निदेशक की कलम से...		09
•	निदेशक (कार्मिक) की ओर से...		10
•	प्रस्तावना		11
•	संपादकीय		12
आलेख			
☞	राजभाषा कार्यान्वयन दशा और दिशा	धर्मेंद्र कुमार	13
☞	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली.....	सत्यपाल अरोड़ा	15
☞	विज्ञापन की भाषा और हिंदी....	महिमानंद भट्ट	17
☞	पोषण युक्त फसलोत्पादन....	वरुण भारद्वाज	27
☞	कंप्यूटर प्रयोग की आधुनिक तकनीकें	नम्रता बजाज	35
☞	आत्मनिर्भर भारत	मनीषा सब्बरवाल वाधवा	39
☞	राजभाषा हिंदी ही क्यूं	रजनी सूद	47
☞	कीटनाशक सूत्रकृमि : कृषकों के मित्र	राशिद परवेज	51
अन्य लेख			
☆	12 प्र से किया जा सकता है.....		21
☆	राजभाषा हिंदी से संबंधित.....		29
☆	संपर्क भाषा, राष्ट्र भाषा...		58
अधीनस्थ वेअरहाउस–एक परिचय			
❍	सैंट्रल वेअरहाउस कालंबोली, वाशी, बोनहुगली, पानीहाटी		41
कविताएं			
✸	पंछी	पंकज किराड़	16
✸	कितना अजीब इत्तेफाक....	विपिन कुमार सिंह	20
✸	हिंदी राष्ट्र की पहचान...	निर्भय नारायण 'गुप्त'	34
✸	बचपन	प्रीति पटवाल	38
✸	जीवन आनंद	शिवानंद राय	46
✸	सप्रेम नमन	धर्मेंद्र अस्थाना	48
✸	सपने और संसार	स्वीटी कुमारी	57
✸	कर्त्तव्यपरायणता	अजब सिंह	61
✸	कलम जो उठाई	आयुषी झा	67
✸	पर्वत पुरुष	लक्ष्मी कुमारी	68
✸	हिंदी गौरव	देवराज सिंह 'देव'	68
साहित्यिकी			
❖	पत्नी	जैनेंद्र कुमार	31
स्वास्थ्य			
✈	जीवन जीने का उत्तम तरीका...	मनीषा दांदले	60
विविध			
➢	महारानी दुर्गावती	डॉ. विपुल जैन	19
➢	वाणिज्यिक दृष्टिकोण से....	अंजलि नेगी	25
➢	चींटी को देखा...	रोहित उपाध्याय	49
➢	तुम जो आए जिंदगी....	रेखा दुबे	54
➢	अभिव्यक्ति	डॉ. मीना राजपूत	56
➢	सफर	मीनाक्षी गम्भीर	62
➢	कोरोना महामारी के दौरान राजभाषा.....	सागरिका दत्ता	64
अन्य गतिविधियाँ			
•	सचित्र गतिविधियाँ		69

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। निगम का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाओं की मौलिकता के लिए भी संबंधित लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं।

केन्द्रीय भंडारण निगम

लक्ष्य, दूरदर्शिता एवं उद्देश्य

लक्ष्य

सामाजिक दायित्वपूर्ण एवं पर्यावरण–अनुकूल ढंग से विश्वसनीय, किफायती, मूल्य संवर्द्धक तथा एकीकृत भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स समाधान सुलभ कराना।

दूरदर्शिता

हितधारी की संतुष्टि पर बल देते हुए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में एकीकृत भंडारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार के एक अग्रणी संसाधक के रूप में खड़ा होना।

उद्देश्य

- वैज्ञानिक भंडारण एवं संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कृषि, उद्योग, व्यापार व अन्य क्षेत्रों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- भंडारण, हैंडलिंग एवं वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करना।
- पर्यावरण अनुकूल विधियां प्रयोग करते हुए पैस्ट नियंत्रण सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाना।
- बैकिंग संस्थाओं एवं गैर–बैकिंग वित्तीय कम्पनियों के माध्यम से भंडारित वस्तुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भण्डारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- पोर्ट हैंडलिंग, प्रापण एवं वितरण, कोल्ड चेन, भण्डारण वित्त पोषण, 3 पी. एल., परामर्शी सेवाएं, मल्टी मॉडल परिवहन जैसे क्षेत्रों में फारवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन द्वारा लॉजिस्टिक्स वेल्यू चेन की योजना बनाना और विविधता लाना।
- भंडारण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति दर्ज करना।
- ग्राहक संतुष्टि हेतु कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, अभिप्रेरणा और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास कार्यक्रम की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना।

पीयूष गोयल
PIYUSH GOYAL

वाणिज्य एवं उद्योग,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री
भारत सरकार
Minister of
Commerce & Industry,
Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles
Government of India

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि केन्द्रीय भंडारण निगम अपनी गृह पत्रिका 'भंडारण भारती' के "राजभाषा विशेषांक" का प्रकाशन कर रहा है। निगम द्वारा अपनी गतिविधियों एवं कार्यकलापों को जनसामान्य तक पहुंचाने तथा अपने कार्मिकों की रचनात्मक लेखन प्रतिभा के विकास हेतु पत्रिका का निरंतर प्रकाशन अत्यंत सराहनीय कार्य है।

केन्द्रीय भंडारण निगम दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उत्पादक और उपभोक्ता के बीच मजबूत कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। निगम देश के असंख्य किसानों को उनके कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक भंडारण की तकनीक की जानकारी प्रदान कर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

कोरोना संक्रमण काल में बचाव के सभी उपायों का पालन करते हुए निगम अपनी सभी गतिविधियों को जारी रखे हुए है। निगम समय के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी कार्यप्रणाली में नए ई-टूल्स का प्रयोग कर अपने प्रचालनों को सुगम बना रहा है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय भंडारण निगम अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए सरकारी नीति के अनुरूप राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में सदैव प्रयासरत रहेगा।

'भंडारण भारती' के **''राजभाषा विशेषांक'' के सफल एवं उद्देश्यपूर्ण प्रकाशन** हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

पीयूष गोयल

पीयूष गोयल

Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: +91-11-23070637, 23070642 Fax : +91-11-23386098
E-mail : piyush.goyal@gov.in, Website : www.piyushgoyal.in

धर्मेन्द्र प्रधान
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
Dharmendra Pradhan

मंत्री
शिक्षा; कौशल विकास
और उद्यमशीलता
भारत सरकार
Minister
Education; Skill Development
& Entrepreneurship
Government of India

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली अपनी गृह पत्रिका "भंडारण भारती" के 'राजभाषा विशेषांक' को प्रकाशित करने जा रहा है। निगम द्वारा अपनी गतिविधियों एवं कार्यकलापों को जन-सामान्य तक पहुंचाने तथा अपने विभागीय कर्मचारियों की लेखकीय प्रतिभा के उन्नयन हेतु विगत कई वर्षों से राजभाषा हिंदी सहित विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर पत्रिका के विशेषांकों का प्रकाशन करना सराहनीय कार्य है।

भाषा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक एवं संस्कृति धरोहर की संवाहिका होती है। कोई भी देश अपनी भाषा के बिना अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता है। राष्ट्र की शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में उस राष्ट्र की भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी सुदृढ़ एवं मजबूत राष्ट्र की पहचान इस बात से होती है कि उसकी अपनी भाषा कितनी व्यापक एवं समृद्ध है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया है कि संघ हिंदी भाषा का विकास करे और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए संस्कृत एवं अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

संविधान द्वारा प्रदत्त इस दायित्व का निर्वहन करना प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था के लिए अपरिहार्य है। आज सरकारी कामकाज सहित प्रत्येक स्तर पर हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करके इसे और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। अत: जरूरत इस बात की है कि राजभाषा को दैनिक-जीवन में इस तरह अपनाया जाए जिससे यह जनमानस के हृदय-पटल पर सदैव विराजमान रहे।

मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ-साथ राजभाषा विशेषांक के प्रकाशन का भी गरिमामय उपक्रम कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में निगम अपनी कार्यप्रणाली में राजभाषा को उत्तरोत्तर गति प्रदान कर एक नई मिसाल कायम करेगा।

मैं इस विशेषांक के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन हेतु अग्रिम शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(धर्मेन्द्र प्रधान)

सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा

MOE - Room No. 3, 'C' Wing, 3rd Floor, Shastri Bhavan, New Delhi-110 115, Phone : 91-11-23782387, Fax : 91-11-23382365
MSDE - Room No. 516, 5th Floor, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001, Phone : 91-11-23465810, Fax : 011-23465825
E-mail : minister.sm@gov.in, miniter-msde@gov.in

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

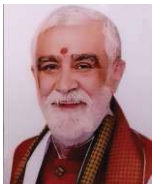

संदेश

यह अपार हर्ष का विषय है कि केंद्रीय भंडारण निगम की ओर से अपनी पत्रिका '**भंडारण भारती**' का राजभाषा विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है।

केंद्रीय भंडारण निगम अपने लक्ष्य, दूरदर्शिता एवं उद्देश्य को साथ लेकर कृषि व्यापार एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है। यह निगम कृषि उत्पादों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक पद्धति से गुणवत्तापूर्ण भंडारण सुविधाएँ उपलब्ध करा कर देश की अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। मुझे विश्वास है कि भंडारण क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप निगम आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करने में सक्षम रहेगा।

किसी भी संगठन के लिए व्यावसायिक हितों के साथ संघ की राजभाषा में कार्य करना सकारात्मक एवं सराहनीय कदम है। निश्चित रूप से पत्रिका प्रकाशन भी इस दिशा में एक सार्थक पहल है क्योंकि इसके प्रकाशन से पाठकों को न केवल संगठन के कार्यकलापों की जानकारी मिलती है, बल्कि संगठन की प्रसिद्धि भी बढ़ती है।

मुझे विश्वास है कि निगम सदैव अपने कार्यक्षेत्र में ऊँचाइयों को प्राप्त करता रहेगा और पत्रिका प्रकाशन जैसे उद्देश्यपूर्ण कार्यों को भी निर्बाध गति से जारी रखते हुए राजभाषा में अपना विशेष योगदान देता रहेगा।

मैं पत्रिका प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों को हार्दिक बधाई देता हूँ।

(अश्विनी कुमार चौबे)

कार्यालय :
कमरा नं. 173, कृषि भवन,
नई दिल्ली – 110001
दूरभाष : 011–23380630, 24621921
फैक्स : 011–23380632, 24695313

Office :
Room No. 173, Krishi Bhawan,
New Delhi - 110001
Tel. : 011-23380630, 24621921
Fax : 011-23380632, 24695313

निवास :
30, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड,
नई दिल्ली – 110003
दूरभाष : 011–23794971
23017049

Residence :
30, Dr. APJ Kalam Road,
New Delhi - 110003
Tel. : 011-23794971
23017049

E-mail : mos.akc@gov.in

साध्वी निरंजन ज्योति
SADHVI NIRANJAN JYOTI

उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION &
RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय भंडारण निगम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजभाषा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से **'भंडारणभारती'** का राजभाषा विशेषांक प्रकाशित कर रहा है।

केंद्रीय भंडारण निगम वैज्ञानिक भंडारण तथा लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए आधारभूत सेवाएं सृजित करते हुए कृषि, व्यापार, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों की भंडारण आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यह देश के कृषक समुदाय को भंडारण के क्षेत्र में शिक्षण-प्रशिक्षण की सेवाएं भी प्रदान करता है। निगम सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए सदैव जागरूक रहा है। निश्चित तौर पर राजभाषा में कार्य करने से संवैधानिक अपेक्षाओं की भी पूर्ति होती है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह पत्रिका काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

मेरा विश्वास है कि इस पत्रिका में कार्यालय की विषय-वस्तु तथा अन्य तकनीकी लेखों से कार्मिकों का ज्ञानवर्धन भी होगा और उन्हें राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।

मैं आशा करती हूँ कि निगम पत्रिका प्रकाशन कार्य सहित अन्य क्षेत्रों में भी अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। मैं इस राजभाषा विशेषांक के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ।

(साध्वी निरंजन ज्योति)

कार्यालय: कमरा नं 197, कृषि भवन, डॉ० आर.पी. रोड, नई दिल्ली–110001
Office: Room No. 197, Krishi Bhawan, Dr. R.P. Road, New Delhi - 110001
दूरभाष: 011–23388823, 23388859 • **फैक्स:** 011–23388827
निवास: बंगला नं 13, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली–110021
Residence: Bunglow No. 13, New Moti Bagh, New Delhi-110021
दूरभाष: 011–24105585 • **फैक्स:** 011–24103228

डॉ सुमीत जैरथ, आई.ए.एस.
सचिव
Dr. SUMEET JERATH, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

संदेश

यह हर्ष और गौरव का विषय है कि केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी पत्रिका **"भंडारण भारती"** का **राजभाषा विशेषांक** प्रकाशित कर रहा है।

2. **राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था – "राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।"** यह सर्वविदित है कि राष्ट्र निर्माण में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हिंदी का महत्व जनभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ रहा है।

3. यह हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्रीय हित एवं एकात्मकता के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए गृह-पत्रिकाओं का उद्देश्य है अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में मूल लेखन एवं अपने शासकीय कार्यों को हिंदी में करने के लिए प्रेरित करना। मुझे विश्वास है कि निगम द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका **"भंडारण भारती"** का राजभाषा विशेषांक राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सहायक सिद्ध होगा।

4. मैं पत्रिका के विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए इस पत्रिका के संपादक मंडल के साथ-साथ निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के सफल एवं ज्ञानवर्धक अंक नियमित रूप से प्रकाशित होते रहेंगे।

जय राज भाषा! जय हिंद!

सुमीत जैरथ
23/08/2021

(डॉ. सुमीत जैरथ)

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone

अतीश चन्द्रा
अध्यक्ष

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि केन्द्रीय भंडारण निगम गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भंडारण भारती-राजभाषा विशेषांक का प्रकाशन कर रहा है।

निगम सेवा-प्रदाता संगठन के रूप में खाद्यान्नों एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण के कार्यों में संलग्न रहकर राष्ट्र की सेवा में तत्परता से कार्य कर रहा है। इसके अलावा, भंडारण की तकनीक की जानकारी देने हेतु देश के असंख्य किसानों के लिए किसान विस्तार सेवा योजना के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे रहा है। निगम ने कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करते हुए व्यापक स्तर पर सरकारी एवं निजी संगठनों को पेस्ट नियंत्रण सेवाएं भी प्रदान की हैं। अपने कार्यक्षेत्र में नवीनता एवं तीव्रता लाने के उद्देश्य से निगम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।

यह सर्वविदित है कि हिंदी के संविधान स्वीकृत भाषा होने के कारण कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सरकारी काम-काज में मूल रूप से राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें और प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से इसे आगे बढ़ाया जाए । इस दृष्टिकोण से पत्रिका प्रकाशन का कार्य भी प्रेरणास्वरूप सिद्ध हो सकता है क्योंकि पत्रिका में प्रकाशित जानकारी से राजभाषा में कार्य करने का उत्साह उत्पन्न होता है और पाठकों के मन में राजभाषा हिंदी के प्रति नई दृष्टि विकसित होती है।

मुझे विश्वास है कि निगम भविष्य में राजभाषा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहेगा। मैं पत्रिका के संपादक मंडल को बधाई देते हुए इसके सफल प्रकाशन की कामना करता हूं।

अतीश

(अतीश चन्द्रा)

निगमित का0: 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास,नई दिल्ली-110016
CO: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 ☎ 011-26515980 ई-मेल: chrmn@cewacor.nic.in

प्रबंध निदेशक की कलम से...

निगम की पत्रिका 'भंडारण भारती' का 'राजभाषा विशेषांक' प्रकाशित करना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। आप सभी को विदित है कि इस पत्रिका के द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित इसके पाठकों को निगम की प्रमुख एवं व्यापारिक गतिविधियों के साथ–साथ अन्य कई विषयों की भी जानकारी मिलती है। संगठन में कार्यरत सभी कार्मिकों के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वे संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य के बारे में समस्त जानकारी रखते हुए टीम एवं समर्पण की भावना से संगठन के उत्थान हेतु सदैव जागरुक रहकर कार्य करें।

आधुनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निगम खाद्यान्नों की सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं द्वारा उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच एक सशक्त कड़ी के रूप में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके साथ–साथ निगम अपने कार्यक्षेत्र में नवीनतम योजनाएं लाकर नई दिशा की ओर बढ़ते हुए सूचना प्रौद्योगिकी पर अधिक बल दे रहा है। इसके परिणामस्वरूप निगम का डिजिटल सफर तेज़ी से प्रगति पथ पर है। वर्तमान में निगम ई–टूल्स का समुचित मात्रा में प्रयोग कर रहा है और हमारे पास भविष्य की भी परियोजनाएं हैं। निगम ग्राहक संतुष्टि, पारदर्शिता, लागत में कमी जैसे कार्यों की ओर ध्यान देते हुए सतत् विकास की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के प्रति वचनबद्ध है। निगम ने तेजी से बदलती आवश्यकताओं एवं प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए एनसीएमएल मार्केटयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, स्टार एग्री बाज़ार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ऑवर फूड प्राइवेट लिमिटेड एवं एनईबी फाउंडेशन (नाबार्ड की सहायक कंपनी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

निगम राजभाषा के क्षेत्र में भी अपने दायित्वों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। गत छह माह के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार पर चर्चा, पत्रिका प्रकाशन, राजभाषा नीति–नियम, ई–ऑफिस, ई–टूल्स आदि पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, निगम की भंडारण शब्दावली को अद्यतन किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी किया जा रहा है। राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने 12 प्र अर्थात् प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, प्रोन्नति, प्रतिबद्धता और प्रयास की रणनीति अपनाने पर बल दिया है। मेरा विश्वास है कि निगम इस रणनीति को अपनाते हुए राजभाषा के क्षेत्र में नित नई बुलंदियों को छूएगा।

इस पत्रिका के माध्यम से मेरा सभी कार्मिकों से अनुरोध है कि वे राजभाषा के क्षेत्र में भी निगम को सफलता की ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए परिश्रम एवं निष्ठा की भावना से कार्य करें ताकि हम और भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकें।

शुभकामनाओं सहित।

अरुण कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक

निदेशक (कार्मिक) की ओर से....

'भंडारण भारती' पत्रिका का विगत कई वर्षों से निरंतर प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका के वर्ष में दो अंक प्रकाशित किए जाते हैं– एक, भंडारण विशेषांक और दूसरा राजभाषा विशेषांक। यह खुशी की बात है कि हिंदी दिवस के दौरान सितंबर माह में इस पत्रिका का राजभाषा विशेषांक प्रकाशित किया जाता है जिसमें राजभाषा से संबंधित विभिन्न विषयों से भरपूर जानकारी समाहित की जाती है।

हिंदी संघ की राजभाषा है और हम सबका संवैधानिक दायित्व है कि सरकारी अपेक्षाओं के अनुकूल हम अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करें। सरकार की नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना की है, अतः इस नीति के अनुसार हमें अपने कार्यालय में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर, सभी को अन्य नियमों की तरह राजभाषा नियमों की भी भली–भांति जानकारी होनी चाहिए तभी वे इसका महत्व भी जान सकेंगे और इसमें कार्य करने की प्रेरणा भी उन्हें मिलेगी।

अतः, राजभाषा हिंदी को सप्रेम स्वीकार करते हुए इसमें अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए क्योंकि भाषा के प्रयोग से ही उसका सम्मान होता है। हमारा निगम वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा से संबंधित सभी पहलुओं पर तिमाही बैठक एवं अन्य अवसरों पर चर्चा कर राजभाषा को गति देने के लिए सदैव प्रयासरत रहा है। हम सभी को मिलकर यह कार्य आगे बढ़ाना चाहिए।

मैं इस पत्रिका के प्रकाशन में योगदान देने वाले सभी कार्मिकों एवं लेखकों को बधाई देता हूँ और इस अंक के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

राकेश कुमार सिन्हा
निदेशक (कार्मिक)

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का सर्वोत्तम साधन भाषा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था इसलिए संविधान के अनुच्छेद–343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत और वर्णित किया गया है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधान किया है कि संघ हिंदी भाषा का विकास करे। वर्तमान समय में प्रत्येक स्तर पर हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करके इसे और अधिक मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है।

यह हर्ष का विषय है कि निगम के राजभाषा अनुभाग द्वारा अनुवाद कार्य के साथ–साथ, तिमाही बैठकें, कार्यशालाऐं, राजभाषा निरीक्षण, पत्रिका प्रकाशन, निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजभाषा शील्ड प्रदान किया जाना इत्याादि का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा सदैव निगम के राजभाषा संबंधी कार्य निष्पादन और पत्रिका प्रकाशन हेतु भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है।

निगम ने कोविड–19 महामारी के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर 200 से अधिक सरकारी एवं निजी कंपनियों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विसंक्रमण एवं सैनिटाइजेशन कर देश सेवा में योगदान दिया है, इस दौरान निगम की कार्यप्रणाली देखते ही बनती थी।

मैं आपसे यह आह्वान करता हूँ कि आप अपने संवैधानिक और सांविधिक उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए राजभाषा के कामकाज को पिछले वर्षों की अपेक्षा और अधिक आगे बढ़ाएं। निगम वैज्ञानिक भंडारण के साथ–साथ राजभाषा हिंदी को भी विकास की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है। निगम की गृह पत्रिका 'भंडारण भारती' का यह अंक 'राजभाषा विशेषांक' है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें प्रकाशित रचनाओं से न सिर्फ आपका ज्ञानवर्धन होगा अपितु इनसे आपको प्रेरणा भी मिलेगी।

भंडारण भारती पत्रिका हेतु ढेर सारी शुभकामनाएँ।

(अनिल माणिक राव)
समूह महाप्रबंधक (कार्मिक/प्रणाली)

संपादकीय

भंडारण भारती पत्रिका का यह अंक राजभाषा विशेषांक के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि विदित है कि हिंदी संघ की राजभाषा होने के साथ–साथ आपसी संप्रेषण का सशक्त माध्यम भी है। इसी कारण भारतीय संविधान सभा ने इसे संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। आज डिजिटाइजेशन का युग है जिसमें हिंदी भी आईटी के साथ जुड़कर नित नए आयाम बना रही है। हम सभी का नैतिक दायित्व है कि अपने दैनिक कामकाज में राजभाषा का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।

इस पत्रिका के माध्यम से पाठकों को निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों, वेअरहाउसों और निगमित कार्यालय से संबंधित गतिविधियों की झलकियाँ भी देखने को मिलेंगी। इस अंक में स्थायी स्तंभों के अतिरिक्त राजभाषा हिंदी, विज्ञापन की भाषा, पोषणयुक्त फसलोत्पादन समय की आवश्यकता, शब्दावली, कंप्यूटर, योग एवं आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर लेख प्रकाशित किए गए हैं। किसी भी संगठन के कार्मिकों की लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में विभागीय पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे न केवल उनकी लेखन प्रतिभा में निखार आता है अपितु कार्यालय में हिंदी में काम करने का वातावरण भी तैयार होता है। भंडारण और राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति एवं विभिन्न पाठकों को आपस में जोड़ने की दिशा में इस पत्रिका को नए रूप में प्रकाशित करना हमारी सदैव प्राथमिकता रही है।

हमारा प्रयास रहा है कि पत्रिका का प्रत्येक अंक नए कलेवर और उत्कृष्ट लेखों के साथ प्रकाशित हो। आप सभी से आशा है कि भविष्य में भी इस पत्रिका को उच्चस्तरीय बनाने में अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे।

(नम्रता बजाज)
मुख्य संपादक

राजभाषा कार्यान्वयन दशा और दिशा

धर्मेंद्र कुमार *

संविधान सभा ने लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकारा क्योंकि भारत की बहुसंख्यक जनता द्वारा हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिन्दी भाषा में प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं ने देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा भारतीयों को एक सूत्र में बांधे रखा। स्वतंत्रता के पश्चात भले ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा व राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन भाषा के प्रचार व प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनवरत चलता रहा। भले ही आज हिन्दी की वैश्विक स्थिति काफी बेहतर है, विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों के विश्व विद्यालयों में हिन्दी अध्ययन–अध्यापन हो रहा है, परन्तु विडंबना यह है कि विश्व में अपनी स्थिति के बावजूद हिन्दी भाषा अपने ही घर में उपेक्षित जिंदगी जी रही है। जहां गुड मॉर्निंग से सूर्योदय और गुड इवनिंग से सूर्यास्त होता है। अंग्रेजी बोलने वालों को तेज–तर्रार, बुद्धिमान एवं हिन्दी बोलने वालों को अनपढ़, गंवार जताने की परम्परा रही है। हिन्दी हमारी दोहरी नीति का शिकार हो चुकी है। यही कारण है कि हिन्दी आज तक व्यावहारिक दृष्टि से न तो राजभाषा बन पायी और न ही राष्ट्रभाषा।

10 जनवरी 2017, विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर आयी रिपोर्ट के अनुसार देश की राजभाषा हिन्दी ने नंबर एक के सिंहासन से चीनी भाषा मंदारिन को हटा दिया है। इसके साथ ही साथ राजभाषा हिन्दी–दशा के अंतर्गत छपी रिपोर्ट के अंतर्गत यह तथ्य निकलकर आया कि 2015 के आंकड़ों के अनुसार हिन्दी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। यह हिन्दी के सुनहरे काल की दशा को दर्शाता है। साथ ही यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश में राजभाषा हिन्दी अपने स्वर्णिम काल से गुजर रही है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में लगभग एक अरब तीस करोड़ लोग हिन्दी बोल रहे हैं, जो सर्वाधिक है।

आज भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन चुकी है व यहां के युवा पेशेवर व टेक्नोक्रेट दुनिया के सभी देशों में पहुंच रहे हैं। वे पूरे विश्व में हिन्दी का विस्तार कर रहे हैं। साथ ही साथ दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश हेतु आ रही हैं इसलिए एक तरफ हिन्दी भाषा दुनिया में फैल रही है, तो दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना व्यवसाय चलाने व बढ़ाने हेतु अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखानी पड़ रही है। सुखद आश्चर्य की बात है कि तेजी से हिन्दी सीखने वाले देशों में चीन प्रथम स्थान पर है जहां 20 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है।

भारत में 85% लोग हिन्दी बोलते हैं। राजभाषा हिन्दी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य बखूबी निभाया है। देश का कोई भी भाग हो, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, वहां विचारों की अनुभूति हिन्दी के माध्यम से पूर्णतया संभव है। देश में क्षेत्र 'ग' के लोग प्रायः वहां की क्षेत्रीय भाषा में ही मुख्य रूप से बात करते हैं, लेकिन वहां भी उस क्षेत्र की मातृभाषा के अलावा सिर्फ हिन्दी ही अकेली ऐसी भाषा है जिसमें सफलतापूर्वक विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। हिन्दी भाषा को पूरे देशवासियों ने अपने में आत्मसात किया है।

हम पूरे देश में कहीं भी जाएं, उत्तर में जम्मू–कश्मीर, लेह–लद्दाख से लेकर दक्षिण में मैसूर, बेंगलुरु, कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप या फिर उत्तर–पूर्व के राज्यों असम, मणिपुर, त्रिपुरा सिक्किम इत्यादि से लेकर पश्चिम के गुजरात, राजस्थान तक कहीं भी किसी भी भाग में अगर हम हिन्दी बोल व समझ सकते हैं तो हमें

*सहायक प्रबंधक (लेखा), क्षेत्रीय कार्यालय, मुबई

किसी भी भाग में घूमने–फिरने, आने–जाने, ठहरने, खाने–पीने या कोई सामान खरीदने में कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होती है।

संपूर्ण भारत में हिन्दी पूरे देश व देशवासियों को एक धागे में पिरोने का काम बखूबी कर रही है। लता मंगेशकर जी के गाए मधुर हिन्दी गीतों के शौकीन व चाहने वाले देश के हर कोने में भरे पड़े हैं। ठीक उसी प्रकार अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन आदि अभिनीत यादगार हिन्दी फिल्मों के दीवाने भी देश के कोने–कोने में मौजूद हैं। टीवी पर हिन्दी सीरियल, जैसे– महाभारत, रामायण आदि ने तो देश के हर कोने में अपनी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित की ही थी। साथ ही विज्ञापन की दुनिया हो, टीवी पर समाचार या हिन्दी पत्र–पत्रिकाओं की बात हो, हिन्दी ने देश के हर कोने में अपना स्थान सर्वोपरि सिद्ध किया है। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ–साथ हिन्दी को पूरे देश में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

राजभाषा हिन्दी राजभाषा की दिशा के अंतर्गत एक बात तो पूरी तरह से सत्य है कि पूरे भारत देश को अगर एक भाषा के आधार पर संबोधित किया जाए तो हिन्दी ही हो सकती है। देश में सबसे योग्य एवं व आम व्यक्ति जब तक तथाकथित एलिट क्लास (सभ्रांत वर्ग) के लोगों को टीवी में अंग्रेजी में बोलते देखता है तो उसके अंदर कुंठा की भावना पैदा होती है और वह इंग्लिश मीडियम व स्पोकन इंग्लिश के पीछे भागता है। वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं।

लेकिन धारणा यही बनती जा रही है कि तथाकथित हाई सोसायटी का हिस्सा बनना है तो हिन्दी छोड़ सिर्फ अंग्रेजी में बातचीत की जाए, लेकिन यह धारणा एक भ्रम मात्र ही है। अंग्रेजी ही सभ्य व विकसित होने की पहचान है, इस दकियानूसी मानसिकता से हम सभी को बाहर निकलना होगा। इसका मतलब यह कदापि नहीं कि हम अंग्रेजी की अवहेलना कर हिन्दी को आगे बढाएं। जहाँ अंग्रेजी हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती वहीं निश्चित रूप से हिन्दी भी अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती। देश में अभी भी संविधान, विधि शिक्षा, चिकित्सा व मेडिकल शिक्षा, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में हिन्दी का घोर अभाव है, जिसे सही दिशा में आगे बढ़ाना है।

आज देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अपना भाषण गर्वपूर्वक हिन्दी में ही देते हैं और इससे पूरे देशवासियों व हिन्दी का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने पूरे देश में देशवासियों को एकरूपी धागे में पिरोने हेतु राजभाषा हिन्दी का विस्तार किया है और हिन्दी को पूरे देश के साथ–साथ पूरे विश्व में भी फैलाया है। भाषा हमारे विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को संप्रेषित करने का एक माध्यम होती है और यह क्षमता ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को प्रदान की है।

भाषा के माध्यम से ही एक मनुष्य अपनी भावना, विचार और अनुभूति दूसरे मनुष्य के समक्ष रख पाता है और इस प्रकार पूरी मानव जाति का विकास हर दिशा में संभव हो पाता है। अतः संपूर्ण देश व देशवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु यह आवश्यक है कि हम पूरे देश में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ–साथ हिन्दी का भी विस्तार करें व विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हो।

पूरे विश्व में हमारी पहचान हिन्दी से ही होती है और हमें इस बात पर गौरवान्वित होना चाहिए। भाषा के द्वारा हम अपने सर्वश्रेष्ठ संस्कारों व विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं और अगर अपनी मातृभाषा में हो तो ये सर्वोत्तम है।

पढ़ना है, पढ़ाना है, सबको सिखाना है।
हिन्दी भाषा को, हमें मिलकर बढ़ाना है।।

कोरोना महामारी में नमस्ते का मतलब समझाया।

भारत के ऐसे संस्कारों को हम सबको अपनाना है।।

राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है ।

महात्मा गांधी

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की शब्दावली

सत्यपाल अरोड़ा*

भारत सरकार ने सन् 1961 में एक आयोग की स्थापना की थी जिसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग की स्थापना क्यों की गई थी और इसके क्या उद्देश्य थे तथा जनमानस एवं शिक्षाविदों और विद्यार्थियों के लिए इसका क्या महत्व है। प्रस्तुत लेख में इसी बारे में सारांश में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कुछ राष्ट्र प्रेमियों में अपनी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के बारे में जोश था शायद उसी कारण से इस आयोग की स्थापना करना आवश्यक हो गया था। दरअसल सभी हिंदी प्रेमी शायद यह सोच रहे थे कि अंग्रेजों के जाते ही अंग्रेजी भी हमारे देश से चली जाएगी। हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे और अपने तरीके से अर्थात् भारतीय तरीके से शिक्षा का पठन–पाठन होगा। इस कार्य के लिए विभिन्न संस्थाओं ने, विभिन्न शिक्षाविदों, भाषाविदों तथा पंडितों और अन्य भाषाओं के प्रेमियों ने अपने स्तर पर अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों को गढ़ना शुरू कर दिया। इन शब्दों के आधार पर छोटी–छोटी पुस्तकें भी प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार एक तकनीकी शब्द के हिंदी में अथवा अन्य भाषाओं में कई पर्याय उपलब्ध होने लगे। इस प्रकार तकनीकी शब्दों को लेकर एक विशेष प्रकार की हलचल देखी गई। तत्कालीन शिक्षाविदों ने इस की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु को दी जिन्होंने विचार विमर्श कर राष्ट्रपति महोदय को एक आयोग की स्थापना का अनुरोध किया। अतः राष्ट्रपति महोदय के आदेशानुसार अक्तूबर सन् 1961 को इस आयोग की स्थापना की गई थी। डा. दौलत सिंह कोठारी इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने।

आयोग के कार्यों और उद्देश्यों का वर्णन करने से पूर्व मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस आयोग का प्रमुख ध्येय हिंदी भाषा में इस प्रकार की तकनीकी शब्दावली का विकास करना है जो सभी भारतीय भाषाओं के लिए कुछ फेरबदल के साथ स्वीकृत हो सके। अतः यह कहा जा सकता है कि आयोग का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय शब्दावली का निर्माण करना था। इस कार्य के लिए कई समितियों का गठन किया गया जिन्होंने शब्दावली निर्माण के लिए कुछ सिद्धांत बनाए जिनमें से निम्नलिखित सिद्धांत प्रमुख थे।

1. तकनीकी शब्दावली निर्माण में अंतरराष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अनुसार ही उनका लिप्यंतरण किया जाना चाहिए। उदाहरणतः हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, कंप्यूटर, इंजन इत्यादि।
2. हिंदी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुधार विरोधी प्रवृतियों से बचना चाहिए।
3. सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों और संस्कृत धातुओं पर आधारित हों।

इस प्रकार आयोग ने इन सिद्धांतों के आधार पर शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और अथक प्रयत्नों से सभी विषयों की शब्दावली का निर्माण किया। आयोग ने विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले काफी विषयों की शब्दावली का निर्माण किया जैसेः–

भौतिकी (Physics) रासायनिकी (Chemistry) भूगोल (Geography) गणित (Mathematics) कृषि (Agriculture) चिकित्सा (Medicine) इंजीनियरिंग (Engineering) संगीत (Music) इतिहास (History) मनोविज्ञान (Psychology) सूचना

*पूर्व उपनिदेशक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली

प्रौद्योगिकी (Information Technology) जनसंचार, दूरदर्शन, स्पेस साइंस, वाणिज्य तथा प्रबंधन इत्यादि सभी विषयों के लगभग 8 लाख शब्दों का निर्माण किया है। ये शब्द पुस्तक रूप में आयोग में तथा संबंधित बिक्री स्थानों पर उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त आयोग की साईट www.cstt.mhrd.gov.in पर भी उपलब्ध है।

आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली किसी भी रूप से कठिन नहीं है। यह सरल, सुबोध, पारदर्शी और सुगम है। इसके निर्माण के लिए विद्वानों ने अथक प्रयत्न किया है और यह अपेक्षा की है कि विद्यार्थी वर्ग और अध्यापक वर्ग इन मानक शब्दों का प्रयोग कर धीरे–धीरे इनमें सुधार कर प्रयत्न करें। कुछ वर्ष पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि शब्दावली निर्माण की पूरी जिम्मेदारी इसी आयोग की है और किसी भी लेख अथवा निर्देश में आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीकी शब्दावली के विकास का कार्य केवल वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अधिकार क्षेत्र में ही आता है, किसी अन्य संस्था द्वारा विकसित शब्दावली को कोई मान्यता नहीं मिल सकती। इसी बारे में न्यायालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को भी अपनी पाठ्य पुस्तकों में शब्दावली को आयोग के अनुरूप संशोधन करने के आदेश दिए।

जहां तक आयोग की शब्दावली की कठिनाई का प्रश्न है, कोई भी शब्द कठिन या सरल नहीं होता, शब्द केवल परिचित या अपरिचित हैं। उदाहरण के रूप में दिल्ली में 80 के दशक तक (1980 तक) केंद्रीय सचिवालय, मुद्रिका, विश्वविद्यालय शब्द बहुत कठिन लगते थे। लोग इन्हें बोलना नापसंद करते थे लेकिन यातायात साधनों में इनका प्रयोग होने के कारण आज ये शब्द जनमानस की जुबान पर हैं और लोग बड़ी सरलता से इनका उच्चारण करते हैं। आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली किसी भी प्रकार से कठिन नहीं है, केवल अपरिचित है।

आयोग का पूरा प्रयास रहा है कि उसके द्वारा निर्मित शब्दावली अर्थपूर्ण और पारदर्शी हो अर्थात् शब्द ऐसे हों जिन को पढ़ने से यह ज्ञात हो जाए कि इस की परिभाषा क्या हो सकती है। यह कार्य बहुत कठिन था पर आयोग ने इस चुनौती पर पूरी लगन और निष्ठा से कार्य किया। उदाहरण के लिए एक शब्द है asymptotic इसका तकनीकी अर्थ हैं a time that approaches a curve but never touches (It touches in infinity) तो आयोग ने इसका पर्याय 'अनंतस्पर्शी' दिया है। Chromosome gynaecologist के लिए 'स्त्री रोग विशेषज्ञ' और opthomologist के लिए 'नेत्र रोग विशेषज्ञ' शब्द निर्धारित किए गए हैं। ऐसे हजारों शब्द हैं जिनके विकास के लिए आयोग के विशेषज्ञों ने पूरे जी जान से प्रयास किए और सुगम तथा पारदर्शी शब्दावली के विकास का पूरा प्रयत्न किया।

इस लेख के अंत में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जब तकनीकी पुस्तकें हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी जाएंगी तो उस समय केवल आयोग की शब्दावली का ही अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाएगा। अतः अध्यापकों, लेखकों, अनुवादकों और विद्यार्थियों को भी चाहिए कि इस शब्दावली को निष्ठापूर्वक स्वीकार करें।

पंछी

पंकज किराड़*

आते हैं मेरे आँगन में,
दो चार पंछी रोजाना।

भाती हैं उनकी नन्ही उड़ानें,
खुलके उनका पंख फैलाना।

मुस्कुराती वह नाज़ुक सी चोंच,
साथ मधुर संगीत चहचहाना।
ऐसे तो कर लूँ मैं उनसे लगाव,
पर वह तो ढूँढ़ते बस अपना दाना।

चीं–चीं करके गीत सुनाते,
ढूँढ़ते हवाओं में अपना ठिकाना।

रहती न फिकर उन्हें किसी की,
चाहते वो तो बस आज़ादी से उड़ जाना।

*सहायक प्रबंधक (लेखा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

विज्ञापन की भाषा और हिंदी की बढ़ती ताकत

महिमानन्द भट्ट *

समय निरंतर परिवर्तनशील है और कालचक्र अपनी गति से चलता रहता है। निश्चित तौर पर समय के परिवर्तन का प्रभाव अनेक क्षेत्रों के साथ–साथ भाषा पर भी पड़ना स्वाभाविक है। आधुनिक युग विज्ञान और वैश्विक अर्थव्यवस्था का है और इन क्षेत्रों में सतत् विकास निरंतर जारी है। वर्तमान परिवेश में विदेशी पूंजी का निवेश, आधुनिक व्यवसाय में तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश की प्रौद्योगिकी के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा तीव्रतम गति और तीव्रतम कार्यक्षमता से दिन–प्रतिदिन नए–नए माल का उत्पादन हो रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति का निर्माण हो रहा है। उत्पादित माल की अधिक से अधिक मांग उपभोक्ताओं से उत्पन्न हो, इसके लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं अपनी अच्छी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। यह भी सत्य है कि बिना देशी भाषा के व्यवसाय पनप नहीं सकता। व्यवसायिक कंपनियों ने हिंदी की विलक्षण क्षमता को अच्छी तरह पहचान लिया है और व्यवसाय बाजार में अपने उत्पादों की जानकारी तथा मांग में वृद्धि के लिए विज्ञापन के नए–नए माध्यमों का सहारा लेना ही उचित समझा है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश की सीमाओं को लांघकर अपना उत्पाद बेचने के लिए नए बाजारों की तलाश में हैं, स्पर्धापूर्ण बाजार में अपना उत्पाद बेचने का एक मात्र प्रभावी माध्यम है– विज्ञापन। जगमगाती दुनिया की चकाचौंध में विज्ञापन को एक चमत्कार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जहां भी हम नजर डाले, वहां तरह–तरह के विज्ञापन हमें लुभा रहे हैं। समाचार–पत्र टी. वी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी विज्ञापनों से बच पाना आज असंभव है। एक तरह से हमारा समूचा जीवन विज्ञापनमय हो गया है। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, बिजली के खंबों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों आदि तमाम अवसरों–स्थानों पर विज्ञापन की उपस्थिति अब सामान्य बात है। साहित्यिक प्रकृति के कार्यक्रम भी विज्ञापन को समुचित स्थान देते हैं। विमानतलों के सौंदर्यीकरण, रेल–विमान के टिकट आदि ने भी विज्ञापन के माध्यम से अपने आपको "अर्थपूर्ण" पाया है। अर्थात् सुबह से लेकर शाम तक हम तमाम विज्ञापनों के बीच सांस लेते हैं, इसलिए विज्ञापन के युग में बडे–बडे और महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण के साथ यदि विज्ञापन पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनके लिए ग्राहक खोजना एक असंभव कार्य हो जाएगा। वैसे तो विज्ञापन का काम वस्तु को केवल ग्राहक तक पहुंचाना मात्र है, किन्तु स्पर्धाओं के बीच उसकी भूमिका निर्णायक हो गई है। वस्तु के चयन और विशिष्ट वस्तु की खरीद के लिए विज्ञापन "सलाहकार" का भी काम कर रहे हैं। निर्माताओं के लिए वस्तु को अधिक लाभदायी, सुगम बनाने का काम भी विज्ञापन करते हैं।

विज्ञापन किसी वस्तु के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज विज्ञापन एक शास्त्र के रूप में उभर रहा है। इसमें मनोविज्ञान का असाधारण महत्व है। व्यक्ति की भीतरी इच्छाओं, आदतों, जिज्ञासाओं और आकर्षणों पर सवार होकर यह कार्य अपने लक्ष्य तक पहुँचाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञापन को सफलता सौंपने का काम भाषा करती है। भाषा ही वह माध्यम है, जो विज्ञापन के संपूर्ण उद्देश्यों को सही अंजाम देती है। भाषा विज्ञापन की आत्मा होती है। विज्ञापन की भाषा अत्यंत सधी हुई होती है। कम से कम शब्दों और समय में अधिक से अधिक सटीक संदेश देना विज्ञापन की विशेषता होती है। कोई भी विज्ञापन यदि दर्शक, श्रोता या वाचक को अपने पक्ष में कर ले तो ही वह सार्थक होता है, इसलिए उलझनपूर्ण, लंबे वाक्यों की बजाय सीधे–सपाट, बोलचाल की भाषा का उपयोग विज्ञापन के लिए लाभप्रद समझा जाता है। विज्ञापन की भाषा में निखार के लिए शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्द संयोजन एक सृजनात्मकता की मांग करता है। हिंदी हमारे देश की मुख्य प्रचार भाषा है। देश में उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में हिंदी का

*पूर्व प्रबंधक (राजभाषा), आशिमा विहार, देहरादून

महत्वपूर्ण योगदान है। यहां तक की विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी यह बात समझ ली है कि यदि उन्हें अपना उत्पाद बेचने हैं तो हिंदी विज्ञापन का सहारा लेना होगा।

जहां तक हिंदी का सवाल है, हिंदी हमारे देश की मुख्य–प्रचार भाषा है। हिंदी भाषा के आलोचक भी इस बात का समर्थन करेंगे कि देश में उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में हिंदी का योगदान सदैव ही रहा है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने तो यह बात बहुत पहले समझ ली थी और वे अपने विज्ञापन हिंदी में प्रसारित करने लगे। देश की बड़ी कम्पनियों ने अपने कुल विज्ञापन खर्चे का अधिकांश हिस्सा हिंदी के विज्ञापनों पर खर्च किया है और जनमानस को अपने व्यवसाय से जोड़कर लाभ कमाया है। कई छोटी–बड़ी कम्पनियाँ यह मान रही हैं कि संपर्क भाषा राष्ट्रभाषा एवं जन–जन की भाषा हिंदी में संवाद या सम्प्रेषण से ही जनमानस से जुड़ा जा सकता है और व्यवसाय को सफल बनाया जा सकता है। कुछ कम्पनियों के विज्ञापन इस बात के सच्चे गवाह हैं कि वे लुभावने वाले साबित होते हैं जैसेः ''लाईफ हो तो ऐसी'' ''खाओ ब्रिटानियाँ 50–50''''ये दिल मांगे मोर''''हो जाए कुछ मीठा'' ''पेट की परेशानी–डाबर पोदीना हरा'' ''सड़ने से सुरक्षा कोने–कोने तक–कोलगेट'' ''आप सोयेंगे तो देश कैसे जागेगा–टाटा चाय,'' ''आपके सपने सिर्फ आपके नहीं–केनरा बैंक,'' ''अटूट बंधन अटूट नेटवर्क–एयरटेल, जैसे हृदयस्पर्शी विज्ञापन हिंदी की ताकत को नयी ऊँचाई देते हैं। बाजार सर्वेक्षण में यह पाया गया कि दूरदर्शन पर दिए जाने वाले अंग्रेजी विज्ञापनों के ठोस परिणाम नहीं आने के कारण इनका हिंदी रूप दिया गया। इसके अलावा, चर्चित चेहरों द्वारा भी हिंदी में विज्ञापन देकर कम्पनियां अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करती है ।

सरकारी प्रचार–तंत्र भी सार्वजनिक हित में विज्ञापन देने के लिए हिंदी और भारतीय भाषाओं को आधार बनाना अधिक उपयोगी मानता है। प्रौढ़–शिक्षा, परिवार नियोजन, सुरक्षा आदि के प्रचार कार्य में भारतीय भाषाओं का प्रयोग इस बात का जीवंत उदाहरण है। निजी संस्थाएं भी हिंदी का प्रयोग आस्था के साथ कर रही हैं, जैसे स्कूटर का विज्ञापन है– ''बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर'' या ''आम के आम गुठलियों के दाम'' अर्थात् भाषा को निरंतर जीवंत बनाए रखने के लिए जन–जीवन में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों के अनुकूल मुहावरों और शब्दावली का इस्तेमाल कर भारतीय जनमानस पर छाप छोड़ने का प्रयास किया जाता है। कुछ विज्ञापनों ने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है जैसे–''इसकी ठंडक बेमिसाल''या ''तूफानी ठंडा'' आदि। हिंदी ने शब्द निर्माण की कसौटी पर अपने आपको खरा सिद्ध किया है।

विज्ञापन के युग में कार्यालय, संस्थान, कंपनी आदि के पत्र शीर्ष, लिफाफों, फर्नीचर, स्टेशनरी,विजिटिंग कार्ड, नोटिस बोर्ड, वाहन, भवन और यहां तक की स्टाफ की वर्दियों तक में प्रचार की सामग्री देखने को मिलती है, जो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से संदेश पहुंचने का एक अच्छा माध्यम साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त, कैलेंडर, डायरी, बोर्ड, बैनर, होर्डिंग में भी विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। पत्र पत्रिकाएं, टीवी एवं अन्य संचार के माध्यम तो स्थायी एवं लोकप्रिय माध्यम के रूप में मौजूद हैं। जहां रुचि, आकर्षण पैदा करने, लुभाने का अवसर होता है वहां विज्ञापन को उपयोगी समझा जाता है, इसलिए खेलों के बीच विज्ञापन, उत्सवों मेलों, सम्मेलनों एवं धार्मिक–सामाजिक कार्यक्रमों में भी विज्ञापनों की उपस्थिति देखी जाती है।

आज के आधुनिक व्यवसायिक परिवेश में हिंदी एवं अन्य भाषाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय बाजार सबसे बड़ा बाजार है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियों को हिंदी का दामन थामना पड़ रहा है और वे चुनौती से लड़ने के लिए विज्ञापन को एक अस्त्र के रूप में अपनाकर भारतीय बाजार में अपने उत्पाद को स्थापित कर रही हैं। खुले बाजारवाद के दौर में कोई भी उत्पादक या कंपनी पिछड़ना नहीं चाहती है। अपने उत्पाद के गुण–धर्म को ऐसा लुभावना बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कि उसे लेने के लिए उपभोक्ता का मन डोलने लगता है। उत्पाद को लुभावना बनाने में विज्ञापन की भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो देश की भाषा, जनमानस की भाषा विज्ञापन की भाषा होगी तो न केवल निर्माताओं के लिए बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी की भूमिका अत्यंत प्रभावी रहेगी। भाषा को अनदेखा कर कोई भी विज्ञापन अपने ईष्टतम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता, इसलिए हिंदी अब साहित्य के दायरे से निकलकर व्यवहारमूलक क्षेत्रों में भी विजय पताका फहराकर अपनी मजबूती बढ़ा रही है। विज्ञापनों को सुदृढ़ बनाने के लिए जहाँ एक ओर हिंदी की आवश्यकता निरंतर महसूस की जाती है वहीं दूसरी ओर विज्ञापनों ने हिंदी को ताकत और व्यापकता प्रदान की है।

महारानी दुर्गावती

डॉ विपुल जैन*

माँ भारती की तेजस्वी ओजस्वी वीरांगना बेटी महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिसिंह चंदेल की एकमात्र संतान थीं। महोबा के राठ गांव में **5** अक्तूबर **1524** ई. की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। बाल्यकाल में ही दुर्गावती जी की माँ का देहांत हो गया। उनके पिता ने बचपन से ही उन्हें अस्त्र–शस्त्र और घुड़सवारी की शिक्षा–दीक्षा दी। राजा अपनी बेटी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे यह देखकर की उनकी बेटी राजनीति एवं राजकार्य में उतनी ही कुशल थी, जितनी तीरंदाजी में ।

नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुन्दरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गयी। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपतशाह से विवाह करके उसे अपनी पुत्रवधू बनाया था।

कुछ ही समय बाद राजा दलपत शाह का निधन हो गया मजबूरीवश रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली। उन्होंने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, पुराने कूपों की मरम्मत करवाई। राज्य के सभी कर्मचारियों से सीधे संवाद करतीं एवं स्वयं अपने राज्य का समय – समय पर दौरा करती थी एवं प्रजा के सुख–दुख में सहभागी बनती थीं। उनके कुशल नेतृत्व में गोंडवाना एक सम्पन्न राज्य बन गया ।

मुगल सम्राट अकबर के निर्देश पर आसिफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी पहले से ही सतर्क थी। उनकी सेना बहादुरी से लडी तथा कई मोर्चों पर उनकी जीत हुई। रानी की किलेबंदी इतनी अचूक थी कि यदि मुगल सेना लगातार एक वर्ष तक किले के बाहर से आक्रमण करती तो भी रानी को कोई क्षति नहीं होती। किले के भीतर एक वर्ष के लिए अन्न भंडार व जल का संचय किया गया था। लेकिन विश्वासघाती लालची पड़ोसी राजा सुधार सिंह ने साधुवेश में जासूसी कर गोंडवाना के भेद अकबर तक पहुँचाये एवं अकबर को आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सुधार सिंह के बहकावे में आकर रानी के विश्वासपात्र बदन सिंह ने धोखा किया एवं किले में प्रवेश करने वाले गुप्त मार्ग का द्वारा खोल दिया जिससे मुगल सेना ने किले में प्रवेश कर लिया।

रानी इस धोखे से किये गए आक्रमण के लिए सजग नहीं थी। इसके बावजूद उनकी सेना बहादुरी से मुगल सेना से लड़ी। पुरुष वेश में लड़ रही रानी के वार से मुगलों के छक्के छूटने लगे। जान बचाने के लिए मुगल सेना इधर–उधर भागने लगी ।

दूसरे दिन पुनः भीषण युद्ध हुआ। जिसमें रानी के पुत्र वीर नारायण गम्भीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें रानी ने चौरागढ़ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। रानी हाथी पर बैठ कर लड़ी। मुगल सेना से युद्ध करते–करते रानी को एक तीर कंधे में लगा। उस तीर को निकाल कर वह फिर युद्ध करने लगीं। इसके कुछ घंटे बाद एक तीर उनकी आंख में लग गया। बहते खून को देखकर उनके सिपहसालार आधार सिंह ने उन्हें युद्ध भूमि छोड़ने का निवेदन किया परंतु दुर्गावती ने कहा मेरे शरीर से बहता खून नहीं ये वीरांगना का आभूषण है। सैनिकों ने उनसे युद्ध भूमि छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चलने को कहा। रानी ने मना कर दिया और कहा युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा उन्हें युद्ध में विजय या वीरगति में से एक चाहिए। जब रानी असहाय हो गई तब उन्होंने एक सैनिक को पास बुलाकर कहा, अब तलवार घुमाना असंभव है। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है। उसके हाथों में आने बजाय रणभूमि में वीर गति स्वीकार्य

*प्रतिनिधि, डेरावाल फार्मिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, मुजफ्फरनगर

है। शरीर का एक अंग भी शत्रु के हाथ न लगे। रानी ने कहा यही उनकी अंतिम इच्छा है।

रानी ने सैनिकों से अपने ऊपर वार कर जीवन का अंत करने को कहा परंतु कोई भी सैनिक अपनी रानी को मारने की हिम्मत नहीं कर सका तो उन्होंने स्वयं ही अंत मे अपने महावत से तलवार छीन कर स्वयं अपने हाथों अपने जीवन का जून 1564 को अंत कर लिया। महावत ने जब रानी को अपने सामने मरते हुए देखा, तब उसने भी उसी कटार से, अपने प्राणान्त कर लिए।

एक तरफ रानी के साथ रणभूमि प्राण त्यागने वाला विश्वासपात्र महावत था, तो दूसरी तरफ विश्वासघाती बदन सिंह जैसा लालची गद्दार भी था जिसने मुगल सम्राट अकबर से सत्ता के लालच में अपनी रानी से गद्दारी की।

भारत की माटी कभी वीर–विहीन नहीं रही है। भारतीय नारी न तो अबला थी न कभी असहाय थी। जब–जब देश पर संकट आया वीरांगनाओं ने युद्धभूमि में केवल युद्ध ही नहीं किया बल्कि कुशलता के साथ सेना का नेतृत्व भी किया ।

नारी शक्ति है, सम्मान है,
नारी गौरव है, अभिमान है,
नारी ने ही ये रचा विधान है,
हमारा नतमस्तक इसको प्रणाम है।
जय भारत की नारी।

कितना अजीब इत्तेफ़ाक था

विपिन कुमार सिंह*

कितना अजीब इत्तेफ़ाक था,
तेरा–मेरा दो पल का ही साथ था।

छोटी–छोटी ख़्वाहिशें और सपने,
दिल में उमड़ रहा सैलाब था,
तेरे उसूल मेरी समझ के परे
हम अपने–अपने सच पर ही खरे
मन में क़ैद कुछ अनकहे लफ़्ज़,
जिंदगी के कुछ तीखे सवाल
इस मिलन की अब न कोई आस,
हम दोनों में फ़ासला बेहिसाब था।

जिंदगी ने दिए कुछ कड़वे अनुभव,
ना तुझे पाने की तमन्ना और
ना कुछ खोने का ग़म
तिरछी आँखों से तुम्हें ताकते रहना,
अब उन ज़ज्बातों का मिट्टी में दफन हो जाना
परेशान–सी जिंदगी में नए सैलाब।

पहले तेरे आने की आहट से,
मुझमें खुशी की चाहत अभी
कल्पना की उड़ान भरी ही थी मैंने,
और फिर ..... बेहिसाब शिकायतों का सिलसिला और
अब, ... हमारे दरम्यां यह खालीपन,
सच मंजिलों तक नहीं ले जाते हैं
तेरी कमी आज भी दिल में बाकी है।

कितना अजीब इत्तेफ़ाक था,
तेरा–मेरा दो पल का ही साथ था।

*सहायक प्रबंधक (लेखा), क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई

12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

सचिव (राजभाषा) *

राजभाषा अर्थात् राज–काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम–जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। **वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों /बैंको आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।** तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत–मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो?, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने–कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुंचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितंबर, 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया।

26 जनवरी, 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी।

अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां 'आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा–हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्पित है। केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन–प्रतिदिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के **''आत्मनिर्भर भारत'' ''स्थानीय के लिए मुखर हों** (Self Reliant India-Be vocal for local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी–डैक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल **''कंठस्थ''** का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ–साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो।

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए? इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति–विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए

*राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से साभार

माननीय प्रधानमंत्री जी के छः डी–

Democracy (लोकतंत्र)
Demand (मांग)
Demographic Dividend (जनसांख्यिकीय विभाजन)
Deregulation(अविनियमन)
Descent (उत्पत्ति)
Diversity (विविधता)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने "12 प्र की रणनीति–रूपरेखा (Frame work) की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है :

1. प्रेरणा (Inspiration and Motivation)

प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्ज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

2. प्रोत्साहन (Encouragement)

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय–समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है।

3. प्रेम (Love and Affection)

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है। यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

4. प्राइज अर्थात पुरस्कार (Rewards)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों/उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने–कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल **'कठस्थ'** के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव (रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग छह महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5. प्रशिक्षण (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग–अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं–"आवश्यकता आविष्कार और नवीकरण की जननी है।" कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय–समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए ई–प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान–केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत–स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वदेशी NIC-Video Desktop पर माइग्रेट किया जा रहा है।

6. प्रयोग (Usage)

'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं **(If you do not use it, you lose it)** हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे–धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है कि भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय–समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7. प्रचार (Advocacy)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व–माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट–ब्रैंड़ राजदूत (Brand Ambassadors) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश–विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न–भिन्न भाषा–भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वतः ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों का बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

8. प्रसार (Transmission)

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार–प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह–पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। **राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट** rajbhasha.gov.in **पर बनाए गए ई–पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई–पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।** राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ–साथ बॉलीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9. प्रशासन और प्रबंधन (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय–समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच–बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

10. प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं। समय–समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी।

11. प्रतिबद्धता (Commitment)

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व

(माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplery Leadership) से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच–बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है **जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है।** अभी हाल में ही राजभाषा विभाग ने सबको पत्र लिखकर आग्रह किया है :

(क) हर माह में एक बार सचिव/अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम–काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें।

(ख) अपने मंत्रालय/विभाग/संस्थान में अपने संयुक्त सचिव (प्रशासन)/प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।

12. प्रयास (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। **यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं कि**

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती

नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगता है
जा–जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती

असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो

जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्पित और निरंतर प्रयासरत है। विभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) का भी आश्रय ले रहा है। विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों **आवश्यक परिस्थितियां** (Necessary Conditions) हैं। इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास **पर्याप्त परिस्थितियां** (Sufficient Conditions) हैं।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन **बारह 'प्र'** को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के **'एक भारत, श्रेष्ठ भारतः सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत'** के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

वाणिज्यिक दृष्टिकोण से निगम का परिचय....

अंजली नेगी*

केंद्रीय भंडारण निगम अनुसूची 'ए' मिनी रत्न श्रेणी – I का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जिसे 'वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक दायित्वपूर्ण एवं पर्यावरण–अनुकूल ढंग से विश्वसनीय, किफायती, मूल्य संवर्धक तथा एकीकृत भंडारण अवसंरचना और अन्य लॉजिस्टिक्स समाधान सुलभ कराना है। वर्तमान में केंद्रीय भंडारण निगम सामान्य गोदाम (General Warehouses), कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (CFSs)/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICDs), एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स (ACC) एवं एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) सहित कुल 145 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का संचालन कर रहा है।

केंद्रीय भंडारण निगम की वेअरहाउसिंग गतिविधियों में खाद्यान्न वेअरहाउसिंग, औद्योगिक वेअरहाउसिंग, कस्टम बॉन्डेड वेअरहाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। भंडारण के अलावा निगम हैंडलिंग और परिवहन, पीसीएस यानि कीटाणुशोधन, धूमन आदि क्षेत्रों की सेवाएं भी प्रदान करता है। निगम वेअरहाउसिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विभिन्न एजेंसियों को परामर्श सेवाएं/प्रशिक्षण आदि भी प्रदान कर रहा है।

केंद्रीय भंडारण निगम कृषि–उत्पाद से लेकर औद्योगिक सामान, एफएमसीजी (FMCG), इलेक्ट्रॉनिक सामान, ई–कॉमर्स, बॉन्डेड आइटम और आयात–निर्यात कार्गो आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भंडारण करता है। निगम की औसत भंडारण क्षमता उपयोगिता 90% के लगभग रहती है। यह सरकार की पीडीएस (PDS) योजना के क्रियान्वयन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। देश भर में निगम के गोदामों का विशाल नेटवर्क, खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बेस डिपो (अर्थात लगभग एक लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम) वर्तमान में जिनकी कुल संख्या 07 है, रेलवे लाइनों से जुड़े बफर जोन / हब के रूप में कार्य करते हैं और अपने आसपास की छोटी इकाइयों के लिए आपूर्ति का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत, कोविड महामारी के दौरान निगम ने 253.71 एलएमटी खाद्यान्न का रखरखाव एवं ट्रांसपोर्टेशन किया तथा कठिन समय के दौरान सीमावर्ती योद्धाओं के रूप में काम करते हुए देश को खाद्यान्न की आपूर्ति में मदद की।

वर्ष 2020–21 के दौरान निगम ने 1.55 एलएमटी की नई अतिरिक्त क्षमता जोड़ी है। इसके अलावा निगम गोदामों के एकत्रीकरण के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है, जिसके तहत एक एग्रीगेशन मॉड्यूल (WEE@CWC) तैयार किया गया है, जिसमे सभी इच्छुक गोदाम धारक पंजीकृत कर सकते हैं, जिससे भविष्य में किराए पर अविलंब गोदाम उपलब्ध कराये जा सकें। वर्तमान में निगम एसेट लाइट मॉडल (ALM) के तहत 60 से अधिक स्थानों पर इकाइयों को सफलतापूर्वक चला रहा है।

निगम सीसीआई (CCI) एवं नेफेड (NAFED) जैसी बड़ी प्रोक्यूरमेंट एजेंसियों की सभी प्रकार की वेअरहाउसिंग जरूरतों के लिए एक संपर्क कार्यप्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है तथा अनेक छोटी–बड़ी इकाइयाँ, या तो गोदामों के रूप में अथवा उपग्रह इकाइयों के रूप में, सीसीआई और नेफेड को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। रिलायंस, अमेज़ॅन, बिग बास्केट इत्यादि जैसे कई बड़े ई–कॉमर्स दिग्गजों ने भी निगम की वेअरहाउसिंग सुविधाओं में अत्यंत दिलचस्पी

*प्रबंधक (वाणिज्यिक), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

दिखाई है और वितरण, पूर्ति केंद्रों और शहरी इकाइयों को स्थापित कर अपने नेटवर्क को और मजबूती प्रदान की है। देश भर के 85 स्थानों पर निगम इस क्षेत्र को वेअरहाउसिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है और अन्य स्थान भी पाइपलाइन में हैं।

निगम के कुल 337 सामान्य गोदाम भांडागार विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA) से पंजीकृत हैं जो किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संख्या है और जहां किसानों एवं व्यापारियों को अपने भंडारित कृषि–उत्पाद पर ई–एनडब्ल्यूआर (E-NWR) जारी किए जाते हैं और हजारों किसानों को निगम के गोदामों में रखे गए उत्पादों पर वित्तीय सहायता प्राप्त होती है ।

निगम ने कृषि–उत्पादों की गोदाम–आधारित बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई–ट्रेडिंग प्रचालकों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो किसानों और व्यापारियों के लिए उनकी उपज हेतु सर्वोत्तम मूल्य खोजने के लिए एक गेम चेंजर के रूप में कार्य करेगा। निगम किसानों के उत्पाद का मूल्य बढ़ाने के लिए अन्य सुविधाएं जैसे परख, ग्रेडिंग, पैकेजिंग आदि भी अपने गोदामो में ही प्रदान करा रही है जिससे किसानों की आय दोगुना होने में मदद मिले तथा सरकार को भी अपने लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग मिल सके। साथ ही, निगम अखिल भारतीय स्तर पर वेअरहाउसिंग स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समग्र भंडारण समाधान प्रदान करने की और अग्रसर है ।

राजभाषा हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

★ हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी । सभी शासकीय कार्यों में भारतीय अंकों के अंतराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा।

★ संविधान का अनुच्छेद 351 सरकार को निर्देश देता है कि वह हिंदी का प्रचार–प्रसार करें ताकि वह भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों को अपने में समाहित कर सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सके।

★ संविधान के भाग 17 (अनु.343–351) कुल 9 अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी का प्रावधान है।

★ 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को सर्वानुमति से हिंदी राजभाषा बनी है।

★ 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था।

★ राजभाषा आयोग (सन् 1955) के अध्यक्ष श्री बी.जी. खेर थे।

★ राजभाषा अधिनियम – 1963 में कुल 9 अनुच्छेद हैं । धारा 3 (3) प्रमुख है, जिसमें 14 प्रकार की साम्रगी द्विभाषी होगी ।

★ राजभाषा संकल्प 1967–68 लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित।

★ राजभाषा नियम 1976 कुल 12 नियम–प्रत्येक नियम को महत्ता–12 वां नियम–प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व।

★ राजभाषा संबंधी प्रमुख समितियां – छः निम्नानुसार है :– 1. केंद्रीय हिंदी समिति–अध्यक्ष, प्रधानमंत्री 2. संसदीय राजभाषा समिति–अध्यक्ष, गृहमंत्री 3. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति–अध्यक्ष, सचिव (राजभाषा) 4. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति–अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख 5. हिंदी सलाहकार समितियां–अध्यक्ष, संबंधित मंत्रालय के मंत्री 6. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां–अध्यक्ष, नगर के वरिष्ठतम अधिकारी।

★ सामान्यतः देवनागरी लिपि में – हिंदी, संस्कृत, मराठी एवं नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं।

★ हिंदी भाषा समूचे विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक, मधुर, सुग्राह्य एवं प्रचलित भाषा है।

★ संसदीय राजभाषा समिति एक उच्चस्तरीय समिति है, जो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है ।

पोषण युक्त फसलोत्पादन समय की आवश्यकता

वरुण भारद्वाज*

प्राकृतिक आपदाएं समाज के अस्तित्व के सामने अक्सर चुनौतियाँ खड़ी करती हैं। ऐसे में प्रत्येक देश की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि कोविड–19 महामारी से प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की खाद्य असुरक्षा अर्थात पौष्टिक आहार की कमी का सामना न करना पड़े। चूंकि भोजन मनुष्य की पहली आवश्यकता है, इस आवश्यकता की पूर्ति का सहारा मूल रूप में कृषि है। इस प्रकार कृषि, मनुष्य अथवा किसी भी देश का प्राथमिक और सबसे ज्यादा जरूरी उद्यम है। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां पहले खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य पेट भर रोटी उपलब्ध होने से था, वहीं आज खाद्य सुरक्षा से आशय जनसामान्य को पौष्टिक आहार की उपलब्धता से है।

खाद्यान्न का खूब उत्पादन होने पर अनाज की उपलब्धता तो बढ़ती है परन्तु यह जरूरी है कि जन सामान्य को पोषण युक्त अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। खाद्य प्रणाली की प्राथमिक ईकाई किसान है किंतु अन्न उपजाने के लिए किसान को भी जमीन चाहिए, संसाधन चाहिए और कृषि की लागत निकालने व जीवन–यापन के लिए उपज का समुचित मूल्य चाहिए। वह अपना अन्न भूखे इंसानों को निःशुल्क नहीं बाँट सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक जन–वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न वितरित किए जाने के बावजूद बढ़ती हुई आबादी एवं वर्तमान कोविड–19 महामारी से पोषक भोजन की उपलब्धता एक चुनौती बनती जा रही है।

मार्च, 2020 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन के अधिकारियों द्वारा साझा बयान में आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई थी। वर्तमान में यह चिंता सत्य प्रतीत हो रही है क्योंकि लॉकडाउन के कारण विश्व के सभी देशों में कृषि गतिविधियां नकारात्मक रूप से प्रभावित हुईं हैं। एक अनुमान के अनुसार इस वर्ष कोविड – 19 के कारण 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो सकते हैं और पोषणयुक्त भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने की आशंका है। यहां तक कि जिन देशों में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है, वहां भी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होने का जोखिम दिखाई दे रहा है। जिससे वैश्विक स्तर पर एक अस्थिरता का माहौल है।

पोषण युक्त उपज से वैश्विक स्थिरता के लिए प्रत्येक देश के किसानों को निरंतर नवाचार के माध्यम से अधिक गतिशील, उद्यमी और प्रतिस्पर्द्धी बनाने पर बल देना चाहिए, यह हर देश की प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। किसानों को पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन खाद्य पदार्थों को देश भर और उसके बाहर भी, ऐसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जो कोविड – 19 से उत्पन्न संकट से जूझ रहे हैं।

यह माना जाता है कि खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन में वृद्धि करने के निरन्तर प्रयास होते रहना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप नई तकनीकों का उपयोग करने के साथ–साथ सरकारों को कृषि व्यवस्था की बेहतरी के लिये पुर्ननिर्माण की नीति अपनानी चाहिए। किसान के सामने आज विभिन्न चुनौतियाँ हैं जिनमें बीज और खाद की आसानी से उपलब्धता नहीं है, सिंचाई की समस्या है, खेत सिकुड़ रहे हैं, तेल और ईधन की कीमतें उछाल पर हैं तथा किसान जैसे–तैसे बसर कर रहे हैं। पोषण युक्त उपज के

*सहायक प्रबंधक (राजभाषा/प्रशासन), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

लिए हमें अपने अन्नदाता किसान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना होगा। एशिया–प्रशांत महासागर क्षेत्र में बेहतरीन कृषि वैज्ञानिक और संस्थान विद्यमान हैं। हम इन संस्थानों के सहयोग और समन्वय से इस महामारी से लड़ सकते हैं। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों को अपने शोध से उत्पादन के साथ–साथ पोषण युक्त उपज को बढ़ाना होगा।

भारत में गेंहू और धान की तरह दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की उपयुक्त प्रणाली न होने के कारण किसान पोषक फसल जैसे – दाल की खेती करने में रुचि नहीं दिखाते। चावल–गेंहू प्रणाली में अथवा खरीफ/रबी मौसम में ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में दलहनी अथवा फलीदार फसलों की खेती अत्यंत आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दालों को शामिल करने से मृदा स्वास्थ्य के साथ–साथ आम लोगों के लिए पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने का दूरगामी लाभ प्राप्त होगा।

हमारे देश में अधिकतर लोग शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं जिससे उनकी पोषण सुरक्षा में विभिन्न फसलों की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न तरह के पोषक तत्वों से भरपूर अनाज, फल एवं सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि से कम कीमत में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पोषण सुरक्षा की जा सकती है। हमारे देश में कुपोषण व कम पोषण से होने वाली बीमारियों की वजह से सब्जियों का काफी महत्व है। उन्नत किस्म एवं उत्पादन में नई तकनीकों को अपनाने से पोषक उपज में वृद्धि संभव है। हमें पोषक तत्वों से भरपूर फसलें उगानी चाहिए जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं–

पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी फसलें	
पोषक तत्व	**फसल का नाम**
विटामिन ए	गाजर,पालक,करी पत्ता,धनिया पत्ता
विटामिन बी	मटर, मिर्च, लहसुन,
विटामिन सी	शिमला मिर्च, करेला, टमाटर
कैल्शियम	प्याज, ब्रोकली, मेथी
लौह तत्व	चौलाई, पालक, मेथी
आयोडीन	भिंडी, एसपेरागस

आज पूरा विश्व पोषण युक्त उपज से स्थिरता बनाए रखने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। पोषक एवं पारंपरिक फसलें जैसे ज्वार, बाजरा का उत्पादन बढ़ने के साथ – साथ कृषि वैज्ञानिकों को पोषण को ध्यान में रखते हुए बायो फोर्टिफाइड फसलों/किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा जिनमें स्वास्थ्यवर्द्धक पोषक तत्व उपस्थित हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कई अनुसंधान संस्थानों ने फसलों की पोषणवर्द्धक किस्मों का निर्माण किया है, जिन का प्रसार आज समय की मांग है।

अमूमन किसान पोषक फसलों का उत्पादन इसलिए नहीं करता कि पोषक खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ कम होती है और भंडारण की उचित व्यवस्था न होने से उसकी उपज को नुकसान हो सकता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि बाजार मूल्य के अनुकूल होने तक वे अपने उत्पाद को अपने पास रख सकें। देश में कृषक समाज को उनके उत्पाद को क्षरण और ह्रास से बचाने के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण भंडारण पर बल दिया जाना चाहिए। भारत में केन्द्रीय भंडारण निगम इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

उत्पादन की जो भी स्थिति हो, राज्य के तथा समाज के सभी वर्गों को उनकी जरूरत के अनुरूप पौष्टिक आहार का अधिकार मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि खाद्यान्न की कीमत इतनी अधिक न हो कि व्यक्ति या परिवार अपनी जरूरत के अनुरूप मात्रा एवं पोषण पदार्थों का उपभोग न कर सके। स्वाभाविक है कि समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिये खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि कोविड–19 से उत्पन्न भयावह स्थिति से बचा जा सके। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वरदान साबित हो रही है।

कोविड – 19 महामारी के चलते विश्व भर में विकास की गति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस महामारी के प्रभाव से भूख या अल्पपोषण की दर में वृद्धि हो रही है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका उनके भविष्य पर दीर्घकालिक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस महामारी से उत्पन्न होने वाले पौष्टिक खाद्य संकट से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस समय प्रत्येक देश कों **"वसुधैव कुटुम्बकम"** के मूल मंत्र को लेकर एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। अगर प्रत्येक राष्ट्र पोषण युक्त उपज उगाने का एक लक्ष्य निर्धारित कर ले तो कोविड–19 से उत्पन्न भयावह स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है।

राजभाषा हिंदी से संबंधित सामान्य जानकारी

हिंदी में प्रवीणता– किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है यदि–

(क) उसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या इससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाकर उत्तीर्ण है, अथवा

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समकक्ष या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को उसने एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, अथवा

(ग) वह यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है ।

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान – किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि उसने –

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या इससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है, अथवा

(ख) केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के संबंध में निर्धारित कोई निम्नतर परीक्षा उत्तीण की है, अथवा

(ग) यदि वह यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

राजभाषा (संघ) के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 नियम 2 –

(क) क्षेत्र 'क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं ।

(ख) क्षेत्र 'ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं ।

(ग) क्षेत्र 'ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं ।

नियम 8 –

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियों का लिखा जाना–

(1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा ।

नियम 10 (4) –

केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिंदी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। परंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी, अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले

*राजभाषा विभाग के आदेशों के संकलन से साभार

कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा ।

नियम 11 –

मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि –

(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा

(2) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे ।

(3) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होगी । परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्र सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है ।

नियम 12 –

अनुपालन का दायित्व (1) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह –

(1) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों ओर उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और,

(2) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें ।

(3) केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय–समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है ।

(राजभाषा विभाग के आदेशों के संकलन से साभार)

राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत क, ख एवं ग क्षेत्रों का वर्गीकरण

इस नियम के अनुसार पूरे देश को तीन भागों अर्थात् क, ख तथा ग क्षेत्रों में बाँटा गया है।

क. क्षेत्र में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

ख. क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

ग. क्षेत्र में ऊपर दिए गए राज्यों एवं संघ राज्यों को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

जहाँ तक केंद्रीय भंडारण निगम का संबंध है क, ख एवं ग क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यालय आते हैं।

क्षेत्र क. निगमित कार्यालय, एवं क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर।

क्षेत्र ख. क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, अहमदाबाद एवं चंडीगढ़।

क्षेत्र ग. क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलूरू, गुवाहाटी, कोलकाता एवं कोच्चि।

हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद–भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है ।

मदन मोहन मालवीय

पत्नी

जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905, में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी हैं। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। इनके जन्म के दो वर्ष पश्चात् इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन–पोषण किया। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। वहीं जैनेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा–दीक्षा हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। जैनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए ये लाला लाजपत राय के 'तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स' में भी रहे परंतु अंत में उसे भी छोड़ दिया। सन् 1921 से 1923 के बीच जैनेंद्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। परंतु सन् 1923 में वे नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तीन माह के बाद छूट गए। दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से अपने को अलग कर लिया। जीविका की खोज में ये कलकत्ता भी गए, परंतु वहाँ से भी इन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। 24 दिसम्बर, 1988 को उनका निधन हो गया। हिन्दी के आलोचक प्रो. नामवर सिंह ने कहा है कि विश्व साहित्य में भारतीय कहानियों का अपना मौलिक चरित्र है और विश्व साहित्य में जब कभी भारतीय कहानियों की बात होगी तो प्रेमचंद के साथ जैनेन्द्र को ज़रूर याद किया जाएगा।

शहर के एक ओर तिरस्कृत मकान। दूसरा तल्ला, वहां चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था बीस–बाईस के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है।

एकाएक अंगीठी में राख होती आग की ओर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वह उठी। उठकर कुछ कोयले लाई। कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करू? घर में और कोई नहीं और समय बारह से ऊपर हो गया है।

दो प्राणी घर में रहते हैं–पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं कि लौटे नहीं और पत्नी चौके में बैठी है।

सुनन्दा सोचती है–नहीं, सोचती कहां है? असल–भाव से वह तो वहां बैठी ही है। सोचने को है तो यही कि कोयले न बुझ जाएं।

......वे जाने कब आ जाएंगे? एक बज गया है। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र करनी चाहिए। ....और सुनन्दा बैठी है। वह कुछ कर नहीं रही है। जब वे आएंगे तब रोटी बना देगी। वे जाने कहां–कहां देर लगा देते हैं। और कब तक बैठूं? मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहक आए हैं। और उसने झल्लाकर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वह रोटी बना ही देगी। उसने खीझकर जोर से आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोडी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। क्षण–भर वह आभा उसके चेहरे पर रहकर चली गई और वह फिर उसी भांति काम में लग गई।

कालिंदीचरण पति आए। उनके पीछे–पीछे तीन और उनके मित्र भी आए। ये आपस में बातें करते आ रहे थे और खूब गर्म थे। कालिंदीचरण अपने मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी बहस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में कटिबद्ध हैं। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारतमाता को स्वतंत्र कराना होगा और नीति–अनीति हिंसा–अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ मारना ही एक

इलाज है। आतंक! हां आतंक। हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा? लोग हैं, जो कहते हैं, आतंकवादी मूर्ख हैं, वे बच्चे हैं। हां, वे हैं, बच्चे और मूर्ख। उन्हें बुजुर्गों और बुद्धिमानी नहीं चाहिए। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की। हमें नहीं मोह अपने बाल–बच्चों का। हमें नहीं गर्ज धन–दौलत की। तब हम मरने के लिए आजाद क्यों नहीं हैं? जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही। उससे वे डरें जो डरते हैं। डर हम जवानों के लिए नहीं है।

फिर वे चारों आदमी निश्चय करने लगे कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए।

इतने में कालिंदीचरण को ध्यान आया कि न उसने खाना खाया है, न मित्रों को खाने के लिए पूछा है। उसने अपने मित्रों से माफी मांगकर छुट्टी ली और सुनन्दा की तरफ चला।

सुनन्दा जहाँ थी, वहां है। वह रोटी बना चुकी है। अंगीठी के कोयले उलटे तवे से दबे हैं। माथे को उंगलियों पर टिकाकर वह बैठी है। बैठी–बैठी सूनी–सी देख रही है। सुन रही है कि उसके पति कालिंदीचरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उसे जोश का कारण नहीं समझ में आता। उत्साह उसके लिए अपरिचित है। वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है, स्पृहणीय, मनोरम और हरियाली। वह भारतमाता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको न भारतमाता समझ में आती है, न स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे इन लोगों की इस जोरों की बातचीत का मतलब ही नहीं समझ में आता। फिर भी, सच उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की हौंस उसमें बुझती–सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा कि पति उससे भी कुछ देश की बात करें। उसमें बुद्धि तो जरा कम है, पर फिर धीरे–धीरे क्या वह भी समझने नहीं लगेगी। सोचती है, कम पढ़ी हूं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब तो पढ़ने को तैयार हूं। लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा उसका काम तो सेवा है। बस यह मानकर उसने कुछ समझने की चाह ही छोड़ रखी है। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती! वह एक बात जानती है कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है, घर का मकान छोड़ दिया है, जान–बूझकर उखड़े–उखड़े और मारे–मारे जो फिरते हैं, इसमें वे कुछ भला ही सोचते होगें। इसी बात को पकड़कर वह आपत्तिशून्य भाव से पति के साथ विपदा–पर–विपदा उठाती रही है। पति ने कहा भी है कि तुम मेरे साथ दुख क्यों उठाती हो, पर यह सुनकर वह चुप रह गई है। सोचती रह गई कि देखो, कैसी बातें करते हैं वह जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं, वह सरकार उनके इस तरह के कामों से बहुत नाराज है। सरकार सरकार है। उसके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है, पर यह जितने हाकिम लोग हैं, वे बड़े जबरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी–बड़ी ताकते हैं। इतनी फौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंश और चपरासी और थानेदार और वायसराय–ये सब सरकार ही हैं। इन सबसे कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक बाते नहीं है, पर यह उसी लड़ने में तन–मन बिसार बैठे हैं। खैर, लेकिन ये सब–के–सब इतने जोर से क्यों बोलते हैं? उसको यही बहुत बुरा लगता है। सीधे–सादे कपड़े में एक खुफिया सा आदमी हरदम उनके घर के बाहर रहता हैं। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? इतने जोर से क्यों बोलते हैं?

बैठे–बैठे वह इसी तरह की बातें सोच रही हैं। देखो, अब दो बजेगें। उन्हें न खाने की फिक्र, न मेरी फिक्र। मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए। ऐसी ही बेपरवाही से तो वह बच्चा चला गया। उसका मन कितना भी भी इधर–उधर डोले, पर अकेली जब होती है तब भटक–भटकाकर वह मन अंत में उसी बच्चे के अभाव पर आ पहुंचता है। तब उसे बच्चे की वही–वही बातें याद आती हैं–वे बड़ी प्यारी आँखें, छोटी–छोटी उंगलियां और नन्हें–नन्हें ओंठ याद आते हैं। अठखेलियां याद आती हैं। सबसे ज्यादा उसका मरना याद आता है। ओह! यह मरना क्या है? इस मरने की तरफ तो उससे देखा नहीं जाता। यद्यपि वह जानती है कि मरना सबको है–उसको मरना है, उसके पति को मरना है। पर उस तरफ भूल से छनभर देखती है तो भय से भर जाती है। यह उससे सहा नहीं जाता। बच्चे की याद उसे मथ देती है। तब वह विह्वल होकर आँखे पोंछती है और हठात इधर–उधर की किसी काम की बात में अपने को उलझा लेना चाहती है। पर अकेले में, वह कुछ करे, रह–रहकर वही याद–वही, वह मरने की बात उसके सामने हो रहती है और उसका चित्त बेबस हो जाता है।

वह उठी। अब उठकर बरतनों को मांज डालेगी, चौका भी साफ करना है। ओह! खाली बैठी मैं क्या सोचती रहा करती हूं।

इतने में कालिंदीचरण चौके में आए।

सुनन्दा कठोरतापूर्वक शून्य को देखती रही। उसने पति की ओर नहीं देखा।

कालिंदी ने कहा, ''सुनन्दा खाने वाले हम चार हैं। खाना हो गया!''

सुनन्दा चून की थाली और चकला–बेलन और बटलोई, खाली बरतन वगैरह उठाकर चल दी, कुछ भी नहीं बोली।

कालिंदी ने कहा, ''सुनती हो, तीन आदमी मेरे साथ और हैं। खाना बन सके तो कहो, नही तो इतने में ही काम चला लेगें।''

सुनन्दा कुछ भी नहीं बोली। उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। यह उससे क्षमा–प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं, हँसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो। जैसे मैं गैर हूं। अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूं कि इनके ही काम में लगी रहूं। मैं कुछ नहीं जानती खाना–वाना और वह चुप रही।

कालिंदीचरण ने जरा जोर से कहा, ''सुनन्दा!''

सुनन्दा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक दें। किसी का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं हैं। उसे तनिक भी सुध न रही कि अभी बैठे–बैठे इन्हीं अपने पति के बारे में कैसी प्रीति की और भलाई की बातें सोच रही थी। इस वक्त भीतर–ही–भीतर गुस्से से घुटकर रह गई।

''क्यों? बोल भी नहीं सकती!''

सुनन्दा नहीं बोली।

''तो अच्छी बात है। खाना कोई भी नहीं खाएगा।''

यह कहकर कालिंदी तैश में पैर पटकते लौटकर चले गए।

कालिंदीचरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार समझे जाते हैं। सदस्य अधिकतर विवाहित हैं, कालिंदीचरण विवाहित ही नहीं हैं, वह एक बच्चा खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर हैं। कुछ लोग उनके धीमेपन से रुष्ट भी हैं। वह दल में विवेक के प्रतिनिधि है और उत्पात पर अंकुश का काम करते हैं।

बहस इतनी बात पर थी कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य उससे उत्तेजित ही रहता है या उसके भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं हैं। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं–इसी को मुक्त करना चाहते हैं। आतंक से वह काम नहीं होगा। जो शक्ति के मद में उन्मत हैं, असली काम तो उनका मद उताराने और उनमें कर्तव्यभावना का प्रकाश जगाने का है। हम स्वीकार करें कि उसका मद टक्कर खाकर, चोट पाकर ही उतरेगा। यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नोचा–नाची उपयुक्त नहीं। इससे सत्ता का कुछ बिगड़ता तो नहीं, उलटे उसे अपने औचित्य पर संतोष हो जाता है।

पर जब सुनन्दा के पास से लौटकर आया, तब देखा गया कि कालिंदी अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है। वह सहमत हो सकता है कि हां, आतंक जरुरी भी है। ''हां'' उसने कहा, ''यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरु कर दें''। इसके साथ ही कहा, ''आप लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? उनकी तबीयत खराब है, इससे यहां तो खाना बना नहीं। बताओं, क्या किया जाए? कहीं होटल चलें!''

एक ने कहा कि कुछ बाजार से यहीं मंगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए इसी तरह की बातों में लगे थे कि सुनन्दा ने एक बड़ी से थाली में खाना परोसकर उनके बीच ला रखा रखकर वह चुपचाप चली गई।

फिर आकर पास ही चार गिलास पानी के रख दिए और फिर उसी भांति चुपचाप चली गई।

कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया।

तीनों मित्र चुप रहे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पत्नी–पति के बीच स्थिति में कही कुछ तनाव पड़ा हुआ है। अंत में एक न कहा, ''कालिंदी, तुम तो कहते थे, खाना बना नहीं हैं।''

कालिंदी ने झेंपकर कहा, ''मेरा मतलब था, काफी नहीं हैं।''

दूसरे ने कहा, ''काफी है। सब चल जाएगा।''

''देखूं, कुछ और हो तो''–कहकर कालिंदी उठ गया।

आकर सुनन्दा से बोला, ''यह तुमसे किसने कहा था कि खाना वहां ले आओ! मैंने क्या कहा था?

''चलो, उठा लाओ थाली। हमें किसी को यहां नहीं खाना है। हम होटल जाएंगे।''

सुनन्दा नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा रहा। तरह–तरह की बातें उनके मन में और कंठ में आती थीं। उसे अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान असहय था।

उसने कहा, ''सुनती नहीं हो कि कोई क्या कह रहा है? क्यों?''

सुनन्दा ने मुंह फेर लिया।

''क्या मैं बकते रहने के लिए हूं?''
सुनन्दा भीतर–ही–भीतर घुट गई।

''मैं पूछता हूं कि जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या जरुरत थीं? सुनन्दा ने मुड़कर और अपने को दबाकर धीमें से कहा–''खाओगे नहीं! एक तो बज गया।''

कालिंदी निरस्त्र होने लगा। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, ''खाना और है!''

सुनन्दा ने धीमे से कहा, ''अचार लेते जाओ।''
''खाना और नहीं है! अच्छा, लाओ अचार।''
सुनन्दा ने अचार ला दिया और कालिंदी भी चला गया।

सुनन्दा ने अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा था। उसे यह सूझा ही न था कि उसे भी खाना है। अब कालिंदी के लौटने पर ही जैसे उसे मालूम हुआ कि उसने अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा है। वह अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ। इसलिए नहीं कि क्यों उसने खाना नहीं बचाया । इस पर तो उसमें स्वाभिमान का भाव जागता था। मन कठोर यों हुआ कि वह इस तरह की बात सोचती ही क्यों हैं? छिः! यह भी सोचने की बात है? और उसमें कड़वाहट भी फैली। हठात यह उसके मन को लगता ही है कि देखो उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। क्या मैं यह सह सकती थी कि मैं तो खांऊ और उनके मित्र भूखें रहे! पर पूछ लेते तो क्या था? इस बात पर उसका मन टूटता–सा है। मानों उसका जो तनिक–सा मान था वह भी कुचल गया हो। वह रह–रहकर अपने का स्वयं तिरस्कृत कर लेती हुई कहती है कि ''छिःछिः सुनन्दा, तुझे ऐसी जरा बात का अब तक ख्याल होता है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का पुण्य तुझे मिला है। मैं क्यों उन्हें नाराज करती हूं? अब से नाराज न करूंगी। पर वह अपने तन की भी सुध तो नहीं रखते। यह ठीक नहीं है। मैं क्या करुँ?

और वह अपने बरतन मांजने में लग गई। उसे सुन पड़ा कि वे लोग फिर जोर–शोर से बहस करने में लग गए हैं। बीच–बीच में हँसी के कहकहे भी उसे सुनाई दिए। ओह! सहसा उसे ख्याल हुआ, बरतन तो पीछे भी मल सकती हूं। लेकिन उन्हें कुछ जरूरत हुई तो, यह सोंचकर झटपट हाथ धो वह कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई।

एक मित्र ने कहा, ''अचार और है! अचार और मंगाओं, यार!''

कालिंदी ने अभ्यासवश जोर से पुकारा, ''अचार लाना भाई, अचार।'' मानो सुनन्दा कहीं बहुत दूर हो। पर वह तो बाहर लगी खड़ी ही थी। उसने चुपचाप अचार लाकर रख दिया।

जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्निग्ध वाणी से कहा, ''थोड़ा पानी भी लाना।''

और सुनन्दा ने पानी ला दिया। देकर लौटी फिर बाहर द्वार से लगकर ओट में खड़ी हो गई जिससे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दे।

हिन्दी राष्ट्र की पहचान

निर्भय नारायण गुप्त 'निर्भय'*

हिन्द की भाषा है हिन्दी, राष्ट्र का अभिमान है,
यदि बनाएं राष्ट्रभाषा, तो बढ़ेगी शान है।

पुष्प खिलते हैं अनेकों, रंग और सुगंध के,
इस तरह ही भिन्न भाषाओं पे हमको मान हैं।

यह अधिकतम भारतीयों की, हमारी मातृभाषा,
इसको यदि माध्यम बनाएं, सीखना आसान है।

सीखिए अतिरिक्त भाषा, यह सदा उत्तम रहे,
राष्ट्रभाषा के बिना, होता नहीं सम्मान है।

हिन्द से हिन्दी जुड़ी है, सब समझते हैं इसे,
विश्व में हिन्दी से होती देश की पहचान है।

देववाणी संस्कृत से, है निकट सम्बन्ध भी,
पुष्ट है शब्दावली, अद्भुत अलौकिक ज्ञान है।

हम करें कोशिश कि 'निर्भय', देश की यश वृद्धि हो,
विश्व गुरु भारत बने, हो हर कहीं यश गान है।

आइये इसके लिए मिल कर के कुछ हम यूं करें,
गर्व से बोलें लिखें तो विश्व भर को भाएगी।

मातृभाषा का हमेशा हर कहीं सम्मान है,
इसको जो माध्यम बनाएं सीखना आसान है।

सीख लें अतिरिक्त भाषा यह सदा उत्तम रहे,
हिन्द की भाषा ये हिन्दी राष्ट्र की पहचान है ।

*पूर्व सहायक महाप्रबंधक, गोमती नगर, लखनऊ

कंप्यूटर प्रयोग की आधुनिक तकनीकें

नम्रता बजाज*

कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। यह शब्द Computer, Latin के शब्द 'Computare' से लिया गया है। इसका अर्थ है Calculation करना या गणना करना। मुख्य रूप से इसके तीन काम हैं– पहला डाटा लेना जिसे हम Input भी कहते हैं, दूसरा उस डाटा की Processing करना और तीसरा उस processed डाटा को दिखाने का होता है जिसे Output भी कहते हैं। आज के युग में इस सामान्य परिभाषा के साथ सभी कंप्यूटर के विषय में जानते और उस पर कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में नित नई तकनीक विकसित हो रही हैं और इन सामान्य कार्यों के अतिरिक्त कंप्यूटर अब लगभग प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लिए अनिवार्य हो गया है। महामारी के इस दौर में तो इसकी उपयोगिता कहीं अधिक बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, मोबाईल यानि स्मार्ट फोन अब केवल एक–दूसरे से संदेश का आदान–प्रदान करने का कार्य ही नहीं करता अपितु इस पर भी हम कंप्यूटर संबंधी अधिकांश कार्य कर सकते हैं। राजभाषा हिंदी भी इस आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से नित नए रूप में अपनी खुशबू फैला रही है।

आज इस लेख के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर एवं मोबाईल संबंधी कुछ नई जानकारी देने का प्रयास करूंगी जिससे कंप्यूटर के साथ–साथ मोबाईल पर भी अन्य कार्यों के अतिरिक्त आप राजभाषा हिंदी में भी और अधिक कुशलता से कार्य कर सरकारी कामकाज में राजभाषा का प्रयोग बढ़ा सकें। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि कार्यालय कामकाज अधिकांशतः माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही किया जाता है।

माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग रेज़्यूम, फार्म, पत्र, पेपर टैम्पलेट, बुकलेट, रिपोर्ट और बिज़नेस कार्ड बनाने के लिए किया जाता है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड के अतिरिक्त एमएस एक्सेल, एमएस पॉवरपॉइंट, एमएस एक्सेस इत्यादि प्रोग्राम होते हैं। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पहले हम सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप में ही कर पाते थे, लेकिन अब इसका एंड्राइड एप भी उपलब्ध है जिसे आप प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंट को संग्रहित करना, मेलमर्ज, स्पेल एवं ग्रामर चेक,वर्ल्ड आर्ट एवं क्लिप आर्ट, ऑटो करेक्ट आदि कार्य किए जा सकते हैं।

एमएस वर्ड के एडवांस / विशेष फॉर्मेटिंग फीचर्स

इस एप्लीकेशन में डाक्यूमेंट्स और दस्तावेज तैयार करने के लिए बहुत सारे टूल्स दिए जाते हैं। इन टूल्स के जरिये हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी सुधार कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। इसके कई फीचर्स हैं जिनका प्रयोग हम नहीं करते हैं और इस तरह इस एप्लीकेशन का हम संपूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पाते। तो, चलिए इस एप्लीकेशन का भरपूर लाभ उठाने के लिए कुछ फीचर्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं:

1. ट्रांसलेशन (Translation)

एमएस वर्ड 2007 वर्ज़न से ही यह टूल उपलब्ध है। यदि किसी शब्द या वाक्य का अनुवाद करना हो तो वर्ड में उसे टाईप कर right क्लिक करें, इससे चित्र 1 में दिखाए अनुसार एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें अन्य विकल्पों के साथ Translate टूल का विकल्प भी दिखाई देगा। उस विकल्प को क्लिक करने पर विंडो के right साइड पर पार्टिशन कर एक नई विंडो खुल जाएगी। उसमें आपको भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा। इसमें आपको अनेक भाषाएं दिखाई देंगी जिसके माध्यम से आप अपनी पसंद की भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप वर्ड के ऊपर दिए गए टैब में से review टैब से भी इस विकल्प को चुन सकते हैं।

*प्रबंधक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

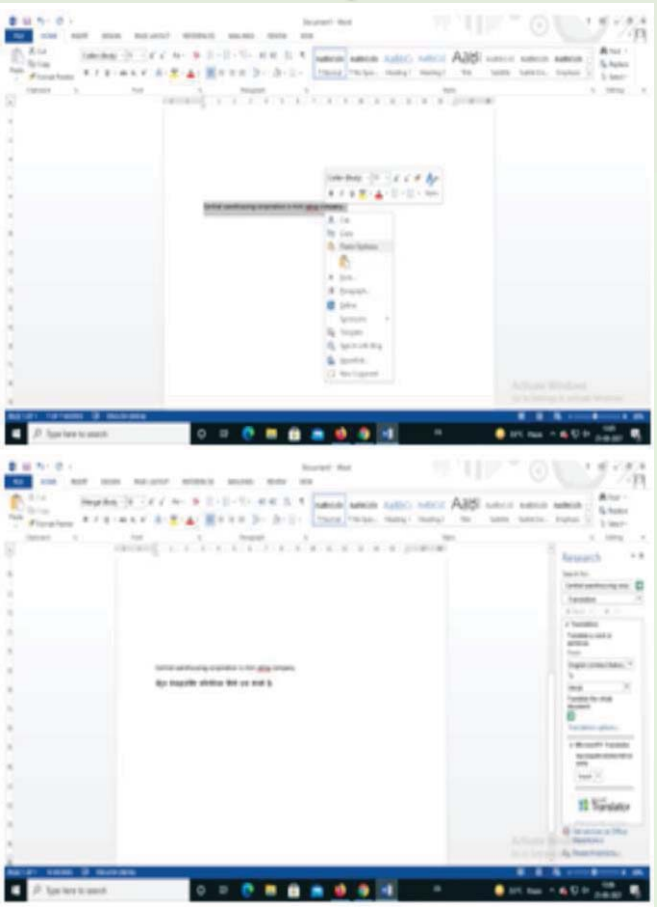

चित्र 1

2. ऑटो टेक्स्ट (Auto Text)

जिन शब्दों का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं उसे ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन के डायलाग बॉक्स में जोड़ देते हैं। उसके बाद जब भी उस शब्द को लिखना शुरू करते हैं तो ऑटो टेक्स्ट ठीक उसके ऊपर दिखाई देने लगता है और यदि हम उस शब्द को जोड़ना चाहते हैं तो एंटर करने पर वह शब्द पूरा टाइप होकर आ जाता है। ऐसा आप ऐसे किसी पत्र, वाक्य या नाम आदि के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं जो अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा हो। इसके लिए आपको मैटर को कॉपी करके file में option में जाना है, उसके बाद proofing को क्लिक कर ऑटो करैक्ट के विकल्प का सिलेक्ट करना है। यहां आप जिस कॉपी किए गए मैटर के लिए ऑटो टेक्स्ट विकल्प को चुनना चाहते हैं उसे पेस्ट कर दें और उसके लिए एक की (key) भी निर्धारित कर दें। इससे जब आप वर्ड फाइल में उस की (key) को टाइप कर स्पेस बार दबाएंगे तो आपका वह सारा मैटर ऑटोमेटिकली आपके समक्ष आ जाएगा।

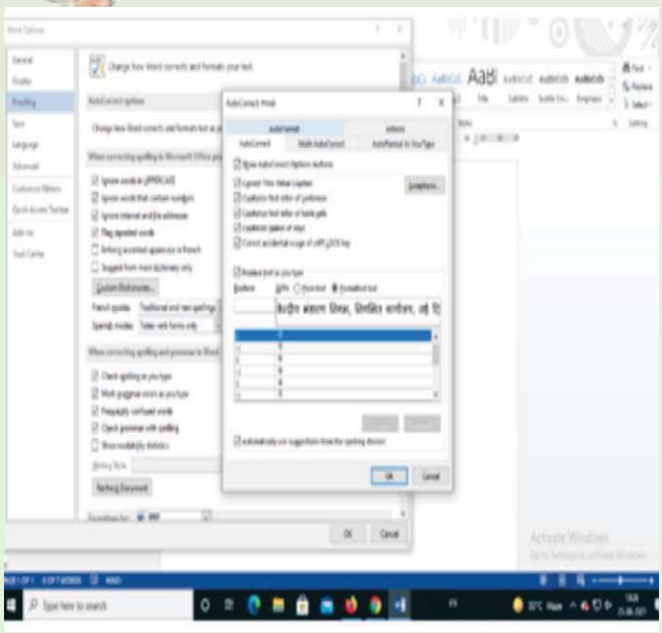

3. ऑटो करैक्ट (Auto Correct)

इस के साथ ही जब हम कोई गलत शब्द टाइप कर देते हैं और space press करते हैं तो Auto correct tool उस शब्द को खुद सही शब्द के साथ replace कर देता है। यह इसकी आंतरिक विशेषता है। इसके माध्यम से आपके गलत word को automatically सुधार दिया जाता है, जैसे यदि आप computer word लिख रहे हैं और गलती से "Computeer" लिखा गया तो यह इसको automatic सुधार देगा और computer word लिख देगा। यह सभी शब्दों को correct नहीं करता यानि, यह केवल उन शब्दों को ही सही करता है जो शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं और जो इस सॉफ्टवेयर की डिक्शनरी में होते हैं।

4. स्पैलिंग एंड ग्रामर चैक (Spelling and Grammar check)

वर्ड की ये बहुत बड़ी खासियत होती है की उस में एक spelling और Grammar चेक करने का टूल होता है। जब भी हम कोई शब्द टाइप करते हैं तो वो हर शब्द के स्पेलिंग को चेक करता है और फिर उसके लिए सही शब्द भी ऊपर दिखा देता है. जिसे हम क्लिक करके सही शब्द चुनकर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही, यह Grammar mistake को भी ठीक करता है। इसके लिए आपको Review में जाकर language में Set Proofing language को सिलेक्ट करना होगा जिससे एक विंडो ओपन होगी, उसमें आप उस भाषा का चयन कर सकते हैं जिसकी स्पेलिंग और ग्रामर आपने चैक करनी है।

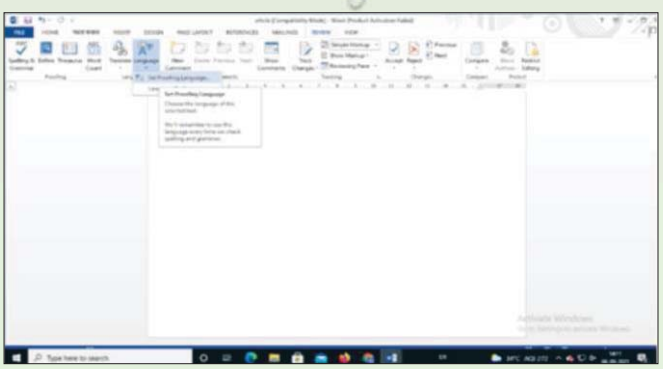

5. कस्टमाइज़ द रिबन (Customize the ribbon)

यदि आप home, insert आदि मेन्यू के साथ कोई और टैब जोड़ना चाहते हैं, जैसा मैंने चित्र में अपने नाम का टैब जोड़ा है तो आपको टाइटल और मेन्यू के पास कर्सर ले जाकर right क्लिक करके customize the ribbon tab को क्लिक करना होगा और न्यू टैब के माध्यम से मेन्यू में अपना टैब जोड़ना होगा।

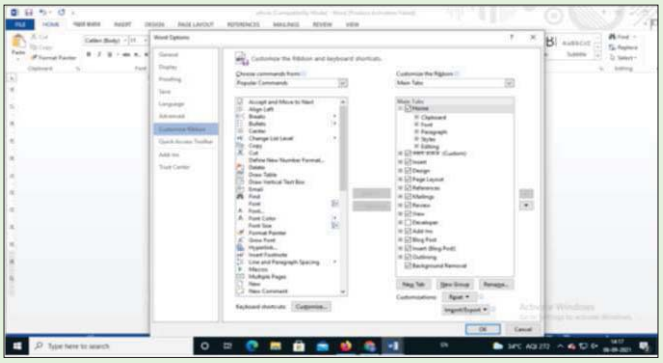

6. इमोजी लगाना (emoji)

यदि आप वर्ड फाइल में मैटर के साथ इमोजी भी लगाना चाहते हैं तो आपको की–बोर्ड पर विंडो के लोगो बटन के साथ डॉट (.) को प्रैस करना होगा। इससे आपके पास चित्र के अनुसार इमोजी के विकल्प आ जाएंगे।

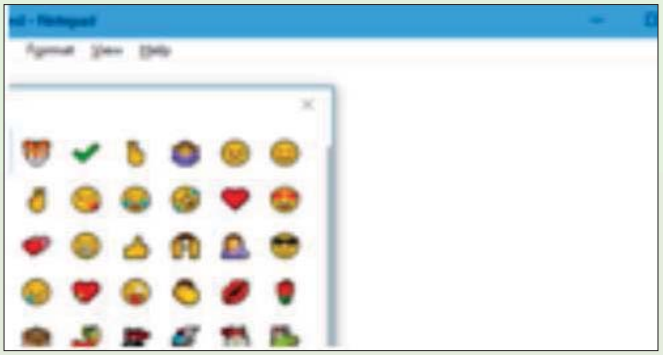

7. मैग्नीफायर (Magnifier)

यदि आप अपने टेक्स्ट को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो magnifier का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आपको विंडो के लोगो बटन के साथ शिफ्ट और प्लस (+)के बटन को प्रैस करना होगा। इससे आपको टेक्स्ट बड़ा दिखाई देने लगेगा।

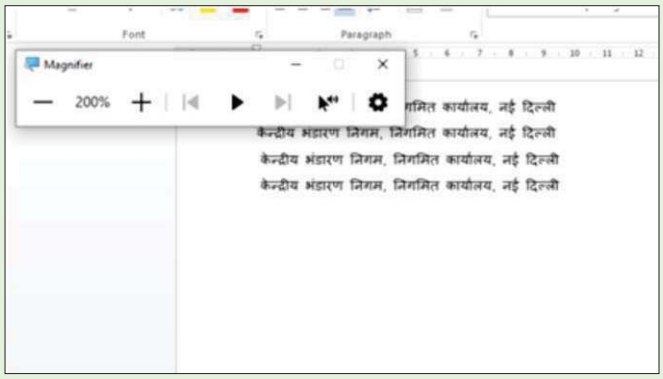

8. डेस्कटॉप पर सभी सक्रिय स्क्रीन एक–साथ देखना

यदि आप अपना जो कार्य कर रहे हैं उन सभी को एक साथ डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं तो आपको विंडो के लोगो बटन के साथ टैब (Tab) के बटन को प्रैस करना होगा। इससे न केवल आपको वह सभी स्क्रीन दिखाई देंगी जिन पर आप कार्य कर रहे हैं अपितु आपके द्वारा पहले किए गए सभी कार्यों का विवरण भी डेस्कटॉप पर दिखाई देगा।

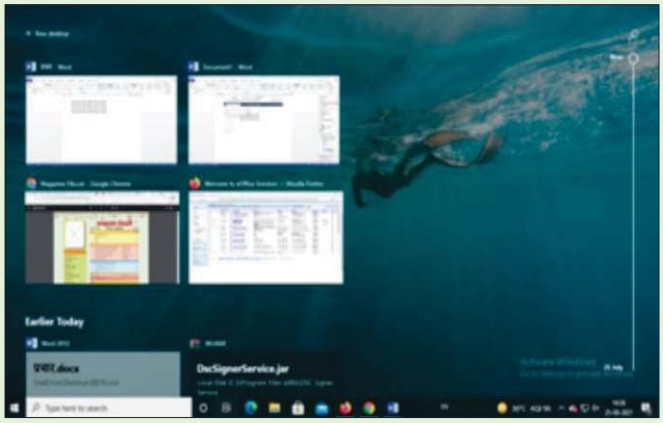

9. स्क्रीन कॉपी (Screen Copy)

यदि आप किसी वेबसाइट से एक से अधिक बार मैटर कॉपी करके वर्ड फाइल में पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वेबसाइट पेज पर सेलेक्शन करके विंडो के लोगो बटन के साथ शिफ्ट और एक्स (X) के बटन को प्रैस करना होगा। मान लीजिए आपको अलग–अलग टेक्स्ट तीन बार कॉपी करना है तो आप उन्हें सेलेक्ट करके कॉपी करें और विंडो के लोगो बटन के साथ शिफ्ट और वी (V)के बटन को प्रैस करें, इससे आपके तीनों टेक्स्ट एक साथ दिखाई देंगे।

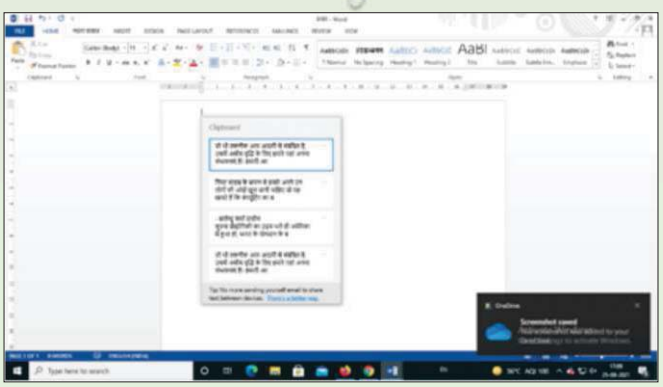

मोबाईल यानि स्मार्ट फोन में भी आपको अनेक फीचर्स और एप्लीकेशन मिलती हैं जिनके प्रयोग से आपका कार्य आसान हो जाता है। यहां मैं आपको कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देना चाहूंगी जो आपको सामान्य कामकाज में सहायता देंगे। इसमें आप प्ले स्टोर से Google Indic keyboard डाउलनोड करके 19 भाषाओं में काम कर सकते हैं।

1. माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर (Microsoft Translator)

इस एप में तीन फीचर्स हैं:–

1. डिक्टेशन यानि बोलकर आप शब्द टाइप करें और मनचाही भाषा में अनुवाद आपके समक्ष होगा।
2. शब्द टाइप करते ही मनचाही भाषा में अनुवाद मिलेगा।
3. किसी मैटर का फोटो खींचकर या किसी इमेज का अनुवाद आपको मिल जाएगा।

2. गूगल लेंस (Google Lens)

अपने मोबाइल पर गूगल लेंस को ओपन कर इमेज सेलेक्ट करें। इससे आप ट्रांसलेट, इमेज टू टेक्सट जैसे विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं।

3. कलर नोट (Color Note)

इस एप की सहायता से आप बोलकर टाइप कर सकते हैं। कोई सूची बनानी हो या कुछ मैटर जल्दी चाहिए हो तो इस एप में तुरंत बोलकर टाइप किया जा सकता है।

आप कंप्यूटर और मोबाईल दोनों पर अनेक फीचर्स का प्रयोग करते हैं। आशा है इस लेख के माध्यम से आपको कुछ और नवीन जानकारी अवश्य मिलेगी और कार्य करने में आसानी होगी।

बचपन

प्रीति पटवाल*

कागज की कश्ती थी, बचपन का जमाना था,
हर पल में खुशी थी, हर बात का फसाना था।

पिता की डांट में भी फिक्र झलकती थी,
माँ के प्यार से, हर सिसकियाँ छुपती थी।

वो बचपन भी बड़ा मासूम सा नजर आता है,
उस वक्त का हर पल, अब नादान सा नजर आता है।

काश वो बचपन, फिर से जी पाते हम,
जहाँ न कोई फिक्र थी, न कोई गम।

हर चीज का हिस्सा, खुशी–खुशी कर लेते थे,
बस अपनों का प्यार मन में भर लेते थे।

बचपन में जवान होने की इच्छा होती है,
और जवानी में वापिस बचपन में जाने की तमन्ना होती है,

बचपन गया, अब जवानी की दहलीज है,
कुछ करने, कुछ बनने की अब जिद है।

मुश्किलों से लड़कर, कुछ बन पाया है,
अब जिम्मेदारी उठाने का वक्त आया है।

हर फर्ज को दृढ़ता से निभाया है,
जीवन का ये कर्ज हमने चुकाना है।

सुबह से शाम की नौकरी में, सब भुलाए बैठे हैं,
दोस्तों के साथ तो, मस्तियाँ कही खोए बैठे हैं।

परिवार की चिंता में, जिये जा रहे हैं,
अब हर काम, मन–बेमन किए जा रहे हैं।

जीवन का ये चक्र, एक घटना की तरह लगता है,
जहाँ जीवन कभी अच्छा, कभी बुरा सा लगता है।

जिम्मेदारियाँ निभाते–निभाते, कब बूढ़े हो गए,
नौकरी की चिंता से मुक्त हो, अब रिटायर हो गए।

सोचा था रिटायरमेंट के बाद, जिंदगी जियेंगे,
लेकिन अब तो पुराने दोस्त फिर कहाँ मिलेंगे।

बस अब तो, यादों का खजाना है,
फिर उसी बचपन में, वापिस जाना है।

*सुपुत्री श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट, हैल्पर, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

आत्मनिर्भर भारत

मनीषा सब्बरवाल वाधवा*

भारत दुनिया के प्राचीन देशों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। यहां की संस्कृति, रंग–ढंग और कला को देखकर हम यह साबित कर सकते हैं कि भारत पहले से आत्मनिर्भर रहा है। आत्म निर्भर का सही अर्थ है कि स्वयं के हुनर पर ही खुद का विकास और सुदृढ़ होना, चाहे वह विकास छोटे स्तर से हो या फिर बड़े स्तर पर। हम खुद के हुनर पर छोटे स्तर से विकास करेंगे तो इसके साथ हमारे देश के आर्थिक विकास में भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे पर निर्भर है, हर काम या अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे की मदद की गुहार करता है तो उसके लिए यह बहुत बड़ी कमी है। "वोकल फॉर लोकल" भी आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग है। उसे खुद पर निर्भर होना चाहिए। ये सभी बातें व्यक्ति को छोड़कर राज्य और देश पर भी लागू होती है। यदि देश के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो उसे किसी दूसरे देश से उस संसाधन की कमी को पूरा करना पड़ेगा। यदि उस संसाधन को बनाने की सारी सामग्री उसके पास उपलब्ध है तो वह उसका प्रयोग कर उसका निर्माण स्वयं कर सकता है। इससे वह आत्मनिर्भर भी बनेगा और किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं होगी।

हमारे देश में हर संसाधन उपलब्ध है। यदि उस संसाधन का सही उपयोग करके देश में ही वस्तुएं बननी शुरू हुईं तो इससे देश को काफी फायदा होगा। इससे देश में उद्योगों की बढ़ोत्तरी होगी, हर युवा को रोजगार मिलेगा और देश के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक सामान उपलब्ध होगा। देश में अधिक उद्योग होंगे तो बेरोजगारी देश में कम होगी और साथ देश में फैली गरीबी भी समाप्त होने के साथ–साथ देश की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। फिर हमारे देश को किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अधिक सामग्री बनने से हम अपने देश की सामग्री को और भी देशों को निर्यात कर सकते हैं। इससे हमारे देश में आयात में कमी आएगी और निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी। आत्मनिर्भर भारत को लेकर अब सरकार भी बहुत अच्छे–अच्छे कदम उठा रही है तो हमें भी सरकार का सहयोग करना चाहिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार की मदद करनी चाहिए।

दूसरों पर निर्भर होने के नुकसान

यदि हमारा देश किसी दूसरे देश पर किसी संसाधन को लेकर निर्भर है तो हमें भी उस देश के अनुरूप ही काम करना होगा और उस देश की हर वो शर्त माननी पड़ेगी जो हमें नामंजूर ही क्यों ना हो। इससे दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हमारे देश का पैसे दूसरे देशों के विकास में लगता है और हमारा देश कई गुना पीछे रह जाता है जिससे हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी जैसी भयानक समस्या बढ़ती जाती है।

आत्मनिर्भरता के फायदे

यदि देश आत्मनिर्भर होगा तो उसे निम्न फायदे होंगे:

- किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। देश में उद्योगों में बढ़ोत्तरी होगी।
- देश का हर युवा सफल एवं सक्षम होगा और साथ ही उसके पास रोजगार होगा।
- देश बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी से भी मुक्त होगा।
- देश के पास अधिक पैसा होगा और उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी।
- आयात की जगह निर्यात बढ़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार होगा।
- किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय देश में खाद्यान्न की मांग बढ़ जाती है, यदि देश आत्मनिर्भर होगा तो उसको किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी।
- देश की स्वदेशी वस्तुओ का मूल्य भी कम होता है. तथा देशी–स्वदेशी वस्तुएं शुद्ध भी होती हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।

*सहायक महाप्रबंधक (क्रय), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं

- हमारी इच्छाशक्ति ही हमें मंजिल तक पहुँचा सकती है। जापान में अणु विस्फोट के समय परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थीं। ये दुनिया भली–भांति जानती है पर आज की स्थिति से भी दुनिया अनजान नहीं है। इसका कारण जापान के लोगों की हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति और मेहनत है। हमारा देश भी आत्मनिर्भर बन सकता है। हमारी सरकार और देश की जनता कंधे से कंधा मिलाकर काम करे तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
- भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरुरी है।
- सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी के कारण अस्थायी असर जरूर हुआ है परंतु फिर भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास करने चाहिए।
- बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नवीनतम तकनीकों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना होगा।
- जो स्वयं कारोबार कर रहे हैं, उन्हें सही सलाह देनी होगी। पूरे देश में प्रत्येक डिपार्टमेंट में पारदर्शिता आये ऐसा सिस्टम तैयार होना चाहिए।

भारत सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जो इस प्रकार है:–

- नए उद्योग स्थापित करने में सहायता करना।

  कारखानों में कई नई तकनीकों या नई मशीनों का इस्तेमाल हो, उसके लिए सहायता प्रदान करना।
- सुई से विमान तक उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना।
- कृषि क्षेत्र को पहले से अधिक महत्व दिया जा रहा है और उनकी स्थिति में सुधार किया जा रहा है।
- शिक्षा नीति में सुधार किया जा रहा है।
- अस्पतालों के उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि सभी उपचार भारत में ही संभव हो सके।
- भारत डिजिटल इंडिया बनने की ओर अग्रसर है, जहां अधिकांशतः ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
- वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता, आत्मकेंद्रित होने से अलग है। भारत 'वसुधैव कुटुंबकम' की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। "आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में सहायता ही होगी।
- कोविड–19 के कारण उपजी परिस्थितियों के बाद देश के नागरिकों का सशक्तीकरण करने की आवश्यकता है ताकि वे देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें तथा बेहतर भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकें। 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के समक्ष अनेक चुनौतियाँ होने के बावजूद भारत को औद्योगिक क्षेत्र में मज़बूती के लिए उन उद्यमों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत के वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की संभावना है।
- इस दिशा में कार्य करते हुए सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की है। आत्मनिर्भर राहत पैकेज़ के माध्यम से न केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises-MSME) क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की गई, अपितु दीर्घकालिक क्षेत्र जैसे कोयला और खनन क्षेत्र में सुधार भी शामिल हैं।

स्वतंत्रता से अब तक भारत की विकास यात्रा बहुत ही अच्छी रही है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। कृषि क्षेत्र से लेकर अन्तरिक्ष तक, संचार क्रांति से लेकर ट्रेन बनाने तक हर कार्य में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। दिन–प्रतिदिन अलग और नये–नये आविष्कारों से भारत उन्नत बन रहा है। साथ ही, मूल्यों, संस्कारों, समृद्ध परंपराओं को साथ लेकर चल रहा है। अगर भारत एक महाशक्ति के रूप में पहचान बनाना चाहता है तो उसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ही होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने में कुछ साल लगेंगे और अरबों डॉलर का निवेश भी पूरी सहमति और सकारात्मक इरादे के साथ होगा। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत सरकार का यह साहसिक कदम भारत को आत्मनिर्भर बना देगा और इसे भारत के इतिहास में सुनहरे शब्दों में दर्ज किया जाएगा।

निगम के अधीनस्थ वेअरहाउस–एक परिचय

भंडारण भारती पत्रिका के अंक–75 में सैंट्रल वेअरहाउस, मोहाली, करनाल–।।।, शाहजहांपुर, गाजियाबाद–। का परिचय प्रकाशित किया गया था। इस अंक में क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के आई आर टी–कालंबोली, सैंट्रल वेअरहाउस वाशी, तथा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के सैंट्रल वेअरहाउस, बोनहुगली, सैंट्रल वेअरहाउस पानीहाटी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

आई.आर.टी.– कालंबोली

आई.आर.टी. – कालंबोली मुंबई–गोवा हाइवे और मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे के जंक्शन पर स्थित है। देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट अर्थात् जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में यहाँ से महज 30 मिनट में पहुँचा जा सकता है। इस केंद्र के ठीक बगल से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को दिल्ली के दादरी से जोड़ने वाला वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी निकल रहा है। निर्माणाधीन नवी मुंबई एयरपोर्ट भी केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। इस केंद्र के निकट ही देश का सबसे बड़ा लोहे और स्टील का बाज़ार भी है। इस तरह अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह निगम का सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है।

इस केंद्र को सिडको से 24.12.1982 को 99 वर्ष की लीज पर खरीदा गया था और इस केंद्र ने 14.07.1986 को काम करना प्रारम्भ किया था। इस केंद्र की कुल क्षमता 7,92,944 मी. टन है। वर्तमान में इस केंद्र पर तीन प्रकार के कार्य चल रहे हैं:

1. कस्टम बॉन्डेड वेअरहाउस :

इस केंद्र पर बॉन्डेड वेअरहाउस की कुल क्षमता 22000 मी. टन है, जिसमें से खुले में 12,500 मी. टन और गोदाम के भीतर 9,500 मी. टन कार्गो रखा जा सकता है। निगम को बॉन्डेड वेअरहाउस से अच्छी आय हो रही है।

2. निगम के अधीन : जनरल क्षेत्र

निगम के पास 9,777 मी. टन की क्षमता वाला खुला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रेल साइडिंग उपलब्ध है और घरेलू कार्गो रेक का परिचालन किया जाता है। वर्ष 2020–21 में कुल 72 रेक के परिचालन से निगम ने 314.00 लाख रुपये की आय अर्जित की। हरियाणा स्थित मारुति के प्लांट से कारें यहाँ सीधे कंटेनर ट्रेन से आती हैं और फिर स्थानीय डीलरों को सप्लाई की जाती हैं।

3. कलबुर्गी सीमेंट को सामो के तौर पर दिया गया क्षेत्रः

कलबुर्गी सीमेंट लि. को वर्ष 2017 में आगामी 15 वर्ष के लिए कुल 26,739 वर्ग मी. क्षेत्र दिया गया। इसकी वर्तमान क्षमता 33,423 मी.टन है। समझौते के अनुसार कलबुर्गी सीमेंट लि. ने यहाँ पर एक नए रेल ट्रैक का निर्माण किया है। यहाँ पर एक सीमेंट सायलो भी बनाया गया है। कंपनी की फैक्टरी से मालगाड़ी द्वारा सीमेंट आता है और उसे स्वचालित तरीके से सायलो में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बाद में सायलो से सीधा ट्रक में भरकर सीमेंट का स्थानीय वितरण किया जाता है। यह पूरी तरह से एक हरित परियोजना है जिसमें ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण की किसी भी तरीके से हानि न हो। वर्ष 2020–21 में कलबुर्गी सीमेंट लि. ने कुल 140 रेक का परिचालन किया और इसके द्वारा निगम को 987.00 लाख रु. की आय अर्जित हुई।

इस केंद्र ने सीएफएस के रूप में बहुत शानदार काम किया लेकिन समय के साथ–साथ निजी और सरकारी क्षेत्र के तीस से अधिक सीएफएस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नजदीक खुल गए। पोर्ट से कम दूरी होने के कारण बाकी सीएफएस का परिवहन खर्च कम होने से इस केंद्र का सीएफएस का काम धीरे–धीरे कम होता चला गया और अंततः इस केंद्र पर सीएफ़एस को 22.01.2018 से डिनोटिफाइड करवा दिया गया। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के नजदीक होने और मौजूदा रेल साइडिंग सुविधा उपलब्ध होने के कारण 29.03.2018 को इस केंद्र को ब्राउनफील्ड प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के रूप में मध्य रेल की मुंबई डिविजन द्वारा अधिसूचित करवा लिया गया। वर्तमान में प्रति माह लगभग 20 रेक का परिचालन इस पी.एफ.टी. में किया जा रहा है। पी.एफ.टी. में इन मोशन इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज भी स्थापित किया गया है।

सैंट्रल वेअरहाउस – वाशी

सैंट्रल वेअरहाउस – वाशी, नवी मुंबई में अति उत्तम स्थान पर स्थित है। इस केंद्र पर सामान्य भंडारण, बॉन्डेड भंडारण तथा डेडिकेटेड वेअरहाउस की सुविधा उपलब्ध है। इस केंद्र से 5 मिनट की दूरी पर मध्य रेलवे का तुर्भे रेलवे स्टेशन है, जो कि ठाणे से पनवेल/वाशी को जोड़ता है। यह केंद्र मुंबई पुणे/गोवा राजमार्ग से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस केंद्र से जवाहर लाल नेहरु पोर्ट और मुंबई पोर्ट दोनों ही 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसके अलावा, इस केंद्र के निकट ही एपीएमसी फ्रूट मार्केट है। नवी मुंबई का निर्माणाधीन एयरपोर्ट इस केंद्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। इन सब कारणों से इस केंद्र की भौगोलिक स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

इस केंद्र को दिनांक 09.12.1981 को सिडको से लीज पर खरीदा गया था और दिनांक 05.07.1982 को इस केंद्र की स्थापना हुई। इस केंद्र की कुल क्षमता 1,13,887 मीट्रिक टन है। इसमें कुल 16 गोदाम हैं और प्रत्येक गोदाम की क्षमता लगभग 5,000 मीट्रिक टन है, जिसमें 395 मीट्रिक टन का शीत भाण्डागार भी है। वर्तमान में इस केंद्र पर दो प्रकार के कार्य चल रहे हैं:

1. कस्टम बॉन्डेडः

इस केंद्र पर बॉन्डेड वेअरहाउस की कुल क्षमता 42,969 मी.टन है, जिसमें से खुले में 17,270 मी.टन और गोदाम के भीतर 25,699 मी.टन कार्गो रखा जा सकता है। निगम को बॉन्डेड वेअरहाउस से अच्छी आय हो रही है।

2. सामान्य क्षेत्रः

निगम के पास 70,918 मी.टन की क्षमता वाला कुल क्षेत्र है, जिसमें से खुले में 2,851 मी.टन और गोदाम के भीतर 68,067 मी.टन कार्गो रखा जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, महानगर गैस लिमिटेड, विक्की फूड्स, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इस केंद्र के मुख्य जमाकर्ता हैं।

अपने प्रारंभिक वर्षों में इस केंद्र पर केवल बॉन्डेड वेअरहाउस का काम ही किया जाता था और बॉन्डेड वेअरहाउस के रूप में इस केंद्र ने काम भी बहुत शानदार किया। यह भारत का सबसे ज्यादा कमाई वाला बॉन्डेड वेअरहाउस था। धीरे–धीरे वेअरहाउस के समीप निजी और सरकारी क्षेत्र के बॉन्डेड वेअरहाउस खुल जाने के कारण समय के अनुरूप अपने आप को ढालते हुए इस वेअरहाउस में सामान्य वेअरहाउस का काम भी शुरू कर दिया गया। तुर्भे रेलवे स्टेशन नजदीक होने की वजह से यहाँ ग्रीन फील्ड प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (GPFT) भी प्रस्तावित है तथा प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल स्थापित करने के लिए मैसर्स राइट्स (M/S RITES) सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है और आशा है कि शीघ्र ही इस केंद्र पर ग्रीन फील्ड प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (GPFT) स्थापित कर दिया जाएगा।

- ✓ इस वेअरहाउस में पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध है।
- ✓ वेअरहाउस का परिसर पूरी तरह अग्निशमन के अनुरूप है।
- ✓ यह वेअरहाउस सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से युक्त है।
- ✓ इस वेअरहाउस में लाइव लेन–देन करने तथा वेअरहाउस के सुगमता से प्रचालन हेतु भंडारण प्रबंधन प्रणाली (डब्लू एम एस) लागू है।
- ✓ इस वेअरहाउस को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लाइसेंस प्राप्त है।

सैंट्रल वेअरहाउस– बोनहुगली

सैंट्रल वेअरहाउस – बोनहुगली, कोलकाता से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आरआईसी कॉम्प्लेक्स, बोनहुगली में स्थित है।

सैंट्रल वेअरहाउस– बोनहुगली का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है –

1. सैंट्रल वेअरहाउस – बोनहुगली की स्थापना वर्ष 1978 में 18,000 मीट्रिक टन क्षमता के साथ हुई थी।
2. वर्तमान में सैंट्रल वेअरहाउस – बोनहुगली की कुल क्षमता 38,353 मीट्रिक टन है जिसमें 37,456 मी.टन कवर्ड भण्डारण एवं 897 खुला भण्डारण स्थान उपलब्ध है एवं 87% क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।
3. यह वेअरहाउस आईएसओ 14001:2015,9001:2015 एवं ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणन प्राप्त है एवं डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत है।
4. सैंट्रल वेअरहाउस 9.5 एकड़ भूमि पर बना हुआ है।
5. वेअरहाउस में वाहनों के आवागमन का पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।
6. वेअरहाउस की सुरक्षा हेतु 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं साथ ही यह वेअरहाउस सीसीटीवी प्रणाली एवं पूरी तरह से अग्निशामक यंत्रों से युक्त है।
7. इस वेअरहाउस ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में जुलाई 2021 तक 46.93 लाख रु. से भी अधिक का लाभ अर्जित किया है।
8. वेअरहाउस में कीट नियंत्रण सेवाओं से वित्तीय वर्ष 2021–22 में जुलाई 2021 तक 3.20 लाख रु. से भी अधिक का लाभ अर्जित किया है।
9. वेअरहाउस में दैनिक लेन–देन करने एवं काम की सुगमता हेतु विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं ऑनलाइन मॉड्यूल जैसे – ई–ऑफिस, डब्ल्यूएमएस, बिल ट्रैकिंग सिस्टम का पूरी तरह से प्रयोग किया जा रहा है।
10. वेअरहाउस के प्रमुख जमाकर्ताओं में बंगाल गैस कम्पनी, बिनानी एग्री इनपुट्स, सीएमएसएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, करुणा ग्रीनटेक, एचएल इंजीनियरिंग लि. एवं श्री परिवहन कम्पनी इत्यादि हैं।

सैंट्रल वेअरहाउस – पानीहाटी

सैंट्रल वेअरहाउस – पानीहाटी की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। यह बी टी रोड के समीप स्थित वेअरहाउस है जिसका प्रशासनिक खण्ड पृथक रूप से किशोरी मोहन रोड, पानीहाटी – 700114 पर स्थित है।

सैंट्रल वेअरहाउस – पानीहाटी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है –

1. इस वेअरहाउस की क्षमता 39,776 मीट्रिक टन है जिसमें 100 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।
2. यह वेअरहाउस आईएसओ 14001:2015,9001:2015 एवं ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणन प्राप्त है एवं डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत है।
3. इस वेअरहाउस में सुरक्षा हेतु अग्निशामक यंत्र एवं सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित है।
4. वेअरहाउस के चारों ओर वाहनों के आवागमन हेतु पर्याप्त स्थान है।
5. वेअरहाउस की सुरक्षा हेतु 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की तैनाती रहती है।
6. वेअरहाउस ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में जुलाई तक 1.29 करोड़ रु से अधिक का लाभ दिया है।
7. वेअरहाउस में कीट नियंत्रण सेल (पेस्ट कंट्रोल सेल) की भी स्थापित है जिसके प्रमुख ग्राहकों में एयर इण्डिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इण्डिगो, स्पाइसजेट, भारतीय खाद्य निगम एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम हैं।
8. पानीहाटी पीसीएस सेल ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में जुलाई – 2021 तक कुल 34.21 लाख से भी अधिक का लाभ अर्जित किया है।
9. वेअरहाउस में दैनिक लेन–देन करने एवं कार्यालयीन काम–काज की सुगमता हेतु विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं ऑनलाइन मॉड्यूल जैसे – ई – ऑफिस, डब्ल्यूएमएस, बिल ट्रैकिंग सिस्टम का पूर्णतया उपयोग किया जा रहा है।
10. वेअरहाउस के प्रमुख जमाकर्ताओं में बर्जर पेंट्स इण्डिया लिमिटेड, कन्साई नेरोलैक पेंट्स लि., रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया, एनसीईआरटी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, एवं सीएट टायर्स हैं।

जीवन आनंद

शिवानंद राय*

खुश रहें हर पल, हो उल्लासित हर जीवन,
हर जीवन की परिपूर्णता है केवल असीमित आनंद,
क्योंकि जीव है अंश परमानन्द का।

रह नहीं सकता बिन आनंद
सो हर जीव प्रयासरत है अंततः आनंद हेतु,
जीवन यापन समुचित हो।

फिर खोजता है आनंद पर उसे ढूंढता है,
दर–बदर बाहर हर जगह पर सीमित,
में खोजता असीमित को पद में प्रतिष्ठा में धन में।

मान सम्मान में, रिश्तों में संबंधों में,
शक्ति में बाहरी दिखावे में,
दोस्ती और प्यार में परिवार में,
खेल में पर्यटन में यश और पारितोषिक में,
संसार सागर की ऊंचाई और गहराई में,
पर ये सब अंततः होती मृग–मरीचिका सिद्ध।

अस्थाई सफलता का नही टिकता आनंद,
क्योंकि ये सब नकली अस्थाई मंजिलें हैं आनंद की,
आत्मा अपरिमित है सो परिमित से असंतुष्ट।

आत्मा और मन चाहे सर्वदा, असीमित,
विस्तार इसलिए एक मंजिल की फतह,
के बाद दूसरी मंजिल की तलाश।

हर सीमित नश्वर उपलब्धि है बेमानी, सो हर उल्लास निरर्थक अस्थाई, सीमित आनंद नहीं प्राप्त हो सकता, असीमित आनन्द तो स्थाई अपरिमित आनंद परमानंद की प्राप्ति से ही है संभव जो संभव है,
आत्मबल से अंतरयात्रा से, आत्म–साक्षात्कार से।

*समूह महाप्रबंधक (परियोजना), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

क्या आप?

- ★ स्वयं हिंदी में कार्य करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं?
- ★ अपने कार्यस्थल पर हिंदी के प्रति अनुकूल वातावरण बनाए रखते हैं?
- ★ अपने नाम पट्ट, विजिटिंग कार्ड, नोटिस बोर्ड पर सूचना हिंदी में भी तैयार करते हैं?
- ★ विभागीय हिंदी समिति की बैठकों में नियमित रूप से शामिल होते हैं?
- ★ राजभाषा विभाग को तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से भिजवाते हैं?
- ★ कंप्यूटर पर हिंदी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं?
- ★ राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं?
- ★ समय–समय पर आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में भाग लेते हैं?
- ★ किसी अंग्रेजी शब्द का पर्याय न मालूम होने पर राजभाषा अनुभाग की सहायता लेते हैं?
- ★ राजभाषा निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारियों को पूरा सहयोग प्रदान करते हैं?
- ★ ''भंडारण भारती'' छमाही पत्रिका के लिए अपनी रचनाएं भेजते हैं?

यदि हां तो आप हैं राजभाषा की प्रगति के हिमायती

राजभाषा हिंदी ही क्यूं

रजनी सूद*

भारत वर्ष की पवित्र भूमि सदैव अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग छाप छोड़ती है, परंतु कुछ वर्षों से पाश्चात्य रीति–रिवाज और सभ्यता को प्रधानता दी जाने लगी है। हम सब अंग्रेजी पढ़ने बोलने और लिखने में गौरव का अनुभव करने लगे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरत बाद राज्य के समस्त कार्यों की भाषा अंग्रेजी ही थी परन्तु अब कुछ राज्यों ने अपना संपूर्ण न्यायिक कार्य हिंदी में ही करना प्रारंभ कर दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश, भोपाल इत्यादि प्रमुख हैं। इन राज्यों में न्यायालयों के निर्णय, सरकारी कार्यालयों की कागजी कार्यवाही, विश्वविद्यालयों की शिक्षा, सरकारी आदेश हिंदी में ही किए जाते हैं परंतु आज भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी रूप ही मान्य है। अंग्रेजी का एक प्रवाह एक धूम सी मची हुई है।

किसी भी राष्ट्र या देश की पहचान एवं अस्मिता का आधार स्तंभ उसका अपना संविधान होता है। वहीं उस संविधान के प्रतीकों में मुख्यतः तीन तत्वों का विशेष महत्व होता है– भाषा, संस्कृति और राष्ट्रध्वज। भाषा का सवाल कभी भी सिर्फ भाषा का सवाल नहीं होता, वह राष्ट्र की मूल अस्मिता, उसकी सर्वोच्च गरिमा, सभ्यता का भी सवाल होता है क्योंकि भाषा ही राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका होती है, परंतु हम भारतीय भूल जाते हैं कि जो फर्क माँ और मौसी में होता है, वहीं फर्क अपनी भाषा और विदेशी भाषा में है। मैं अंग्रेजी भाषा की विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी भी भाषा की विरोधी नहीं हूं, अपितु ज्ञान–अर्जन की दृष्टि से मैं हर भाषा को आदर की दृष्टि से देखती हूँ परंतु जो सोच, जो अपनापन अपनी भाषा में झलकता है वह आप अंग्रेजी भाषा के माध्यम से नहीं झलका सकते। मेरी सोच, मेरे विचार अपने हैं, मेरी नजर में राजभाषा हिंदी को अपनाने बहुत सारे कारण हैं जो कि इस प्रकार हैं :–

1. यह एक भारतीय भाषा है।
2. हिंदीभाषी जनसंख्या सबसे अधिक हैं, उतनी अन्य किसी प्रांतीय भाषा की नहीं।
3. हिंदी बोलने वालों की संख्या चाहे सत्तर करोड़ ही हो, परंतु समझने वालों की संख्या सबसे अधिक है, देश आंचलिक प्रातों में हिंदी सरलता से समझी जाती है, भले ही लोग बोल न सकते हो।
4. हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल हैं, इसमें शब्दों का प्रयोग तर्कपूर्ण है। दो–तीन महीनों के अल्प समय ही हिंदी अभ्यास से सीखी जा सकती है।

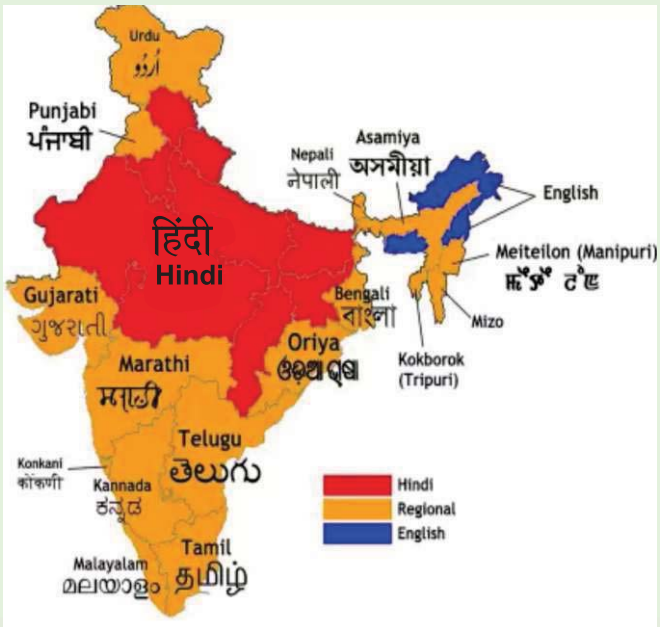

5. इसकी लिपि वैज्ञानिक और सुबोध है, जैसी बोली जाती है, वैसी ही लिखी जाती है।
6. राजभाषा हिंदी की प्रवृत्ति बेहद उदार है, यह प्रत्येक भाषा के शब्दों को अपने में आत्मसात कर लेती है, जैसे

*प्रबंधक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

''ये दिल मांगे मोर'। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक सभी प्रकार के कार्य–व्यवहारों के संचालन की पूर्ण विशेषता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। राजभाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल और सुगम हो, जिसे अहिंदीतर भाषी भी थोड़े ही प्रयासों से सीख सकें। हिंदी का पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं से इतना घनिष्ठ संबंध है कि इन भाषाओं के बोलने वाले बिना किसी प्रयास के ही हिंदी समझ लेते हैं। इसमें हिंदी फिल्मों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। दक्षिण की कन्नड, मलयालम इन तीनों भाषाओं में संस्कृत के शब्दों की प्राधानता है। हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। इस कारण वे भी हिंदी सरलता से सीख सकते है केवल तमिल एक ऐसी भाषा है जो हिंदी से नितांत भिन्न है परन्तु तमिल भाषा–भाषी संख्या में भी बेहद कम है।

7. राजभाषा हिंदी में कार्य कर देश सेवा में भी सहयोग किया जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में राजभाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

कुछ लोगों का विचार है कि हिंदी के प्रभाव से धीरे–धीरे प्रादेशिक भाषाएँ समाप्त हो जाएंगी, कोई भी प्रदेशवासी अपनी भाषा को छोड़ना कभी पसंद नहीं करता, परंतु उनकी यह धारणा भी भ्रांतिमूलक है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुविधा प्रदान की है कि वे अपने राज्य का कार्य अपनी प्रादेशिक भाषाओं में कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में बंगला, पंजाब में पंजाबी, चेन्नई में तमिल राज्य भाषा घोषित की जा चुकी है।

हिंदी को समृद्धशाली एवं संपन्न बनाने के लिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उदार दृष्टिकोण अपनाएँ राष्ट्रभाषा हिंदी समस्त देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रही है, विश्व के 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिनमें कैलिफोर्निया, शिकागो, टैक्सस, कोलम्बिया विश्वविद्यालय इत्यादि प्रमुख है। यह हमारे लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी हिंदी भाषा को विश्व में इज्ज़त दी जाती है परंतु हम ही उसके अस्तित्व को नकार रहे हैं अन्यथा हमें हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़े का आयोजन करने की आवश्यकता न पड़ती। माँ, माँ ही होती है उसका स्थान न आज तक कोई ले पाया है न ही ले पाएगा।

राजभाषा हिंदी को अपनाना है
गर्व से सिर को उठाना है
सभी भाषाएँ हैं अपनी
यह आदर सबको दिखाना है

'सप्रेम नमन'

धर्मेन्द्र कुमार अस्थाना*

नमन है, नमन है,नमन है, साहस को उनके नमन है,
नमन है, नमन है,नमन है, समर्पण को नमन है,
नमन है, नमन है, नमन है, त्याग को उनके नमन है।

सुरक्षित हैं, हम सब घरों में, क्योंकि मुस्तैद वो सरहदों पर हैं,
बचन बद्ध हैं, राष्ट्र हित में, पीछे हटते नहीं, मुश्किलों में।

सदा दूर रहके, अपनों से, उनके बढ़ते, कदम को नमन है,
नमन है, नमन है, नमन है, शौर्य को उनके नमन है।

सर्वस्व करते, न्यौछावर, वो मुस्कान लेकर होंठों पर
झुकने ना पाए, तिरँगा, शान रखते हैं वो जान देकर।

ऋणी है हर–इक दिल हमेशा, शहादत को उनके नमन है,
नमन है, नमन है, नमन है, सप्रेम उनको नमन है।

नमन है, नमन है, नमन है, उन शहीदों को, सादर नमन है,
नमन है, नमन है, नमन है, सब जवानों को, सादर नमन है।

नमन है, नमन है, नमन है, बलिदानों को उनके नमन है।

*परियोजना प्रबंधक (एम.आई.एस), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

चींटी को देखा?

रोहित उपाध्याय*

चींटी एक ऐसा जीव है जो कि आकार में अत्यंत छोटी होने के बावजूद भी बरबस अपनी ओर हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लेती है। विभिन्न प्रकार की छोटी, बड़ी, लाल, काली चींटियों की कतार अक्सर हमें अपने घर में ही नजर आ जाती है। रसोई में भोजन का एक कण गिरा नहीं कि अपनी तेज सूंघने की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करते हुए चींटियों की सेना हाजिर। चीनी या बिस्किट के डिब्बे का ढक्कन थोड़ा सा ढीला छूटने भर की देर है कुछ ही देर में उसके अंदर फिर चींटियाँ ही चींटियाँ नजर आएंगी। अक्सर मेरे पास जब भी खाली समय रहता है और आस–पास चींटियाँ हो तो बरबस मेरा ध्यान उनकी ओर ही चला जाता है। चींटियों में गजब का टीमवर्क दिखाई देता है। सोचता हूँ कि शायद 'साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना' गीत इन चींटियों से ही प्रेरित होकर लिखा गया होगा। यदि कभी आपके पास खाली समय हो तो इनके काम करने के तरीके को देखिए, हैरान हो जाएंगे। जहाँ अनेक बार हम अपने ही परिचितों को देखकर रास्ता बदल देते हैं वहीं आमने–सामने से दो चींटियाँ आ रही हों तो एक दूसरे से मिले बिना नहीं जातीं। यही आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश इनकी सफलता का परिचायक है।

स्कूल में न जाने किस कक्षा में प्रकृति के चितेरे महाकवि सुमित्रानंदन पंत की प्रख्यात कविता "चींटी को देखा?" पढ़ी थी। जब भी चींटियों को देखता हूँ तो इस कविता की याद आ जाती है। पंत जी की इस कविता को पढ़कर सोचता हूँ कि उन्होंने कितने गौर से इन चींटियों के जीवन को देखा होगा? यदि स्कूल में आपने केवल उत्तीर्ण होने के लिए यह कविता पढ़ी हो तो अब एक बार पंत जी की इस वैज्ञानिकता और साहित्य से ओत–प्रोत कविता को दोबारा पढ़कर देखिए। चींटियों और पंत जी दोनों के कायल हो जाएंगे। जो काम एक वैज्ञानिक या लेखक दस पृष्ठ के लेख में नहीं लिख सकता, पंत जी ने कविता की कुछ पंक्तियों में ही रेखांकित कर दिया है। आप भी पढ़िए:

चींटी को देखा?

वह सरल, विरल, काली रेखा
तम के तागे सी जो हिल–डुल,
चलती लघु पद पल–पल मिल–जुल,
यह है पिपीलिका पांति! देखो ना, किस भाँति
काम करती वह सतत, कन–कन कनके चुनती अविरत।
गाय चराती, धूप खिलाती,
बच्चों की निगरानी करती
लड़ती, अरि से तनिक न डरती,
दल के दल सेना संवारती,
घर–आंगन, जनपथ बुहारती।
चींटी है प्राणी सामाजिक,
वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक.
देखा चींटी को?
उसके जी को?
भूरे बालों की सी कतरन,
छुपा नहीं उसका छोटापन,
वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर
विचरण करती, श्रम में तन्मय
वह जीवन की तिनगी अक्षय।
वह भी क्या देही है, तिल–सी?
प्राणों की रिलमिल झिलमिल–सी
दिनभर में वह मीलों चलती,
अथक कार्य से कभी न टलती।

इसी प्रकार चींटियों के जीवन से प्रेरणा लेने की सीख देने वाली एक अन्य कविता है **"कोशिश करने वालों की हार नहीं होती"**। इस कविता में भी चींटियों की मेहनत से सीखने के लिए कहा गया है। मैंने जब पहली बार यह कविता पढ़ी थी तो बहुत अच्छी लगी। इंटरनेट पर कवि का नाम पता करने की कोशिश की तो कहीं इसका कवि हरिवंश राय 'बच्चन' को बताया गया है तो कहीं सोहनलाल द्विवेदी को। स्वयं अमिताभ बच्चन इस कविता को अपने पिता की

*भंडारण एवं निरीक्षण अधिकारी, सी.एफ.एस., द्रोणागिरि नोड, नवी मुंबई

कविता मानते हैं। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि इस कविता पर बच्चन जी के बजाय द्विवेदी जी की शैली की छाप ज्यादा है। खैर कवि जो भी हो, कविता बहुत ही प्रेरक है:

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा–जा कर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जय कार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चींटी या पिपीलिका एक सामाजिक कीट है जिसकी 12,000 से अधिक जातियों का वर्गीकरण किया जा चुका है और अनुमान है कि इसमें लगभग 10,000 और जातियाँ हैं।

ये अपने चलने के समय एक विशेष रासायनिक स्राव छोड़ते हुए चलती हैं जिसे फेरोमॉन कहा जाता है। इसी की गंध के सहारे अन्य चींटियाँ भी उसी रास्ते पर कतारबद्ध होकर चलती हैं और फिर उसी रास्ते से वापिस अपने बिल तक पहुँच जाती हैं। रेगिस्तान में रहने वाली चीटियाँ इसका अपवाद हैं वे रास्ता याद रखती हैं मानो उनके दिमाग में कोई जीपीएस काम कर रहा हो।

आप आखिर कितना वजन उठा सकते हैं? जहाँ गैस सिलिन्डर को रसोई तक पहुंचाने में ही आपकी जान निकल जाती होगी वहीं आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि चीटियाँ अपने वजन से बीस गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। चीटियों की इस क्षमता को समझने के लिए भी अनेक अध्ययन किए गए हैं और पाया गया है कि वजन उठाने में चींटी की गर्दन का अहम योगदान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चींटी की गर्दन की नकल करके अधिक वजन उठाने वाले बेहतर रोबोट भी तैयार किए जा सकते हैं।

चींटी जैसा नन्हा जीव हमारे भारतीय जीवन में इस तरह से रच बस गया है कि जहाँ एक ओर तो हम उससे प्रेरणा लेते हैं वहीं दूसरी ओर किसी को धमकी देते समय उसे चींटी की तरह मसलने की बात भी करते हैं या अपने से कमजोर समझकर उलाहना देते हैं कि चींटी के पर निकल आए हैं। कम रफ़्तार से होने वाले काम को भी चींटी की गति से ही आँका जाता है। नन्ही चींटी हाथी को भी पछाड़ सकती है जैसी कहावत भी प्रचलित है। यहाँ तक कि हाथ पर वैक्सीन लेने पर भी हमें चींटी के काटने जैसा ही अहसास होता है।

चींटी भोजन को अपने घर तक ले जाने के लिए प्रयास करती है। इस दौरान वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती और सफलतापूर्वक भोजन को अपने घर तक पहुंचाकर ही दम लेती है। बार–बार हारकर भी वो हार नहीं मानती। चींटी चाहे तो वहीं भोजन कर के आ सकती है पर वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, उसे पूरे परिवार के लिए भोजन एकत्र करना होता है। सब चींटियाँ मिलकर भोजन की तलाश करती हैं और फिर मिल–जुल कर उसे अपने घर तक ले आती हैं। इस तरह से चीटियाँ संदेश देती हैं कि किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए टीम वर्क ज़रूरी है। चींटी केवल आज के लिए ही भोजन एकत्र नहीं करती है। वो कल यानी सर्दियों के लिए भी गर्मी के दिनों से ही भोजन संग्रहण के काम में लग जाती हैं। ठंड के दिनों में वे ज्यादा काम नहीं करती, जो उनके भंडार में होता है, उसे खाती हैं और अपनी ऊर्जा को कल की मेहनत के लिए बचाकर रखती हैं। अपने आने वाले कल को सुरक्षित रखना कोई इन चीटियों से सीख सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार एक छोटी सी चींटी मानव जाति को एक बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। जीवन जीने और अपने कार्य को पूरा करने का ढंग एक चींटी से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता। अंत में यही कहना ठीक रहेगा कि चींटी को केवल देखा ही नहीं बल्कि चींटी से सीखा भी।

कीटनाशक सूत्रकृमि : कृषकों के मित्र

राशिद परवेज़*

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी जनसंख्या का बहुत बडा भाग कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में कृषि भूमि के क्षेत्रफल का कम होने के कारण कृषि उत्पादनों में कमी तथा जनसंख्या में बढोत्तरी के कारण इन उत्पादनों की बढ़ती मांग से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसके अतिरिक्त गत वर्षों में फसलों के उत्पादन में कई कारणों से लगातार कमी आयी है उनमें से फसलों को कीट द्वारा हानि पहुंचाना एक प्रमुख कारण है।

प्रायः इन कीटों को कीटनाशकों के छिड़काव द्वारा ही नियन्त्रण करते हैं। परन्तु अत्यधिक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के कारण इनमें कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न होना, पर्यावरण पर भयंकर दुष्परिणाम तथा सरकार द्वारा कुछ कीटनाशकों के छिडकाव पर रोक लगाने के कारण इनके वैकल्पिक नियन्त्रण विधियों की खोज की जा रही है। वर्तमान में कीटनाशक सूत्रकृमि अपनी प्रमुख विशेषताओं के कारण एक प्रमुख जैविक नियन्त्रण कारक के रूप मे उभरा है। अतः प्रस्तुत लेख में कीटनाशक सूत्रकृमियों की विभिन्न फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों के विरूद्ध मारक क्षमता एवं उनके उत्पादन का उल्लेख किया गया है।

कीटनाशक सूत्रकृमि

सूत्रकृमि की वे उपजातियां जो कीटों को मारने की क्षमता रखती हैं उन्हें कीटनाशक सूत्रकृमि (Entomo pathogenic Nematode) कहलाती हैं। ये सूत्रकृमि बहुत सूक्ष्म, रंगहीन, पतले, खण्डरहित सूत्रकृमि धागेनुमा, बेलनाकार, अतिसूक्ष्म (0.3–1.5 मिमी.), एक लिंगी तथा परिपोषी है। इन्हें नग्न आखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यन्त्र का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज जर्मनी के वैज्ञानिक स्टाइनर ने 1923 ईसवी में की थी। ये कीटों के बाह्य शरीर पर स्थित प्राकृतिक छिद्रों द्वारा कीटों के शरीर में प्रवेश करके जीवाणुओं का मोचन करते हैं जो विष का सृजन कर कीटों को मारने में भूमिका निभाते हैं।

अभी तक पूरे विश्व मे तीन प्रकार के कीटनाशक सूत्रकृमि जैसे–स्टीनरनीमा, हैटरोरैहवडाइटिस तथा ओशयस की खोज हुई है, जोकि क्रमशः जीनोरैहबडस, फोटोरैहबडस तथा सीरेशिया नामक जीवाणुओं के साथ सहजीवी सम्बन्ध रखते हैं। यह जीवाणु कीटनाशक सूत्रकृमियों के तृतीय शिशु की आंत में पाये जाते हैं। ये कीटों के लिये प्राण घातक पूर्ण परजीवी हैं। विभिन्न फसलों में लेपिडोपटेरन, कोलिओपटेरन तथा डिपटेरन कीट समूह के नियंत्रण में इन कीटनाशक सूत्रकृमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

कीटनाशक सूत्रकृमि का जीवन चक्र

कीटनाशक सूत्रकृमि का जीवन चक्र प्रारूपिक होता है। स्टीनरनेमेटिडी प्रजातियों में नर एवं मादा अलग–अलग होते हैं परन्तु हैटरोरहेबडाइटिडी की प्रजाति में मादा बिना निषेचन (संसेचन) के पश्चात ही प्रसव कर सकती है। मादा अण्डे देती है या अपने शरीर में ही रखती है। भ्रूणावस्था के पश्चात एक सूत्रनुमा शिशु सूत्रकृमि उत्पन्न होता है। जो तीन–चार बार क्रमिक केंचुली उतारने के पश्चात् अन्त में वयस्क नर या मादा का रूप प्राप्त करता है। तृतीय शिशु अवस्था ही संक्रमणकारी (कीटों के प्रति मारक क्षमता) होती है। इसी अवस्था में यह 4–5 महीने तक मृदा में रह सकता है। कीटनाशक सूत्रकृमियों का पूर्ण जीवन चक्र 4–8 दिन में पूरा होता है।

*प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि संभाग भाकृअनुप–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

उच्च तापक्रम के लिये सहिष्णु कीटनाशक सूत्रकृमि

कीटनाशक सूत्रकृमियों की मारक क्षमता, उत्पादन, कीटों को खोजने, जीवितता तथा अन्य गतिविधियों पर विभिन्न प्रकार के जैविक तथा अजैविक कारकों का प्रभाव पडता हैं। उनमें से तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कीटनाशक सूत्रक्रमियों की दो उपजातियां स्टीनरनीमा सीमायी तथा स्टीनरनीमा मसूदी को उत्तर प्रदेश के अरहर वाले क्षेत्र से चिन्हित किया गया है। ये उपजातियां उच्च तापक्रम पर भी प्रभावी हैं। ये हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लार्वा पर परजीवी है तथा मात्र दो से तीन दिनों मे ही इस कीट को मार देती हैं।

वृहद स्तर पर उत्पादन

कीटनाशक सूत्रकृमियों का वृहद उत्पादन कीटों अथवा कृत्रिम माध्यम से किया जा सकता है। कीटों के माध्यम से इनका उत्पादन क्रमशः हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के प्रति लार्वे से लगभग 50 हजार से दो लाख, गैलेरिया मैलोनिला से 2 लाख से 3 लाख तथा कोरसायरा सिफेलोनिका से 1 से 2 लाख शिशु सूत्रकृमि उत्पन्न किये जा सकते हैं। विभिन्न कृत्रिम माध्यम से 10 से 40 लाख प्रति 250 मिली. फ्लास्क से सर्वाधिक किये जा सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में कीट नियंत्रण हेतु लगभग 20 करोड़ शिशु सूत्रकृमियों की आवश्यकता होती है।

भण्डारण

कीटनाशक सूत्रकृमि के उचित भण्डारण के लिये मिट्टी के पात्रों में गीली मिट्टी के साथ टाक पाउडर के प्लास्टिक पैकेट में तथा कीटों के कोकून में भण्डारित किया जा सकता हैं। इन दशाओं में इन्हें लगभग 6 महीनों तक भण्डारित किया जा सकता है।

प्रयोग

पराबैंगनी किरणों तथा त्वरित शुष्कता के कारण कीटनाशी सूत्रकृमियों के प्रयोग में अत्यन्त कठिनाइयां हैं फिर भी आद्र दशाओं (उषाकाल एव सायंकाल) में प्रयोग करने पर अत्यन्त प्रभावी होता है। इनकी उचित मात्रा (20 करोड़ प्रति हेक्टेयर की दर से) तथा तकनीक (उजाला नील, गिलसरीन) के साथ प्रयोग करने से कीटों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

कीटनाशी सूत्रकृमि द्वारा कीटों का प्रबन्धन

सिंचाई जल विधि द्वारा

तृतीय शिशु अवस्था कीटनाशक सूत्रकृमि (2.5 x 199 एक हेक्टर के लिए) की संख्या क्षेत्रफल के अनुसार लेकर उसे सिंचाई के जल में डाल कर खेत तक पहुंचाते हैं। यह सूत्रकृमि पानी के साथ–साथ मृदा में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर यह कीटों के सम्पर्क में आने पर उनके भीतर प्राकृतिक रन्ध्रों द्वारा उनके शरीर के अन्दर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच कर वह अपने शरीर के जीवाणु कीटों के शरीर में निकालते हैं। यह जीवाणु ही कीटों को मारने में सहायक होते हैं ।

छिड़काव विधि द्वारा

इस विधि द्वारा उन कीटों का नियन्त्रण करते हैं जो बाहर से क्षति पहुंचाते हैं। जब कीटों का प्रकोप हो तब तृतीय अवस्था के शिशु को आवश्यकता अनुसार (2.5×10^9 एक हेक्टर के लिए) 0.1% ग्लिसरीन एवं एक ग्राम नील का घोल बनाकर स्प्रे मशीन द्वारा पौधों के ऊपरी भाग में छिड़काव करते हैं। नील का प्रयोग सूत्रकृमि को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए करते हैं। इसी प्रकार ग्लिसरीन का उपयोग निर्जलीकरण रोकने के लिए करते हैं ताकि सूत्रकृमि अधिक समय तक जीवित और प्रभावी रहें।

कीटनाशक सूत्रकृमि की विशेषताएं

कीटनाशक सूत्रकृमि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसके कारण हम इसको एक अच्छा जैविक नियन्त्रण कारक कह सकते हैं–

- विविध कीटों को मारने की क्षमता।
- लघु जीवन चक्र 4 – 8 दिन।
- अल्पकाल 24–72 घंटे मे ही प्रभावी ।
- सरल उपलब्धता।
- उच्च तापमान पर भी प्रभावी।
- कृत्रिम भोजन पर भी कीटनाशक सूत्रकृमि की संख्या वृद्धि का संभव होना।
- घोल में मिश्रित करने में आसान।
- सुगम और आसान विधियों द्वारा छिड़काव संभव।
- अनेक रसायनिक कीटरोधक रसायनों के साथ संगत।

- एकीकृत जैव कीट नियंत्रण/प्रबन्धन का एक अभिन्न अंग।
- अधिक समय के लिये सुरक्षित भण्डारण संभव।
- सुरक्षित पर्यावरण ।

आभार

लेखक निदेशक, उपनिदेशक (अनुसंधान), अध्यक्ष, सूत्रकृमि संभाग, भाकृअनुप–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का उनके सहयोग एवं मार्ग दर्शन के लिये आभार व्यक्त करता है।

तालिका 1: कीटनाशी सूत्रकृमि द्वारा महत्वपूर्ण कीटों का सफलतापूर्वक प्रबंधन।

क्रम सं.	कीट	कीटनाशक सूत्रकृमि
1	*हेलिकोवर्पा अरमीजिरा (फली भेदक)*	*स्टीनरनिमा मसूदी, स्टीनरनिमा सीमायी, स्टीनरनिमा कारपोकेपसी तथा स्टीनरनिमा थरमोफिलम*
2	*लैम्पिडिस वौयूटीकस (नीली तितली)*	*स्टीनरनिमा मसूदी, स्टीनरनिमा सीमायी तथा स्टीनरनिमा कारपोकेपसी*
3	*मारूका विटराटा (धब्बेदार फली भेदक)*	*स्टीनरनिमा मसूदी तथा स्टीनरनिमा सीमायी*
4	*माइलोसिरस (अरहर की पत्ती मक्खी)*	*स्टीनरनिमा मसूदी, स्टीनरनिमा सीमायी तथा स्टीनरनिमा कारपोकेपसी*
5	*डाइक्रेसिया औवलीगुआ*	*स्टीनरनिमा मसूदी, स्टीनरनिमा सीमायी तथा स्टीनरनिमा कारपोकेपसी*
6	*एग्रोटिस एपसिलोन (कटुआ)*	*स्टीनरनिमा कारपोकेपसी*
7	*माइलोवरिस पसचुलेटा (धारीदार वीटिल)*	*स्ओीनरनिमा मसूदी तथा स्टीनरनिमा सीमायी*
8	*प्ल्यूटीला जाइलोस्टीला*	*स्टीनरनिमा कारपोकेपसी*
9	*कैलोसोब्रूकस (घुन)*	*स्टीनरनिमा मसूदी, स्टीनरनिमा सीमायी तथा स्टीनरनिमा कारपोकेपसी*
10	*ट्राइवोलियम कैस्टेनियम*	*स्टीनरनिमा मसूदी तथा स्टीनरनिमा सीमायी*

राजभाषा हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

1. 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। तब से यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2. राजभाषा अधिनियम संसद में 1963 में ही पारित हो गया था लेकिन धारा 3 (3) बाद में 26.01.1965 से लागू हुई। 1967 में अधिनियम में संशोधन किया गया।
3. राजभाषा नियम 1976 में बनाया गया ।
4. हमारे संविधान में 9 अनुच्छेद (343 से 351) भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित हैं।

तुम जो आए... जिंदगी बेरंग हो गई

रेखा दुबे*

जीवन तेज़ गति से चल रहा था, साथ ही रोज नई ख्वाहिशें हकीकत से रूबरू हो रही थीं। कईयों के सपने सच हो रहे थे तो किसी के लिए धरती स्वर्ग बन रही थी। सब कुछ था लेकिन संतुष्ट हम 2020 के आगमन से पहले भी नहीं थे। बोझिल सा हो रहा था सब कुछ। कहीं भी कोई ब्रेक नहीं, बच्चों को स्कूल जाने को मन नहीं करता था, रोज नए बहाने..... कभी पेटदर्द, कभी सरदर्द, कभी बुखार और हर सुबह बच्चे बिस्तर से उठने को राज़ी नहीं थे। कॉलेज के विद्यार्थी भी एक ब्रेक की उम्मीद लिए बैठे थे और नौकरीपेशा लोग, वो भी बच्चों से कम नहीं थे। रोज़ सुबह उनका भी ऑफिस जाने को मन नहीं करता था। एक ब्रेक तो सबका अधिकार बनता है....लगता था कोई तो ऐसा दिन आए जब बस सारा दिन घर में बैठें, न कोई आए और न हम कहीं जाएं। बस सुकून मिल जाए इस भाग–दौड़ की जिंदगी से। लेकिन जीवन पर ऐसा ब्रेक तो कभी भी किसी को नहीं चाहिए था। कभी–कभी ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर ने सभी के मन की व्यथा पढ़ ली और 2019 के अंत में चीन से एक वायरस कहर के रूप में आया, किसी के लिए कोई दया नहीं, करुणा नहीं और निष्ठुरता की हद कर दी इस कोरोना वायरस ने। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के जीवन में ऐसा ब्रेक लगाया कि जिंदगी बदल गई। कैसी विडंबना है ये। जो लम्हें पहले आंखों में चुभ रहे थे अब बस उन्हीं बीते लम्हों की वापसी की उम्मीद लिए बैठे हैं, काश वही पल वापस आ जाएं तो जिंदगी सुकून से भर जाए।

वर्ष 2020 के आगमन का जश्न अभी पूरी तरह मना भी नहीं पाए थे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। विश्व के विकसित, विकासशील या गरीब देश कोई भी इसके दुष्प्रभाव से अछूते नहीं रहे। जिंदगी में जो गजब की रफ्तार थी, बिल्कुल थम सी गई। सारे विश्व पर गम के बादल छा गए। इसने तो जीवन के मायने ही बदल दिए। **पहला सुख निरोगी काया** है और जीवन की अनिवार्यता **स्वस्थ शरीर और सादा भोजन** है... ये हमेशा के लिए याद आ गया जो अब तक केवल किताबों तक सीमित था।

वर्ष 2021 में इस वायरस की दूसरी लहर ने हालात ऐसे बिगाड़े कि इतिहास गवाह रहेगा कि मौत का ऐसा तांडव हमने कभी नहीं देखा। कोरोना से राहत पाने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडरों में भरी जा रही थी वही खत्म। इतना मृत्यु भय कहां से आ गया कि लोग मानवता से ही मुक्त होते चले गए। हकीकत यह रही कि सोशल मीडिया ने लोगों की भावनाओं को विस्तार देने की बजाय संकुचित कर दिया। इन्तेहा यह हुई कि पहले से ही बंद दिल के दरवाजे पर हमने और मोटे ताले डाल दिए। घरों के अंदर सिमट गए और संतुष्ट हो गए कि संकट जल्द ही टल जाएगा। रिश्तेदार करीबियों और दोस्तों का हाल–चाल तो जाना लेकिन किसी को कोई आवश्यकता हुई तो मदद नहीं कर पाए। ऐसी बेबसी और लाचारी कई सदी तक याद की जाएगी। पहले अस्पताल में बेड गायब, फिर दवाईयां, फिर ऑक्सीजन, फिर कंसन्ट्रेटर और साथ ही डॉक्टर भी। स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी चरमरायी कि चारों तरफ शवों के ढेर ही ढेर। इस त्रासदी में भी लालची लोगों ने जान का सौदा किया। जीवन रक्षक दवाईयां और उपकरण मुंहमांगे दामों पर बिके। गरीब तो बिना इलाज के ही दुनिया से चला गया लेकिन अमीर के पैसों का अंबार भी उसे जीवनदान न दे पाया।

नालों में फेंकी गई औषधियां, इस्तेमाल की गई बीमारी की किट और नदियों में बहा दी गई संक्रमितों की लाशें बता रही हैं कि यह वह मानव नहीं है जिसे बनाकर प्रकृति ने स्वयं को इतना संपूर्ण महसूस किया था। कौन से परिवर्तन की चाह में हम कहां से कहां आ गए। ये विचार मन में क्यों नहीं आया कि हम वही संस्कृति हैं जो सोचा करते थे **सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।** क्यों डॉक्टरों से लेकर गली कूचे तक में पैशाचिक प्रवृति घर करती चली गई ..... ''सर्वे भवन्तु दुखिनः **''सर्वे सन्तु रोगमया''** की राह पर हम कैसे बढ़ गए।

*वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

इस वायरस ने हमारी सामाजिकता पर प्रहार किया है। हमारे आपसी लगाव को चोटिल किया है। तकरीबन पौने दो साल से ज्यादा हो गया। हमारे सारे त्यौहार सूने हो गए। खुशी और गम में भी लोग पास नहीं आ रहे हैं। इन दोनों ही अवसरों पर देश क्या विदेश में रहने वाले रिश्तेदार एकत्रित होकर खुशी और गम के भागीदार बनते थे। आज कोरोना संक्रमित मरीज के पास जाना तो रहा दूर, उसकी मौत पर भी करीबी तक साथ नहीं दे पाए। मृतक का परिवार खुद को कितना अकेला और असहाय महसूस कर रहा है। यह सोच कर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ऐसे परिवारों को ढांढस बंधाने वाला कोई भी नहीं है, जिनके परिवारों में मौतें हुई उनका तो जीवन हमेशा के लिए बेरंग और सूना हो गया। किसी से मिलकर अंतिम पलों में अलविदा न कह पाने का दर्द जीवन भर तकलीफ देगा। सबसे ज्यादा तकलीफ जीवनभर इस बात की रहेगी कि दुख में भी सब अकेले ही बंद कमरों में सिसकते रहे। इंसानों की प्रकृति बीमारों के नजदीक जाने और उस पर दया प्रकट करने की रही है, लेकिन इस वायरस ने इंसानों की इस सबसे अच्छी प्रवृति पर हमला किया है। शवों को चार कंधे भी नसीब नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में हजारों शव अंतिम संस्कार के बिना नदियों में बहा दिए गए और कुछ स्थानों पर हिंदुओं के शव भी दफना दिए गए। सनातन धर्म में दाह संस्कार को अंतिम संस्कार माना जाता है लेकिन इस दौरान मृतकों की संतानें अस्पताल में अपने माता–पिता के शव लावारिस छोड़ कर चली गईं। कुछ स्थानों पर कोरोना मृतकों के शव लेने उनके परिजनों के न आने पर पुलिस ने और कहीं अनजान लोगों ने भी मानवता का परिचय देते हुए शवों का दाह संस्कार किया। महामारी ने मनुष्य को एकांगी होने को मजबूर कर दिया । **ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि ''मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है''** इसलिए जब भी यह संकट दूर होगा तब लोगों को सामाजिक जुड़ाव की जरुरत ज्यादा महसूस होगी लेकिन क्या सब एक–दूसरे से उसी स्नेह के साथ मिल पाएंगे जैसा पहले था ।

ऑक्सीजन के सहारे टिकी अनगिनत सांसें और कोरोना के शिकार हुए लोगों की लाशों के अंबार के बीच हमें इस वैश्विक महामारी का विनाशकारी प्रभाव केवल मानव जीवन और उसके स्वास्थ्य के साथ ही अर्थव्यवस्था तथा नागरिक असुविधाओं और कष्टों पर ही नज़र आ रहा है जबकि इस महामारी ने हमारे सदियों के अनुभवों और आवश्यकताओं के अनुरुप विकसित सामाजिक तानाबाना और व्यवहार को भी क्षति पहुंचाई है। महामारी से बचने के लिए बनाई गई सामाजिक दूरियों ने न केवल मित्रों और रिश्तेदारों को दूर कर दिया बल्कि हर रिश्ते के बीच खौफ तथा अलगाव की दीवार खड़ी कर दी है। सारी सीमाएं सिमट कर हमारे दरवाजों तक आ गईं हैं।

धरती पर सबसे ताकतवर मानव शत्रु साबित हो रहे कोरोना पर विजय पाने में विलंब जरूर हो रहा है लेकिन रात के बाद दिन तो आएगा ही। संकट से जूझ रही मानवता के जेहन में कोरोना के बाद की दुनिया और उसकी नयी व्यवस्थाओं के प्रति अभी से एक सवाल उठ रहा है कि इस महामारी ने हमारे सामाजिक रिश्तों को जो अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है, उसकी भरपाई कैसे होगी और संकट के बाद का समाज कैसा होगा? प्रकृति की मार के आगे फिलहाल विज्ञान भी लाचार है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत को लागू किया जा रहा है।

हताश तो इस वायरस ने किया ही है लेकिन निराश नहीं हुए हैं हम क्योंकि चंद लोग भीड़ से अलग चलते हुए मानव सेवा में तन–मन–धन से जुटे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन तक लोगों की सेवा में दांव पर लगा दिया। धन के लोभी लोगों को संभलने के लिए वक्त अभी बीता नहीं है सही राह पर चलने में उनसे देर जरूर हुई है। लेकिन अभी नहीं संभलें तो वाकई देर हो जाएगी।

दुआओं में बड़ी ताकत होती है। ये हर संकट से उबार लेती हैं तो आइये दुआ करें कि ये महामारी अब विश्व से खत्म हो, जिन्होंने अपने परिवार में किसी को खोया है, उन्हें ईश्वर इस दुख को सहने की ताकत दे और हमारे जीवन के सभी रंग वापस आएं, प्यार और सौहार्द का माहौल फिर से कायम हो। अब किसी मां की गोद, किसी पत्नी की मांग का सिंदूर और किसी बच्चे के सिर से मां–बाप का साया न हटे।

सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा पास रहने के लिए तन की दूरी बनाए रखें लेकिन मन के दरवाजे खोल दें और हर रिश्ते को भरपूर आत्मीयता दें, क्योंकि समय की यही मांग है।

आये हैं निभाने जब किरदार ज़मीं पर
कुछ ऐसा कर चलें कि जमाना मिसाल दे।।

अभिव्यक्ति

डॉ. मीना राजपूत*

अभिव्यक्ति का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। यहां अभिव्यक्ति का तात्पर्य भावनात्मक अभिव्यक्ति से है। इसका अर्थ है अपने मनोभावों को किसी के समक्ष स्पष्ट या प्रकट करना या अपनी भावनाओं को रूप देना। यह किसी के व्यक्तित्व का अभिनव हिस्सा है और इसे छिपाना असंभव होता है, क्योंकि यह किसी–न–किसी रूप में स्वयं ही प्रकट हो जाती है। सर विलियम के अनुसार, ''आत्म प्रकाशन मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है।'' हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए सरल, सुगम, स्पष्ट, प्रभावशाली व मौलिक अभिव्यक्ति का होना अत्यावश्यक होता है। विचारों के आदान–प्रदान से दूसरों के साथ निकटतम संबंध स्थापित होता है, एक–दूसरे को समझने का समान अवसर मिलता है। उनके भाव, अंतर्द्वंद्व और विचारों को जानने–समझने में आसानी होने के साथ अपने विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से और स्पष्ट रूप से प्रकट करने की क्षमता भी धीरे–धीरे विकसित होती है। अभिव्यक्ति हमारे व्यक्तित्व को उजागर करती है। यह आपसी समझ बढ़ाने का साधन है। अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर देने से हमारा मन हल्का हो जाता है, इसलिए अपनी भावनाओं को छिपाने की बजाय उसे व्यक्त करना अधिक श्रेयस्कर होता है।

हम अपनी भावनाओं को अपने चेहरे के हाव–भाव व इशारे से, कहकर या लिखकर प्रकट करते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आमने–सामने बैठकर परस्पर बातचीत, कहानी, काव्य पाठ, घटना वर्णन, चित्र वर्णन, चुटकुले सुनाना, टेलीफोन वार्ता, भाषण, समाचार–वाचन आदि मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप हैं। उसी प्रकार, दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में लेख आदि के माध्यम से अपने विचार प्रकट करना अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम कहलाता है। मौखिक अभिव्यक्ति स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित अभिव्यक्ति कृत्रिम होती है। मौखिक अभिव्यक्ति निरक्षर व्यक्ति भी समझ सकता है जबकि लिखित अभिव्यक्ति के लिए पढ़ा–लिखा साक्षर होना आवश्यक है। यही नहीं, मौखिक अभिव्यक्ति में तीव्रता होती है। यह कम समय में और तीव्र गति से सामने वाले के दिल और दिमाग तक पहुँच जाती है जिससे इस पर तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सकती है। लिखित अभिव्यक्ति समय चाहती है और इसकी प्रतिक्रिया में भी समय लगता है।

आज के दौर में हम किसी भी विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। चूँकि किसी विषय को देखने व समझने का सभी का अपना–अपना नजरिया होता है, इसलिए स्वभावतः हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति की भिन्नता नवीनता के लिए प्रेरित करती है और नए आयाम खोज निकालती है। हमारे संविधान में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया है, परंतु हमें भी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। विचार करने के इस मानवीय गुण के साथ उसे सलीके से अभिव्यक्त करने की मानवीयता पर भी ध्यानपूर्वक विचार कर अपने विचारों को सुलझे हुए रूप में सही ढंग से अभिव्यक्त करना चाहिए जिससे कि हमारी अभिव्यक्ति से मानवीय विकास में योगदान के साथ सामाजिक उन्नति भी हो।

आज के आधुनिक दौर में मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के कई नए माध्यम मौजूद हैं जिनका प्रयोग कर बोलकर लिखना और लिखकर बोलना दोनों ही तीव्र गति से

*वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

होने लगा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया के चलते आज हर आम व खास, अनपढ़ और साक्षर, पास रहने वाले और दूर–दराज क्षेत्रों में रहने वाले धड़ल्ले से मौखिक व लिखित दोनों ही रूपों में अपने विचारों और भावों का आदान–प्रदान करने लगे हैं। इस माध्यम से भेजे गए लिखित संदेश और मौखिक बातें सार्वजनिक भी पलक झपकते ही हो जाती हैं। इसलिए सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति को मर्यादा में रखना जरूरी हो गया है, अन्यथा अपनी अभिव्यक्ति की सफाई में अभिव्यक्ति देने की आवश्यकता आन पड़ सकती है। कही गई बात कब अपमान जनक बात और अपमानजनक बात कब दंडनीय अपराध बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपत्तिजनक टिप्पणी की शिकायत होने पर और जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की दो धारी तलवार भी सदैव तैयार रहती है।

अपनी अभिव्यक्ति को सार्वजनिक करने से पहले अर्थात् कुछ भी कहने या लिखने से पहले यह याद रखना जरूरी है कि भला–बुरा कहने के बाद अपने शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता है, हां उस व्यक्ति से क्षमा जरूर मांगी जा सकती है, परंतु उस बात से उसको पहुँचे दुःख को कम नहीं किया जा सकता है इसलिए अपने मन में उठने वाले विचारों को अभिव्यक्त करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि इसे अभी व्यक्त करना है अथवा नहीं।

सपने और संसार

स्वीटी कुमारी*

सपनों के सागर में,
उमंगों की लहरों पर।
बैठा मेरा मन,
छूना चाहता है आशाओं के अंबर को।
जहाँ बिचरते हैं बिखरे बादल,
ओढ़े सतरंगी चुनर ।।

सोचा है इस मन ने,
पार उस अंबर के हैं वह सारे सुख।
जो नहीं मिलते इस धरातल पर,
हर दिन हर पल।।

उन खुशियों की खोज में,
जब उठती है नजर चारों तरफ।
दिखता है फैला वह अंधकार,
जिसमें लुप्त हो रहा है यह जगत।।

संसार वही इंसान वही,
फिर क्यों यह अंधकार सर्वत्र।
आया नहीं वह नवयुग,
बस कलयुग गया है कुछ और निखर हो और प्रखर।।

कष्ट निवारण होंगे सबके,
जब पड़ेगे धरती पर उसके मंगल चरण।
ढूंढती हूँ,
लालिमा जिसकी,
पाऊँगी उस सूर्य को कल फैलाते प्रकाश किरण।।

संसार पाएगा खुशियाँ तभी,
जब अंधकार होगा विलुप्त।
पाएगा संसार उन किरणों से वह अमृत रस,
डूब कर जिसके सागर में,
संसार जाएगा कुछ और संवर।।

चित यह चाहता है देखना बस उधर,
जिधर से आती है प्रकाश किरण।
वह वेग जिस पर बैठा है बदलाव,
आएगा फिर,
रूप बदल।
देख वर्तमान की पीड़ा,
होगी फिर हर्ष ध्वनि,
हर ओर और फैलेगा उजियारा सब ओर।।

*प्रबंधक, सैंट्रल वेअरहाउस, नैनी

संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा स्वरूप तथा अंतर

भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है और यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए भाषा की जरूरत होती है। संप्रेषण की आवश्यकता के अनुरूप हम कभी वक्ता या लेखक की भूमिका निभाते हैं तो कभी श्रोता या पाठक की। इस प्रकार अभिव्यक्ति के स्तर पर भाषा के दो रूप संभव हैं– (1) मौखिक, और (2) लिखित।

संप्रेषण क्रिया तभी संपन्न होती है जब व्यक्ति–व्यक्ति, व्यक्ति–समाज व समाज–राष्ट्र के भाषा विज्ञान की एक–समान आधारभूमि हो। अर्थात् यदि वक्ता व श्रोता अथवा लेखक व पाठक के भाषा विज्ञान की आधार भूमि भिन्न–भिन्न होगी तो एक–दूसरे की बात समझने में कठिनाई होगी। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। हिंदी में यदि हम कर्ता कर्म क्रिया के क्रम का निर्वाह करते हैं तो अंग्रेजी बोलने वाला कर्ता क्रिया कर्म के क्रम को अपनाता है। ये व्यवस्थापरक नियम ही भाषिक संरचना और उस संरचना के आधार पर बने वाक्यों की अभिरचना (पैटर्न) का निर्माण करते हैं।

संपर्क भाषा : प्रत्येक भाषा के एक से अधिक प्रकार्य होते हैं और उसके प्रकार्य के आधार पर ही उसे संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में जाना जाता है। यदि हम भाषा के प्रकार्य के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की बात करें तो कभी वह भारत संघ की राजभाषा के रूप में हमारे सामने आती है तो कभी संपर्क और राष्ट्रभाषा के रूप में। जो भाषा जितने अधिक प्रकार्य निष्पादित करती है वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध होती है।

संपर्क भाषा वस्तुत दो से अधिक भाषा–भाषियों के बीच संपर्क साधने की भाषा होती है। दूसरे शब्दों में, दो या अधिक भाषा–भाषियों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का व्यवहार किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में सबसे अधिक संख्या में बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी ही है इसलिए वह भारत की संपर्क भाषा भी रही है। हिंदी किसी प्रांत विशेष या धर्म विशेष की सीमाओं में आबद्ध न हो संपूर्ण भारत में संपर्क भाषा के रूप में स्वीकृत है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी केवल हिंदी भाषियों की ही नहीं, वरन् हिंदीतर भाषियों की भी एकमात्र संपर्क भाषा है।

संपर्क भाषा का स्पष्ट तौर पर अर्थ सुनिश्चित करना आसान नहीं है। कारण यह है कि प्रयोक्ता इसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा के पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं। जापान, कोरिया तथा बुल्गारिया आदि ऐसे देश हैं जहां एक ही भाषा राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा है और जिसे एक ही शब्द–''राजभाषा'' से अभिहित किया जाता है। दूसरी ओर, रूस जैसे देश हैं, जहां कई भाषाएं होते हुए भी एक भाषा स्वीकार कर ली गई है। तीसरी श्रेणी कनाडा, स्विटजरलैंड आदि जैसे देशों की है जहां एक से अधिक राजभाषाएं तथा संपर्क भाषाएं हैं। किंतु भारत की स्थिति इन सबसे भिन्न है। यहां आम आदमी के बीच संपर्क भाषा हिंदी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया जाता था उसमें संपर्क भाषा का अर्थ भी समाहित था।

हिंदी केवल बोलने वालों की दृष्टि से ही भारत की प्रमुख भाषा नहीं है बल्कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके बोलने वाले भारत के प्रत्येक राज्य में पर्याप्त संख्या में रहते हैं। हिंदी से इतर अन्य कोई भारतीय भाषा ऐसी नहीं है जो अपने क्षेत्र से बाहर इतने बड़े समुदाय द्वारा प्रयुक्त की जाती हो।

राष्ट्रभाषा : भारत एक बहु भाषा–भाषी राष्ट्र है और किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसे राष्ट्र की अधिकांश जनता बोलती और समझती हो। इस अर्थ में हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो केवल भारत की ही नहीं विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है। यदि बोलने वालों की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है।

राष्ट्रभाषा के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा करना अप्रासंगिक न होगा। स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र

*राजभाषा विभाग से साभार

नायकों ने भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता को पहचाना था और हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने ''स्वराज'' और ''स्वभाषा'' के पारस्परिक संबंध और महत्व को उद्घाटित किया था। गांधी जी का भाषा संबंधी दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस काल में था। उल्लेखनीय है कि स्वयं गांधी जी ने अपने पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार–प्रसार करने भेजा था और जातीय तथा भाषायी संकीर्णता के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की भावना को जन–जन में परिपुष्ट करने के लिए ही गांधी जी ने अपने पुत्र का विवाह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बेटी से करवाया था। काका साहब कालेलकर महाराष्ट्र के थे परंतु हिंदी भाषा के प्रचार में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। किसी भी देश की अखण्डता, एकता सर्वोपरि है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 अस्तित्व में आया और राजभाषा हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखा गया। कहना न होगा कि यूं तो अघोषित रूप से हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा है किंतु अन्य भाषा–भाषियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक तौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है।

राजभाषा : सन् 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्व लड़ी गई लड़ाई को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। उस समय संपूर्ण भारत छोटी–छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। सन् 1857 की लड़ाई का बलपूर्वक दमन कर दिया गया था। भारत के शीर्ष नेताओं ने यह महसूस किया कि उक्त लड़ाई की असफलता के पीछे किसी एक संपर्क भाषा का न होना भी एक बड़ा कारण था। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सम्मेलनों में हिंदी को संपर्क भाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचार–प्रसार किया। परिणामस्वरूप 1947 में जब देश आजाद हुआ हुआ और देश के संविधान का निर्माण हुआ तब देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को ही राजभाषा घोषित करने के लिए सर्वथा उपयुक्त पाया गया और हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। आगे चलकर इसमें समय–समय पर कई नियम, आदेश और संकल्पनाओं का समावेश किया गया।

राष्ट्रभाषा और राजभाषा में प्रमुख अंतर इस प्रकार है :–

(1) **राष्ट्रभाषा** समूचे राष्ट्र के अधिकांश जन–सामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग जिस भाषा में आपसी बातचीत, विचार–विमर्ष और लोक–व्यवहार करते हैं, वही **राष्ट्रभाषा** है।

दूसरी ओर, **राजभाषा** का प्रयोग प्रायः राजकीय, प्रशासनिक तथा सरकारी–अर्धसरकारी कर्मचारियों–अधिकारियों द्वारा होता है। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है।

(2) **राष्ट्रभाषा** का शब्द–भंडार देश की विविध बोलियों, उपभाषाओं आदि में समृद्ध होता है उसमें लोक प्रयोग के अनुसार नई शब्दावलियां जुड़ती चली जाती है। जबकि **राजभाषा** का शब्द–भंडार, एक सुनिश्चित साँचे में ढला है और प्रयोजन विशेष के लिए निर्धारित प्रयुक्तियों तक ही सीमित होता है।

(3) **राष्ट्रभाषा** जनता की भाषा है। **राजभाषा** प्रशासक वर्ग की भाषा है।

(4) **राष्ट्रभाषा** का प्रयोग अनौपचारिक रूप से, उन्मुक्त और स्वच्छन्द शैली में होता है। **राजभाषा** औपचारिकता की मर्यादा–सीमाओं में बंधी रहती है। उसमें मानव–सुलभ, सहजता, उन्मुक्तता या स्वच्छन्द कल्पना के लिए विशेष स्थान नहीं। निर्धारित और मानक–रुप में मान्य भाषा–प्रयोग की नियमावली का अनुसरण राजभाषा में आवश्यक है।

(5) **राष्ट्रभाषा** में राष्ट्र की आत्मा बोलती है। समूचे देश की जनता की सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म और समाज संबंधी धारणाएं, जीवन के विविधतापूर्ण व्यावहारिक पहले, लौकिक–आध्यात्मिक प्रवृत्तियां, निजी और सामूहिक सुख–दुख के भाव, लोक–नीति संबंधी विविध विचार और दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही साकार होते हैं।

राजभाषा की प्रकृति इससे कुछ भिन्न है। वह वैधानिक आवरण धारण किए रहती है। उसमें अधिकतर प्रशासकीय, कानूनी और संवैधानिक नियम–विधान, विधि–निषेध एवं उनसे संबंधित विवेचन–विश्लेषण किया जाता है।

(6) **राष्ट्रभाषा** राष्ट्र के समस्त सार्वजनिक स्थानों, तीर्थों, सांस्कृतिक केन्द्रों, सभास्थलों, गली–मुहल्लों, हाट–बाजारों, मेलों–उत्सवों में प्रयुक्त होती है, जबकि **राजभाषा** का प्रयोग–क्षेत्र कार्यालयों की चार–दीवारी तक सीमित है।

संक्षेप में, कहा जा सकता है कि **राष्ट्रभाषा** तो एक विशाल उद्यान है, जबकि **राजभाषा** उसी विशाल उद्यान से चुने हुए एक विशेष प्रकार के फूलों का गुलदस्ता है।

जीवन जीने का उत्तम तरीका है योग

मनीषा दांदले *

योग की उत्पत्ति भारत में हुई। योग के लिए भारत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। योग केवल एक शारीरिक गतिविधि ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक उत्तम तरीका है। 'योग' शब्द बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों में ध्यान संबंधी प्रथाओं से जुड़ा हुआ है।

योग प्राचीन कला रूपों में से एक है जो भारत में एक हजार साल पहले उत्पन्न हुई थी। संस्कृत शब्द 'युज' से योग शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ है अपनी साधारण इंद्रियों में एकजुट होना। यह व्यक्तिगत आत्मा का दैवीय आत्मा से संबंध है। यह मानसिक और शारीरिक अनुशासन है जो मन और शरीर को नियंत्रित करता है।

योग का अभ्यास किशोर, वयस्क, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है। योग हमें अपने भीतर से जोड़कर दैनिक जीवन के तनाव से निपटने में मदद करता है। लोगों के लचीलेपन और शक्ति के आधार पर योग के विभिन्न प्रकार हैं। मानव प्रकृति, भौतिक और मनोविज्ञान के विभिन्न तत्वों के नियंत्रण के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने का योग एक व्यवस्थित प्रयास है। योग के दो प्रकार हैं– भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक पक्ष में, मुद्राओं के अलावा आसन, क्रिया, बैंड और प्राणायाम भी हैं।

योग की कई शाखाएँ हैं, जैसे–राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग। योग के सबसे सरल रूपों में से एक है 'हठ योग', जो योग का सामान्य रूप है, जिसे एक ही मुद्रा में रहते हुए श्वास को नियंत्रित किया जाता है। भारतीय या विदेशी सामान्यतः जिस योग की बात करते हैं, उसका तात्पर्य आमतौर पर हठ योग से होता है। ''अष्टांग'' योग आसन को करने से पूरे शरीर की आंतरिक सफाई होती है, जिससे रक्त गर्म होता है और रक्त का संचार बेहतर होता है, जो शरीर से दर्द और बिमारियों को दूर करने में मदद करता है। इसमें प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम भी शामिल हो सकते हैं। प्राणायाम, जो गहरी सांस लेने और सामान्य खींच पर केंद्रित है, ऑक्सीजन के साथ रक्त को बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। योग से मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, मोटापा आदि कई बीमारियों के इलाज में लाभकारी परिणाम मिलते हैं। योग पूरक या वैकल्पिक चिकित्सा की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है।

युवाओं में जीवन शक्ति को बनाए रखने में भी योग मदद करता है। आज की वैश्वीकृत दुनिया में युवा अत्यधिक तनाव और अवसाद में हैं। योग का अभ्यास करने से उन्हें तनाव से निपटने, भावनात्मक स्थितियों को संभालने और आत्मविश्वास हासिल करने में भी मदद मिलती है।

''योग स्वयं को भीतर से देखने का दर्पण है।''

योग व्यायाम तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने, शुद्ध करने और समन्वय करने में मदद करता है। नियमित रूप से योग करने से शरीर का विषाक्त पदार्थ सड़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह दिमाग को भी संतोष और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। योग यह महसूस कराता है कि हमारे मन जैसी ही हमारे शरीर की भी अपनी गरिमा है।

*लेखाकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

आज योग चिकित्सा की एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। लोग इसे नियमित रूप से सीख रहे हैं क्योंकि व्यवस्थित रूप से अभ्यास करके योग से शारीरिक व मानसिक फिटनेस पायी जा सकती है। इसके अलावा, न तो यह महंगा है और न ही इसके कोई साइड इफेक्ट ही हैं।

योग वर्क–आउट नहीं है, यह एक काम है और यह हमारे दिलों को खोलने और अपनी जागरुकता पर ध्यान केंद्रित करना सिखाने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास का केंद्र है। योग प्रत्येक व्यक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्वास्थ्य में सुधार करता है, यह जीवन की सभी समस्याओं का हल है। इसके इतने सारे लाभ हैं कि इसे गिना नहीं जा सकता है।

21 जून अंतराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और लोगों को योग के लाभों के बारे में जागरुक किया जाता है। योग मानव जाति के लिए एक महान उपहार है, जो हमें बेहतर रखने और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योग का अभ्यास करते समय उच्च धैर्य स्तर भी विकसित होता है, जो नकारात्मक विचारों को दूर रखने में मदद करता है इससे मानसिक शांति, विचारों की स्पष्टता और बेहतर समझ मिलती है। हम सभी विश्व शांति की कामना करते हैं। और हमें विश्व शांति तब प्राप्त होगी जब हम अपने मन के भीतर असीम शांति स्थापित करेंगे।

संक्षेप में, योग के अनेक लाभ हैं। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए और इससे लाभ उठाना चाहिए। यह किसी भी कृत्रिम साधनों या दवाओं या किसी भी तरह के किसी शार्टकट के उपयोग के बिना एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने का रहस्य है।

योग अपना कर जीवन में पाइए, खुशियां अपार।
आइए, स्वस्थ जीवन के सपने को करें साकार।।

कर्त्तव्यपरायणता

अजब सिंह*

जब बुरे दिन आते हैं, लोगों को डराते हैं।
संघर्ष नहीं जो कर पाते हैं,
वो उसके चक्कर में फंस जाते हैं,
कुछ तो बस रोते रहते हैं,
जो है उसको भी खोते हैं।

पर जो मेहनत कर जाते हैं,
वो बुरे दिनों को बतलाते हैं।
हम न तुझसे घबराते हैं,
अपनी मेहनत पे विश्वास जमाते हैं।

उनके ही बहुत जल्द,
फिर अच्छे दिन आ जाते हैं।।
जो आँधी में उखड़ गए,
वो पेड़ नहीं फल देते हैं,
पर जिसने साहस न तोड़ा।

वो फिर हरियाली पाते हैं।
और हां, बुरे दिन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं,
चलो इस बारे में भी कुछ बताते हैं,
कौन है अपना कौन पराया।
जीवन में जो जान न पाया बुरे वक्त के आते ही,
सब दो पल में ही बिखर गया।

जो इतना बड़ा जलसा था,
वो पल भर में ही किधर गया?
फिर यही जानने में आया,
कौन है अपना, कौन पराया।

बस दो पल की है तेरी माया,
एक दिन ढल जाएगी तेरी काया।
शायद अब तुझको समझ में आया,
सब ऊपर वाले का है साया।

यदि साहस है तेरे पास ,
तो ये वक्त नहीं कर सकता है तेरा विनाश।
तू करता रह कर्तव्य अपना,
पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ और भूल कर
दुनियादारी को, रख प्रभु में आस।।

*वेअरहाउस प्रबंधक, सैंट्रल वेअरहाउस, सूरजपुर

सफ़र

मीनाक्षी गम्भीर*

"किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंज़िल
कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा"

दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करीब–करीब सभी लोगों को उपर्युक्त शेर कभी न कभी ज़रूर अपनी ज़िन्दगी के करीब लगता होगा। घर से कार्य स्थल तक जाना आना किसी सफर से कम नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। रोज़ दैनिक कार्यक्रम के अनुसार अपना तो सफर शुरू हो जाता है। आज भी जब घर से ऑफिस के लिए चली तो रेडियो पर गाना आ रहा था –"मुसाफिर हूँ यारों न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस चलते जाना" खैर मेरा तो घर ठिकाना भी है पर इस गाने को सुन कर सफर पर कुछ लिखने को मन हुआ और जो मन में आया वही आपके साथ साँझा कर रही हूँ।

सफ़र मतलब यात्रा। जीवन भी एक अनोखा सफ़र है, किसी ना किसी मंजिल की तलाश में हम सब सफ़र में हैं। मंज़िल की तलाश और मंज़िल को पा लेने की ख़्वाहिश एक बुनियादी इन्सानी ख़्वाहिश है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मिल जाने वाली मंज़िल भी आख़िरी मंज़िल नहीं होती। एक मंज़िल के बाद नई मंज़िल तक पहुँचने की आरजू और एक नए सफ़र का आग़ाज़ हो जाता है। ज़िंदगी किसी के लिये एक सुहाना और किसी के लिये मुश्किल सफ़र है। हम ताउम्र जीवन के अंजाने रास्ते पर चलते रहते हैं। कभी दो चार कदमों का सफर तय नहीं हो पाता कभी मीलों से लम्बा फासला कुछ भी नहीं होता। यूँ तो इंसान अपने घर, अपने जाने–पहचाने माहौल के सुरक्षा कवच में सबसे सहज महसूस करता है, लेकिन नयेपन की लालसा भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ नया देखने की लालसा ही उसे दुनिया घुमा लाती है। सफर करने के बारे में सबसे मजेदार बात है, हर कदम पर किसी नई खोज का रोमांच। फिर चाहे वह किसी बच्चे द्वारा ट्रेन की खिड़की से पहली बार खुले में ऊँटों को चरते देखने का रोमांच हो या फिर पहली–पहली बार किसी अजनबी देश में कदम रखने पर नजर आने वाली एक अलग दुनिया का रोमांच। जरूरी नहीं कि यात्रा कहीं दूर की हो, बोरिया–बिस्तर बाँधकर रेल, बस, जहाज या विमान से की जाए। अपने ही शहर में, कभी उन रास्तों–गलियों से निकलिए, जहाँ से आपका अब तक गुजरना नहीं हुआ है। कुछ नया दिखेगा, कोई नई खोज होगी। सोचने के नए आयाम खुलेंगे। हाँ, जरूरी नहीं कि जो भी नए अनुभव हों, वे अच्छे ही हों। बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो आपके जीवन को और समृद्ध ही करेंगे। आप यह तय करके घर तो नहीं बैठ सकते कि कोई अच्छा अनुभव हो तो ही बाहर निकलूँ। जीवन के प्रवाह में छलाँग लगाने पर ही पता चलता है कि कब कौन–सा अनुभव अच्छा रहा और कब कौन–सा बुरा। छोटी–मोटी परेशानियाँ सफर का हिस्सा ही होती हैं। जब दुनिया को देखने, जानने निकले हैं तो इसके दोनों रूप देखने में ही तो यात्रा की परिपूर्णता होगी। इसके बिना रोमांच कैसा? मुझे तो अक्सर रास्ते बदलते ही मंजिल बदली–बदली सी लगती है और हर एक मोड़ की करवट भी मुझे नयी–नयी सी लगती है।

किसी ने सच ही कहा है कि सफर का उद्देश्य मंजिल पर

*निजी सचिव, निदेशक (कार्मिक) का कार्यालय, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

पहुँचना नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुँचने की प्रक्रिया का पूरा आनंद लेना होना चाहिए। जब हमारी निगाहें महज मंजिल पर टिकी होती हैं, तब रास्ते अक्सर अनदेखे रह जाते हैं और कायनात का सारा कोलाहल, संसार का सारा स्पंदन, जिंदगी की तमाम रेलमपेल इन रास्तों पर ही तो बिखरी पड़ी है। इन्हें नहीं देखा तो सफर महज एक ठिकाना छोड़ दूसरे ठिकाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भर हुआ, जबकि सफर मौका देता है कदम–कदम पर नए झरोखे से नया संसार देखने का, नए मित्र, नए गुरु पाने का, अनसोचे अनुभवों से गुजरकर नई जानकारी, नए ज्ञान के सागर में नहाने का। खैर, सच यह है कि लोग कई कारणों से सफर करते हैं। कोई घर या दफ्तर के किसी कार्य विशेष के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, कोई छुट्टियों में घूमने जाने की औपचारिकता निभाने तो कोई तीर्थ करने। बहुत कम लोग सफर करने के लिए सफर पर निकलते हैं। ऐसे लोगों को न मंजिल पर पहुँचने की जल्दी होती है, न घर लौट आने की चिंता। एक मंजिल पाते ही ये फिर चल पड़ते हैं किसी और मंजिल की ओर। ये मंजिलें इनके लिए पड़ाव भर होती हैं। इनके लिए मंजिल तो महज बहाना होती है, असल मकसद तो होता है चलना और चलते–चलते संसार से रूबरू होना, अपने ज्ञान का, संवेदनाओं का विस्तार करना, अनुभूतियों और अनुभवों से समृद्ध होना।

आज सूचना तथा परिवहन के भरपूर साधन उपलब्ध हैं लेकिन सदियों पहले जब जिज्ञासु घुमक्कड़ दुनिया देखने निकल पड़ते थे तो उनके पास रोमांच के जज्बे के सिवाय कुछ नहीं होता था। कितने ही यात्री हुए हैं, जिन्होंने खट्टे–मीठे अनुभवों, जानलेवा खतरों और सुखद संयोगों से गुजरते हुए नए, अनजान देशों–सभ्यताओं को जाना–समझा तथा इनकी जानकारी औरों तक भी पहुँचाई। कोलंबस का ही उदाहरण लीजिए। जनाब निकले थे भारत की खोज करने और जा पहुँचे अमेरिका! यानी "जाते थे जापान, पहुँच गए चीन" का ओरिजिनल उदाहरण! जो भी हो, इस गलती के फलस्वरूप अमेरिकी महाद्वीप से दुनिया रूबरू हुई। ऐसे ही साहसी यात्रियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की भी खोज हुई थी। ह्वेनसांग और फाह्यान जैसे चीनी यात्रियों ने कोई डेढ़–पौने दो हजार वर्ष पूर्व भारत की यात्रा कर बौद्ध धर्म ही नहीं, भारतीय संस्कृति तथा रहन–सहन का भी बारीकी से अध्ययन किया। महीनों, कभी–कभी वर्षों लंबी यात्राएँ करके लौटे यात्रियों ने अपने अनुभव बाँटकर अपने निकटजनों के बीच ज्ञान का प्रसार किया तथा उन्हें भी रोमांच से परिपूर्ण किया। दूर देशों की यात्रा–कथाओं ने सदा हमें मोहा है। सिंदबाद जहाजी के काल्पनिक किस्से कई सदियों से दुनियाभर के बच्चों–बड़ों को लुभाते आए हैं। पर आधुनिक दुनिया का आलम ये है कि लोग कहते फिरते है "कहाँ होगा मुझसा घुमक्कड़, घूमता रहता हूँ सुबह शाम तक लोगों की फेसबुक वाल पर या फिर व्हाट्सप्प पर इस ग्रुप से उस ग्रुप तक दिमाग थकने तक चलती रहती हैं उँगलियाँ।"

जीवन का सत्य यही है कि युवा अवस्था में मनुष्य का मन हर चुनौती के लिए तैयार होता है या चुनौती को अवसर मानता है। तरुणावस्था एक तरह से वरुणावस्था ही है, तूफान की तरह वेगवान और कभी भी, कहीं भी गतिशील होने को तत्पर। युवा मन और तन जीवन का सबसे ऊर्जावान समय है जिसमें जिंदगी का जोड़–बाकी, गुणा–भाग अजन्मा होता है। घूमने की शुरुआत तरुणावस्था में हो जाए तो घूमने का रोमांच बढ़ जाता है। मुझे याद है बेटे की दसवीं परीक्षा के बाद हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ गए थे काफी रोमांच भरी यात्रा थी और मेरे बेटे का कहना था मम्मी सभी तीर्थ या दुर्गम स्थानों को युवा अवस्था में ही घूम लेना चाहिए। जब तन कमजोर होता है तो घूमने का मन होने पर भी तन की कमजोरी घूमने–फिरने पर दुविधाओं को मन में जन्म देती है। आज उसकी कही बात याद आती है तो सच में महसूस होता है की कितनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी बात कही थी। घूमने का रोमांच यह है कि हम हर क्षण नई जमीन और हर क्षण नए आसमान के साथ आगे बढ़ते हैं परन्तु घूमने के शौक़ीन लोगों के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। लोग रिटायर होकर घर पर टीवी या पेपर के सामने बैठकर आराम से जिंदगी बिताने की सोचते हैं, उस आयु में अमृतसर के एक शख्स अमरजीत सिंह जिनकी आयु 70 वर्ष है, अपने आप में एक उदाहरण है जिन्होंने कार से लंदन पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित किया है। उम्र को अगर हराना हो तो शौक जिंदा रखिए घुटने चले या न चले मन उड़ता परिंदा रखिए और इसी के साथ अंत में कहूँगी–

"रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में,
मंज़िल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं।

कोरोना महामारी के दौरान राजभाषा हिंदी को बढ़ाया

सागरिका दत्ता*

आजकल सुबह अखबार खोलें या टीवी में न्यूज़ देखें। सभी अखबारों और न्यूज़ चैनलों में दिन भर यही सुनने को मिलता हैं कि कोरोना महामारी से कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई। कल अखबार में पढ़ा दो जुड़वा भाईयों की कोरोना से मृत्यु, दिल्ली में पत्रकार पति–पत्नी की मृत्यु, पीछे छोड़ गए सात साल की बेटी, बूढ़े माँ–बाप के बेटे की मौत और अगले दिन बेटी की, एक विधवा अभागी माँ की इकलौते बेटे की मौत। यह तो चंद खबरें हैं, न जाने कितने ही परिवार इस महामारी के शिकार हुए और पूरी तरह से खत्म हो गए। इससे लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि कल मेरे अपनों के साथ भी ये घटना हो सकती है। यह मौत का तांडव नहीं तो और क्या है। अब जीवन का भरोसा नहीं रह गया है। सुबह उठकर क्या बुरी खबर सुनने को मिले वही डर लगा रहता है। अखबार, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया हर जगह सिर्फ मौत का कहर। इससे लोगों के मन में नकारात्मकता घर कर गई है। इस नकारात्मकता के पीछे छिपी सकारात्मकता को हमे ढूंढ निकालना है। दुख के काले बादलों से सुख की वर्षा का आगमन अतिशीघ्र होगा।

हम सिर्फ कोरोना के बुरे प्रभावों पर ही हमेशा चर्चा करते आ रहे हैं, परंतु क्या कभी किसी ने यह सोचा हैं कि इस बीमारी ने हमें क्या सिखाया है। इसने हमें स्वयं से मिलाया है, एक, आत्म उपलब्धि और आत्मचिंतन करने का अवसर प्रदान किया है। हम सभी अपने दैनंदिन कार्यों में इतने व्यस्त हो गए थे कि अपने परिवार, पड़ोसियों, सगे–संबंधियों को चाहकर भी कभी समय नहीं दे पाते थे। इस भागमभाग भरी जिंदगी में सिर्फ अपने सुख और ऐश्वर्य को अधिक महत्व देते आ रहे थे। परंतु अब सभी को जीवन का असल मूल्य क्या है, इसका ज्ञान हो चला है। हम सभी लोगों के सुख–दुख, व्यथा में सहभागी हो रहे हैं। दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी होने से जो तृप्तता मिलती हैं, उसका अनुभव कर पा रहे हैं। आत्ममंथन और आत्मचिंतन से हम स्वयं को समझ सकते हैं कि सही मायनों में जीवन का अर्थ/उद्देश्य क्या हैं और हमें यह जीवन क्यूँ प्राप्त हुआ है।

भारत वर्ष का सूत्र : वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात् यह सम्पूर्ण सृष्टि एक परिवार है। सम्पूर्ण वसुंधरा के समस्त प्राणी एक ही कुटुंब हैं। सबके संकल्प एक हों, सभी एक दूसरे से स्नेह करें। यही नारा हम राजभाषा कर्मियों को भी मानना चाहिए। क्यूँकि हम सभी का लक्ष्य एक है, संकल्प एक है, राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देना। यह समय सबसे अनुकूल है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। यह कंप्यूटर का युग है, सोशल मीडिया का युग है। वर्तमान युग में हमारे कार्यों की शुरुआत मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी से होती है। मोबाइल या कंप्यूटर से ही सभी कार्य घर बैठे संभव हो पाये हैं। किसी को पैसा ट्रान्सफर करना हो, बिजली का बिल देना हो, फोन का बिल देना हो, विडियो कॉल में बातें करना हो, किसी को मैसेज/ई–मेल करना हो, कैलेंडर/कैल्कुलेटर का प्रयोग करना हो, गेम खेलना हो वगैरह।

कोरोना महामारी के वजह से हम सभी को भरपूर समय प्राप्त हुआ है। यह व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता हैं कि वह इस समय का सदुपयोग किस प्रकार से करते है। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो वहाँ जंगली घास उग आती है, उसी प्रकार यदि दिमाग में अच्छे विचार न हो तो केवल नकारात्मक सोच अपनी जगह बना लेती है। अगर हम कार्य क्षेत्र कि बात करें तो कोरोना महामारी के दौरान राजभाषा हिन्दी के कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिला है, जो निम्नलिखित हैं:

*सहायक प्रबंधक (राजभाषा), सैंट्रल वेअरहाउस, अमीनगांव

हिन्दी कार्यशाला अथवा राजभाषा कार्यान्वयन बैठक: कोविड 19 के वजह से सभी सरकारी कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के अधिकतर कार्य जैसे कार्यशाला का आयोजन, राजभाषा कार्यान्वयन बैठक का आयोजन, नराकास बैठक/संगोष्ठी का आयोजन, कार्यालयों का निरीक्षण आदि ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। इस महामारी से पूर्व हम केवल प्रत्यक्ष रूप से बैठक, कार्यशालाएं, निरीक्षण करते थे। अभी कई ऐसे एप्लिकेशन हमारे पास हैं, जिससे हम किसी से भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। सभी का मिलाप एक ही प्लेटफार्म में होता है। ऐसे महत्वपूर्ण संसाधनों का हम सभी को लाभ उठाना चाहिए।

वर्चुअल माध्यम से कार्यशालाएं/बैठक आयोजित होने के वजह से हमें एक स्थान में बैठकर भारत के अलग–अलग राज्यों के राजभाषा से जुड़े विद्वानों के वक्तव्यों को सुनने का मौका मिलता है। इससे विभिन्न सरकारी कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/क्षेत्रों के अनुभवी व्यक्तियों का राजभाषा ज्ञान, उनका कार्य क्षेत्र में अनुभव, कार्य करने की प्रक्रिया आदि से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता है। इन कार्यक्रमों से हम एक समय पर विभिन्न जगह के लोगों से वर्चुअली मिल सकते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि यह पूरे भारत वर्ष को एक सूत्र में पिरोता है। सुदूर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। अपने विचार आदान–प्रदान कर सकते हैं, कई नए विषयों की जानकारी प्राप्त होती है।

कई कार्यालयों में जगह की कमी के कारण अधिक कार्मिकों को एक साथ जुड़ने में दिक्कतें आती हैं। मुख्य कार्यालयों के अधीनस्थ कार्यालयों के स्टाफ, दौरे पर गए अधिकारी, छुट्टी पर गए कार्मिक अथवा कई अपरिहार्य कारणों से प्रत्यक्ष रूप से बैठक/कार्यशाला में नहीं जुड़ पाते थे। कोरोना से पूर्व हम कार्यशाला में सीमित लोगों को ही शामिल कर पाते थे, परंतु ऑनलाइन मोड से कई प्रतिभागी एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में सभी कार्यालयों में ज़ूम एप, सिस्को वेबेक्स एप, माइक्रोसॉफ़्ट टिम्स एप आदि एप्लिकेशन द्वारा मीटिंग करवाया जा हैं। सबसे जरूरी बात यह की सभी आला अधिकारी इसका समर्थन कर रहे है।

इसका एक फ़ायदा यह भी है कि हम सम्पूर्ण बैठक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले हम वक्ता के व्याख्यान को नोट करके रखते थे, जिससे कई मदें छूट जाती थीं परंतु ऑनलाइन कार्यशाला/बैठक में हम व्याख्याताओं के भाष्य को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग को हम किसी भी समय सुन सकते है और मीटिंग में अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को भी शेयर कर सकते हैं।

संक्षेप में कहें तो – एक माध्यम,कई विद्वानों का संगम ।

अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण : मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, मुख्य कार्यालयों को वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार अपने अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण करना होता हैं। राजभाषा निरीक्षण करने के लिए राजभाषा अधिकारियों को मीलों के फ़ासले तय करने पड़ते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य तक सफर करना पड़ता है, उसमें कई दिन कई घंटे निकल जाते हैं। खर्चा और किसी अंजान स्थान का दौरा करने का स्ट्रैस अलग। कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम के लिए सभी राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इससे भ्रमण करना अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। सरकारी कर्मियों को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से निरीक्षण शुरू करना पड़ रहा है। कई दिनों के कार्यक्रम, कुछ घंटो में संभव हो गए हैं और एक समय में एक से अधिक निरीक्षण अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण आसानी से कर सकते हैं। अभी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग भी हो रहा है। जिससे निरीक्षण अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर भी आसानी से किए जा सकते हैं।

संक्षेप में कहें तो – एक स्थान कई समस्याओं का समाधान।

हिन्दी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण: हिन्दी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ एवं पारंगत कक्षाओं का गठन किया जाता है। इसमें सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करवाना अनिवार्य है। कोरोना महामारी के कारण इन कक्षाओं को ऑनलाइन भी किया जा रहा है। कार्यालयीन काम–काज के लिए सर्वप्रथम हिन्दी भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण होने के कारण यदि कोई प्रशिक्षार्थी किन्हीं कारणों से प्राध्यापक की कक्षा में अनुपस्थित रहे तो कोई भी सहभागी उक्त कक्षा को रिकॉर्डिंग द्वारा उनकी मदद कर सकता है। इन रिकॉर्ड की

गईं कक्षाओं से सभी प्रशिक्षार्थी परीक्षा की दृष्टि बहुत लाभान्वित हो सकते हैं।

कई सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों में अधिकारियों/ कर्मचारियों को समय के अभाव के कारण हो या स्टाफ की कमी के कारण प्रशिक्षण के लिए नामित नहीं किया जाता है। ऑनलाइन माध्यम से कक्षा शुरू होने के वजह से स्टाफ ऑफिस में बैठकर आसानी से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं।

इन पाठ्यक्रमों से कार्मिकों के बीच हिन्दी के प्रति रुझान बढ़ता हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास और मनोबल की वृद्धि होती है। उनके व्याकरण में भी सुधार होता है तथा वे छोटे–छोटे वाक्यों से टिप्पण–आलेखन की शुरूआत कर पाते हैं। ऐसे एक–दो कदम से ही सभी हम सभी को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने की प्रवृति को जगाना है।

संक्षेप में कहें तो–एक पाठ्यक्रम, करें शुरुआत, बढ़ाएं कदम।

कंप्यूटर का ज्ञानः यह जमाना अब कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन का है। हम अब कागज पर लिखने के बजाय की बोर्ड पर अधिक लिखते हैं इसलिए सभी कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने कार्यालय के सभी कार्मिकों को हिंदी टाइपिंग में भी दक्ष बनाएं ऐसा किए बगैर हिंदी पढ़ाने–लिखाने का मकसद अधूरा ही रहेगा।

कोरोना महामारी से सभी स्टाफ को अत्यधिक लाभ हुआ है कि वे कंप्यूटर में हिन्दी टाइपिंग सीख रहे हैं। कंप्यूटर से राजभाषा का अधिक से अधिक ज्ञान आहरण कर सकते हैं। गूगल में आप कभी भी किसी भी वक्त शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं। पहले हमे प्रशासनिक शब्दों, तकनीकी शब्दों का अर्थ ढूंढने के लिए शब्दकोश अथवा प्रशासनिक शब्दावली का सहारा लेना पड़ता था, परंतु अब सिर्फ टाइपिंग करने की देरी होती है। गूगल ट्रांसलेटर एप से आप कई छोटे–छोटे वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। इसमें कैमरा, कन्वरसेशन, ट्रांसक्रइब जैसे ऑप्शन हैं जिससे अंग्रेजी से हिन्दी, हिन्दी से अंग्रेजी अथवा अन्य भाषाओं का अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक शब्द के कई अर्थ और उसके प्रयोग को भी दिखाया जाता है। वर्तमान समय में कार्यालयीन कार्यों में गूगल अनुवाद की प्रासंगिकता बढ़ रही है।

हम हिन्दी में हो रहे कार्यों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सभी प्रमाण पत्रों, फोटोग्राफ़्स, पुरस्कारों आदि को सेव करके रख सकते हैं। इससे सभी आवश्यक डेटा को हमेशा के लिए एक सुंदर यादगार का रूप दे सकते हैं।

इसके अलावा एमएस वर्ड में इतनी विधाएं है कि प्राइमरी स्तर से कम अथवा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कार्मिक भी आसानी से हिन्दी में कार्य कर सकेंगे। जैसेः

- शब्द, वाक्य, पेज एवं फ़ाइल का अनुवाद करना।
- शॉर्टकट्स बनाना।
- किसी भी भाषा की वर्तनी/स्पेल चैक करना।
- आडियो के मैटर को ट्रान्सफर करना।
- कवर पेज/न्यूज़ लेटर बनाना।
- वॉइस रिकॉर्ड करना।
- रिकार्डिंग टेक्स्ट को इन्सर्ट करना।
- नेवीगेशन का प्रयोग करना। इत्यादि।

संक्षेप में कहें तो – एक यंत्र, सरलीकरण का सटीक मंत्र।

हिन्दी टाइपिंग का ज्ञानः बहुत से कार्यालयों में ई–ऑफिस में कार्य शुरू हो गया है। ई–ऑफिस अर्थात् सिंगल फ़ाइल सिस्टम। सभी स्टाफ को सिंगल फ़ाइल सिस्टम के माध्यम से ही कार्य करना होगा। पहले कार्यालयों के सभी कार्य फ़ाइलों के माध्यम से किया जाता था। किसी वेंडर के बिल को प्रोसेस करना हो, छुट्टी स्वीकृत करना हो, एलटीसी स्वीकृत करवानी हो, सामान्य या तकनीकी निरीक्षण फ़ाइल प्रोसेस इत्यादि। हिन्दी न जानने वाले कार्मिकों के लिए अत्यधिक परेशानी का विषय था कि वे फ़ाइलों में टिप्पणी कैसे लिखें। 'ग' क्षेत्र के अधिकतर कर्मचारियों की स्कूली शिक्षा में हिन्दी विषय नहीं होता था। परंतु वर्तमान समय में ई–फ़ाइल में ही कार्य होता हैं, इसीलिए सभी स्टाफ के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे कंप्यूटर सीखें। अब सवाल हिन्दी में टाइप करने का है। यह कार्यालय के सभी स्टाफ के लिए कोई चेतावनी से कम नहीं हैं कि वे हिन्दी में टाइपिंग करें। परंतु अब कई ऐसे टूल हैं, जिससे हम आसानी से हिन्दी टाइप कर सकते हैं। इनस्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ़्ट इंडियन लैग्युवेज इनपुट टूल, रेमिंग्टन आदि कई ऐसे की बोर्ड हैं जिससे हम कम्प्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ

तक की अब वॉइस टाइपिंग भी आसानी से किया जा सकती है। जरूरत है तो सिर्फ एक माइक्रोफोन और सही उच्चारण करने की। यूनिकोड में तो हम अंग्रेजी में टाइप करेंगे, उसका हिन्दी में परिवर्तन होता रहेगा।

संक्षेप में कहें तो – एक विद्या, आत्मनिर्भर बनाए, करे मुश्किलों को आसान।

कोरोना महामारी के कारण हम सभी ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सीखा है जो शायद पहले कभी संभव न हो पाता। वो कहते है न – आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सभी राजभाषा कर्मियों को वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करने अपेक्षित हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी जरूरी हैं। तो इसी प्रकार रास्ते खुलते गए, सभी हिन्दी प्रेमी अपना कार्य बखूबी निभाते गए।

आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। सभी क्षेत्र में आईटी टूल्स आ रहे हैं। वेबसाइटों द्वारा हम सभी विषयों पर अपार जानकारी हासिल कर सकते हैं। राजभाषा हिन्दी में हो रहे कार्य को हम ई–पत्रिका, ई–कार्ड, ई–समाचार, वेब डिज़ाइनिंग आदि से दर्शा सकते हैं। इस माध्यम से अत्यंत कम समय में ही हिन्दी को बढ़ावा मिल सकता है।

आज हमारे समक्ष राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कई संसाधनों (कंप्यूटर/लैपटाप/टैब) की भरमार है। समय है तो इन संसाधनों का सही रूप में उपयोग करना। कोई भी मशीन तब तक बेजान रहती हैं जब तक हम उसका उपयोग न करें। राजभाषा कार्मिकों को कार्यालय में हिन्दी कार्यान्वयन को बढ़ाना सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी ही नहीं समझना चाहिए बल्कि हम सभी को इसे अपनी ताकत बनाना हैं, यही हमारी पहचान हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सभी अपनी मातृभाषा से जुड़े हैं, मिट्टी से जुड़े हैं। हमें यह प्रण लेना हैं कि सरकार ने हम राजभाषा कर्मियों को एक गहन दायित्व सौंपा है, उसको सम्पूर्ण निष्ठा और लगन से पूरा करना हैं। इस महामारी के कारण जो भी वक्त मिला है, उस समय का सदुपयोग करना होगा, अधिक से अधिक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन करना होगा। सभी को प्रेरणा और प्रोत्साहन से इस सफ़र में शामिल करना होगा। ताकि लोग अधिक से अधिक राजभाषा हिन्दी में कार्य करें, इसके महत्व को समझे। इसे अंग्रेजी के समान ही ग्रहण करें। हमें इस सोच को बदलना है कि हिन्दी में कार्य करना कठिन है। लोग गलतियों से घबराते हैं, एक झिझक महसूस करते कि शायद वे हिन्दी में कार्य न कर पाएं। कुछ लोग इसे समय की अपव्ययता बताते हैं, कुछ लोगों को इसमें विशेष रुचि नहीं होती। इसीलिए राजभाषा कर्मियों के लिए यह एक चुनौती से कम नहीं क्यूंकि सोच को बदलना आसान नहीं होता। हम सभी को राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। जिंदगी में हार न मानना ही जीत की पहली निशानी है।

अंत में "लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती''

कलम जो उठाई

आयुषी झा*

चल ऐ दिल आज कुछ सोच नया,
अभी तो एहसास कुछ बाकी है,
खोल उनको दे नया अंदाज़ उन्हें,
नया दिन है, नई शुरुआत है,

कौन कहता है कि वो हमसे दूर हैं,
जो बिछुड़ गए ज़िंदगी की रफ्तार में,
हर शब्द की गूंज में सुनाई देता है,
बंद आँखों से दिखाई देता है,

वो रिश्ते वो साथी जो बिछुड़ गए थे,
ज़िंदगी की रफ्तार में,
दे नए शब्द उन्हें खिल उठें,
महक उठें, चहक उठें एक बार फिर
जो बिछुड़ गए ज़िंदगी की रफ्तार में,
कलम जो उठाई,
तो सिमट गया जहां कुछ शब्दों में,

कलम जो उठाई,
तो सिमट गया जहां कुछ शब्दों में,

*लेखाकार, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

पर्वत पुरुष

लक्ष्मी कुमारी*

शाहजहाँ के ताजमहल का
तो हर कोई कायल है
पर माँझी के इस द्वार
का क्या ही किसी को पता होगा?

यह द्वार एक
पुरुष के पवित्र प्रेम की निशानी है
यह द्वार उसके जूनून और हौसले की
अमर कहानी है।

बीमार पत्नी कि मृत्यु के अथाह दुख में
बाईस वर्षों की यह तपस्या अंजानी है
महज एक छोटी सी छेनी और हथौड़े की चोट से
पर्वत का सीना उसने चीरा था
ना था कोई संगी–साथी
बस संगनी का प्यार अकेला था।

लोगों के तानों को सुनता यूँ ही रहता था
कोई कहता उसे सनकी तो कोई मुसहरवा और
पगलवा कहकर हँसता था।

पर उस फल्गुनिया के दिवाने को
कहाँ किसी की परवाह थी
अपने ही लगन का पक्का वह
और एक सनक भारी थी।

उस मजदूर के अथक प्रयास
का हुआ यह परिणाम
कई फुटों में एंठा पहाड़ भी
कर रहा था उसे प्रणाम

अपने पसीने की धार से
राह जिसने सींची है
दशरथ माँझी को बिहार का
हर कोई महान संत कहता है।

इन पहाड़ों को देखकर हर कोई प्रेरणा पाएगा
गर हो जिजीविषा तो मनुष्य प्रकृति के दानवों को
भी हराएगा।

*हिंदी टाइपिस्ट (आ.सो.), क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

हिंदी गौरव

देवराज सिंह 'देव'*

14 सितंबर 1949 से मैं राष्ट्र समर्पित हिंदी हूं,
325 भाषाओं की जननी मैं राजभाषा हिंदी हूं।

देवनागरी लिपि में मुझको अंकित कर डाला है,
मैं भारत के मस्तक पर सदा चमकती बिंदी हूं।

विश्व पटल पर करूं सुशोभित भारत के संस्कारों को,
देश अखंडता बनी रहे मैं लाज बचाती हिंदी हूं।

मैं तमिल, तेलुगू, उड़िया हूं, मैं बंगला, कन्नड़, गुजराती,
बेटी कहलाती संस्कृत की सरल, सुबोध सी हिंदी हूं।

वैसे शब्द फारसी, मैं सिंध से बनी हिंदी हूं,
है, उर्दू से कुछ मेल मेरा, मैं सुभाषिनी हिंदी हूं।

विश्व भर की सारी भाषाएं करती है गुणगान मेरा,
प्रकाश ज्ञान का फैलाती मैं बोध कराती हिंदी हूं।

छंद और रसों से करती मैं सबका अभिनंदन हूं,
एक–एक शब्द मकरंद भरा मैं मधुर वादिनी हिंदी हूं।

संधि, संज्ञा, अलंकार सब रखते हैं मुझसे संधि,
मैं गागर में सागर भरती गौरव गजनी हिंदी हूं।

अलंकृत कर डाला मैंने भारतीय हिंदी साहित्य को,
सभी आभूषणों से सुसज्जित मैं नई नवेली हिंदी हूं।

भारतीय संविधान सभा ने मुझे राजभाषा सम्मान दिया,
विस्तार नहीं किया मेरा मैं पिंजरे में बंदी हूं।

देव सदा लिखता रहता है हिंदी रचनाएं गीत यहाँ,
दुनिया में पताका फैलाती आजाद कराती हिंदी हूँ।

*पूर्व भंडारण एवं निरीक्षण अधिकारी, गाजियाबाद

निगमित कार्यालय में आयोजित वार्षिक साधारण बैठक की झलकियां

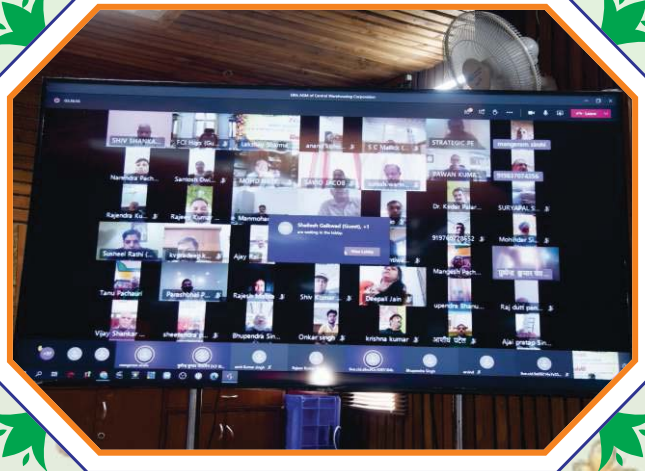

निगम द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन

केन्द्रीय भंडारण निगम और नेब फाउंडेशन (वित्त मंत्रालय के तहत नाबार्ड की 100% सहायक कंपनी) ने 4 अगस्त, 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे वेअरहाउसिंग, ई–एनडब्ल्यूआर को गिरवी रखकर राशि प्राप्त करना एवं किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से जुड़े हुए किसानों को ई–ट्रेडिंग जैसी फसलोपरांत आवश्यक वैज्ञानिक प्रबंधन सेवाओं में वृद्धि होगी।

निगम ने मैसर्स अवरफूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ दिनांक 28 जुलाई, 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह कृषि वस्तुओं के लिए फार्मगेट स्तर के वितरण केंद्रों की सुविधा के लिए वैज्ञानिक भंडारण एवं किसानों को सशक्त बनाने के लिए मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा।

निगम द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन

पूर्वोत्तर राज्यों में भंडारण सुविधाओं के विकास एवं प्रचालन हेतु उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय खाद्य निगम के साथ दिनांक 27 मई 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

निगम ने अखिल भारतीय स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल "agribazaar.com" पर सैंट्रल वेअरहाउस आधारित ब्रिकी के माध्यम से किसानों और व्यापारियों को ई–ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 13 जुलाई, 2021 को स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

निगम ने अखिल भारतीय स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल अर्थात "mktyard.com" के माध्यम से सैंट्रल वेअरहाउसों में किसानों/व्यापारियों को ई–ट्रेडिंग सेवाओं की सुविधा देने के लिए दिनांक 09 जून, 2021 को एनसीएमएल मार्केट यार्ड प्राइवेट लिमिटेड (एनएमपीएल) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।

राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदत्त पुरस्कार

केन्द्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय में दिनांक 22 एवं 23 जुलाई, 2021 को क्षेत्रीय प्रबंधकों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा भाग लिया गया। प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निगम के शीर्ष प्रबंधन द्वारा सम्मेलन का नेतृत्व किया गया। वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई तथा उक्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योजना की समीक्षा भी की गई। सम्मेलन के समापन के दौरान संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन में निष्पादन के आधार पर राजभाषा शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदत्त पुरस्कार

केंद्रीय भंडारण निगम ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, केंद्रीय भंडारण निगम ने निगमित कार्यालय, नई दिल्ली के परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर निगमित कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और कई अन्य कर्मचारी इस समारोह में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।

आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में आयोजित देशभक्ति संबंधी विभिन्न कार्यक्रम

कोविड–19 की रोकथाम हेतु निवारक उपाय

निगमित कार्यालय में पोषण माह का आयोजन

निगमित कार्यालय में आयोजित हिंदी पखवाड़ा एवं हिंदी दिवस समारोह

निगमित कार्यालय में आयोजित हिंदी पखवाड़ा एवं हिंदी दिवस समारोह

क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में आयोजित विभिन्न गतिविधियां

कोविड टीकाकरण शिविर

हिंदी पखवाड़ा

योग दिवस

योग दिवस

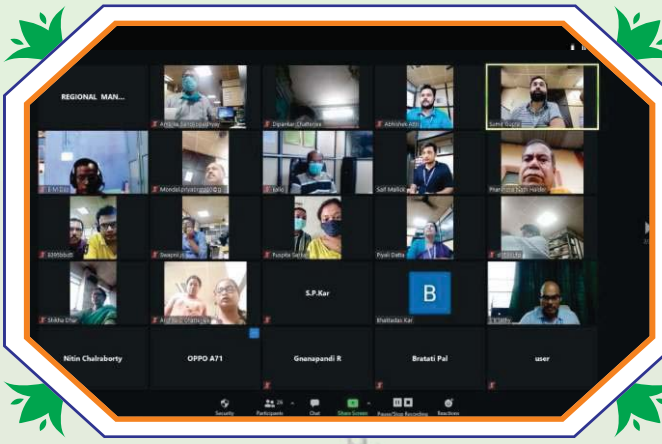

हिंदी कार्यशाला

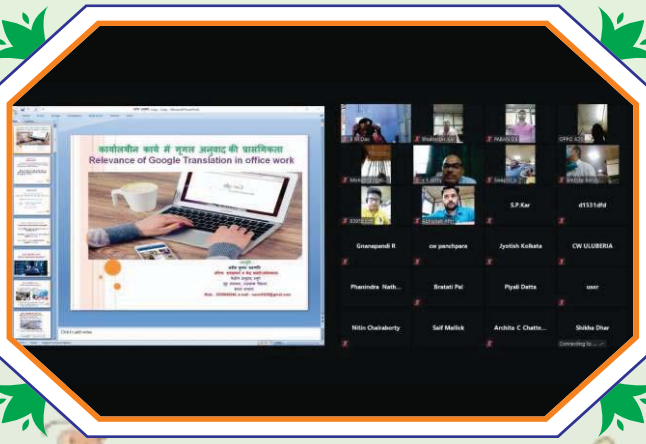

हिंदी कार्यशाला

संसदीय स्थायी समिति का गोवा में अध्ययन दौरा

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित विभिन्न गतिविधियां

क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम (2021–22)

क्र. स.	कार्य विवरण	'क' क्षेत्र		'ख' क्षेत्र		'ग' क्षेत्र	
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ई–मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100% 100% 65% 100%	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	90% 90% 55% 90%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	55% 55% 55% 55%
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना		100%		100%		100%
3	हिंदी में टिप्पण		75%		50%		30%
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम		70%		60%		30%
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपि की भर्ती		80%		70%		40%
6	हिंदी में डिक्टेशन/की–बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं अथवा सहायक द्वारा)		65%		55%		30%
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)		100%		100%		100%
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना		100%		100%		100%
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई–पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।		50%		50%		50%
10	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद		100%		100%		100%
11	वेबसाइट द्विभाषी हो		100%		100%		100%
12	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो		100%		100%		100%
13	i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)		25% (न्यूनतम)		25% (न्यूनतम)		25% (न्यूनतम)
	ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण		25% (न्यूनतम)		25% (न्यूनतम)		25% (न्यूनतम)
	iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम–से–कम एक निरीक्षण				
14	राजभाषा संबंधी बैठकें						
	क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 02 बैठकें वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)				
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद		100%				
16	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%		30%		20%	

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

(सदैव ऊर्जावान : निरंतर प्रयासरत)

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से, अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों, प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, अपनी अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए, अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा–हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे ।

जय राजभाषा! जय हिंद !

केंद्रीय भंडारण निगम की डिजिटल यात्रा

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली–110016